खण्ड-06 सत्र -07 (भाग-01)
अंक-66

शुक्रवार

16 मार्च 2018
25 फाल्गुन, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

सातवाँ सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड–06, सत्र–07 (भाग–01) में अंक 66 से अंक 81 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

सी. वेलमुरुगन

सचिव

C. VELMURUGAN

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–07 भाग (01) शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939 (शक) अंक–66

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	शोक संवेदना	4–6
3.	उप राज्यपाल महोदय का अभिभाषण	7–29
4.	उप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	30
5.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था (माननीय सदस्य श्री कैलाश गहलोत के मंत्री पद पर बने रहने पर)	31–46
6.	प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	47–48
7.	अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) (सीलिंग प्रक्रिया के दौरान परिसरों की सीलिंग और पुलिस की क्रूरता के कारण दिल्ली के लोगों को हुई पीड़ा पर)	49–177

दिल्ली विधान सभा की

कार्यवाही

सत्र–07 भाग (01) शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 / 25 फाल्गुन, 1939 (शक) अंक–66

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविन्द्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
13. श्री राजेश गुप्ता
14. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
15. श्री सोमदत्त
16. सुश्री अलका लाम्बा
17. श्री आसिम अहमद खान
18. श्री विशेष रवि
19. श्री हजारी लाल चौहान
20. श्री शिव चरण गोयल

21. श्री गिरीश सोनी
22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
23. श्री जरनैल सिंह
24. श्री राजेश ऋषि
25. श्री महेन्द्र यादव
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. श्री गुलाब सिंह
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री सही राम
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री ओम प्रकाश शर्मा
48. श्री एस.के. बग्गा
49. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
50. श्रीमती सरिता सिंह
51. मो. इशराक
52. श्री श्रीदत्त शर्मा
53. चौ. फतेह सिंह
54. श्री जगदीश प्रधान
55. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–07 भाग (01) शुक्रवार, 16 मार्च, 2018 / 25 फाल्गुन, 1939 (शक) अंक–66

सदन अपराह्न 2.09 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: अध्यक्ष जी, अभी सब साथियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, बैठिए प्लीज। आप बैठिए आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठी: देखिए, इस तरह का दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा, आपके आदेश के बावजूद...

अध्यक्ष महोदय: छठी विधानसभा के... अखिलेश जी, बैठिए प्लीज। अखिलेश जी, बैठिए मैं आग्रह कर रहा हूँ बैठिए आप अपनी सीट पर बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, बैठिए में आग्रह कर रहा हूँ। मुझे देखना है, क्या करना है। बैठिए आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदयः ओमप्रकाश जी, नहीं, मैं अभी कुछ नहीं सुन रहा, दो मिनट।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ मैं अभी जवाब दूँगा उसका। जवाब दूँगा उसका। जवाब दूँगा, थोड़ी देर रुक जाइए। अखिलेश जी, बैठिए, प्लीज। आप बैठिए, प्लीज। मैं आग्रह कर रहा हूँ, बैठ जाइए।

श्री अखिलेश पति त्रिपाठीः मैं बैठूंगा नहीं।

अध्यक्ष महोदयः मत बैठिए।

छठी विधानसभा के सातवें सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम ही है कि यह बजट सत्र है। इसमें उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा करने के दौरान आपको अपने विचार प्रकट करने का भरपूर मौका मिलेगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनता से और कम से कम समय में अपनी बात कहें और सदन का समय व्यर्थ न होने दें। सदन के समय का सदुपयोग करना हमारी प्राथमिकता है। अतः आप सब से मेरा पुनः निवेदन है कि सदन की कार्यवाही में नियमित रूप से तथा शालीनतापूर्वक भाग लें और कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग दें।

(शोक संवेदना)

(छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों के प्रति)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, यह अत्यधिक दु:ख का विषय है कि मंगलवार, दिनांक 13 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में

नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में नौ जवान शहीद हो गये जबकि दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गये। शहीद हुए जवान एएसआई रामकृष्ण सिंह तोमर, हैड कांस्टेबल लक्ष्मण जी, आरक्षक शोभित कुमार शर्मा, धर्मेन्द्र सिंह यादव जी, मनोज सिंह जी, एचएस चन्द्रा, श्री जितेन्द्र सिंह जी, मनोरंजन लेंका और अजय कुमार यादव थे जबकि मदन कुमार राजेश कुमार घायल हो गये।

यह एक कायरतापूर्ण तथा बर्बरतापूर्ण हमला था और घात लगाकर किया गया हमला था। जिसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले इन जवानों की शहादत अनमोल है। यही नहीं, पिछले दिनों जम्मू–कशमीर में भी सीमा पर मुठभेड़ और फायरिंग में भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। यह भी अत्यंत दुःखद है और इस तरह की बढ़ती घटनाएं देश की सुरक्षा के लिए चिंताजनक हैं।

मैं छत्तीस गढ़ के नक्सली हमले में शहीद हुए और जम्मू–कश्मीर में शहीद हुए जवानों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।

(वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के निधन पर)

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, यह अत्यधिक दुःख का विषय है कि महान् भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का बुधवार, दिनांक 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। उन्होंने ब्रह्माण्ड के कई रहस्यों से पर्दा उठाया था और ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी

को समझाने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को ब्रिटेन के आक्सफोर्ड में हुआ था और वे मात्र 21 वर्ष की आयु में स्नायु रोग के शिकार हो गये थे, जिससे उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। उन्होंने अपनी शारीरिक चुनौती से जूझकर विज्ञान के कई जटिल रहस्यों को सुलझाया।

वर्ष 1988 में प्रकाशित अपनी किताब 'अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम' से वह काफी चर्चित हुए और यह किताब संडे टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में 237 सप्ताह तक शामिल रही। इसकी अब तक एक करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और यह गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी दर्ज हुई। उनका प्रेरणादायी जीवन हमें यह संदेश देता है कि अगर व्यक्ति में इच्छाशक्ति हो तो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मैं उन महान् वैज्ञानिक को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ तथा प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति मिले।

अब हम खड़े होकर अपने स्थान पर दिवंगत आत्माओं के लिए मौन रखेंगे।

(सदन द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर दो मिनट का मौन)

ओम शान्ति, शान्ति, शान्ति

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अभी आ रहा हूँ मैं, आपके विषय पर आ रहा हूँ। मैंने कहा है, मैं आपको उत्तर दूँगा।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

मैं सचिव महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँः

(माननीय उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण!

1. मैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधानसभा के सातवें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2. मेरी सरकार दिल्ली के नागरिकों के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है। सरकार के कार्यों से जनकल्याण संबंधी गतिविधियों और विकास प्रक्रिया को बल मिला है।
3. मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की GDP में 11.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2016–17 में GDP 6,16,826/- करोड़ रूपये था और वर्ष 2017–18 में यह बढ़कर 6,86,017/- करोड़ रूपये हो गया।
4. मौजूदा कीमतों पर दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016–17 के दौरान 3,00,793/- रूपये थी। वर्ष 2017–18 में यह राशि बढ़कर 3,29,093/- रूपये होने की संभावना है।
5. दिल्ली की अर्थव्यवस्था में tertiary sector के उत्पाद का योगदान 85.92 प्रतिशत है। इसके बाद secondary sector का योगदान 12.04 प्रतिशत तथा primary sector का योगदान 2.04 प्रतिशत है।

6. व्यापार एवं कर विभाग ने जीएसटी को सफलता पूर्वक लागू किया है। विभाग ने जीएसटी प्लेटफार्म पर अपने वर्तमान 75 प्रतिशत व्यापारियों को जोड़ दिया है तथा 2.25 लाख नये पंजीकरण भी स्वीकृत किये हैं।

7. सरकार ने सुशासन को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए ''दहलीज पर जन सेवाए प्रदान करना'' नामक स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस मुहिम का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों की दहलीज तक पहुँचाना है। सेवाओं के लिए सरकार के काल सैन्टरों पर अपना अनुरोध भेजा जा सकता है। नागरिकों को मोबाइल सहायक के द्वारा पहले से नियम शुल्क लेकर काल सैन्टर के माध्यम से निश्चित तिथि एवं समय पर अपेक्षित सेवाएं प्रदान की जाएगी।

8. मानव संसाधन के विकास के लिये सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसके आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। शैक्षणिक सुविधाओं में मजबूती लाने के लिये मौजूदा स्कूलों में 6,400 नई कक्षाएं बनायी गई हैं।

9. अत्याधुनिक सुविधाओं तथा बेहतर वातावरण के लिए 54 स्कूलों में अतिरिक्त क्लास रूमों में Infrastructural Facilities का निर्माण शुरू किया गया। सभी 54 स्कूलों में यह कर्ा पूरा होने वाला है। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले पांच उत्कृष्ट स्कूलों का कार्य 2018–19 से शुरू होगा।

10. दिल्ली के विभिन्न स्थानों में 25 स्कूल भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इनमें से 24 नए पक्के स्कूल भवनों का निर्माण पूरा हो गया है। नए स्कूलों के निर्माण के लिए लगभग 50 ग्राम सभाओं की भूमि Identify की गयी हैं। शिक्षा विभाग ने 29 ऐसी भूमियों का Possession ले लिया है।

11. ज्यादातर स्कूलों में CCTV कैमरे लगाये जा चुके हैं। सभी स्कूलों में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने का प्रस्ताव भी है। यह व्यवस्था क्लास रूम तक पहुँचाई जाएगी ताकि अभिभावक स्कूल की गतिविधियों को देख सके। पहली बार सभी Stakeholders से परामर्श लेकर विस्तृत सुरक्षा दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

12. स्कूलों में दाखिले की आन लाइन प्रणाली से यह सुनिश्चित हुआ है। कि गरीब परिवारों के बच्चों को भी Unaided Private Schools में प्रवेश मिला। वर्ष 2017–18 के दौरान इन स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी एवं सुविधाहीन समूह के 24,500 विद्यार्थियों को Primary Classes में दाखिला दिया गया।

13. विद्यार्थियों में कम्प्यूटर की समझ को बढ़ाने के लिए लगभग 1100 Government तथा Government Aided स्कूलों में ICT परियोजना के तहत कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की क्षमता को बढ़ाकर अधिक कर्मचारियों की तैनाती से राज्य की निधि का प्रयोग करके ICT Scheme का विस्तार भी प्रस्तावित है।

14. एक नई पहल ''चुनौती–2018'' के माध्यम से नई कार्य प्रणाली को लागू किया गया है। चुनौती–2018 का उद्देश्य कक्षा 6 से 8 में प्राथमिक कक्षाओं के Accumulated Learning Deficits को पूरा करना है। इसके तहत गहन अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों में क्षमता का विकास किया जाता है ताकि कक्षा 9 में विद्यार्थियों का फेल होना कम किया जा सके और विद्यार्थियों के शिक्षा छोड़ने को कम किया जा सके। इस प्रयास से परीक्षा परिणामों में सुधार हुआ है। Reading Campaign से कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों ने अपनी पठन क्षमता में सुधार किया है।

15. विद्यार्थियों को ''प्रगति'' नामक अनुपूरक, सरल, प्रासंगिक और सहायक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है।

16. शिक्षा प्रणाली में सुधार की रूपरेखा तैयार करने के लिये सरकारी स्कूलों के सर्वाधिक रचनात्मक अध्यापकों में से चुनिंदा अध्यापकों को लेकर "Mentor Teachers Group" तैयार किये गये हैं। यह 200 सदस्य वाला सुगठित दल शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करते हुए, अध्ययन–अध्यापन की प्रक्रिया के माध्यम से अध्यापकों को मौके पर ही सहायता प्रदान करता है। मेंन्टर टीचर ग्रुप को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान सिंगापुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

17. विद्यार्थियों के शिक्षण में आ रही कठिनाइयों को समझने तथा पाठ्यचर्या और शिक्षण सिद्धान्त की नवीन रूपरेखा तैयार करने के लिए समसामयिक अनुसंधान अपेक्षित होता है। शिक्षण क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट संबंधी कार्यों के लिये मूल्यांकन यूनिट की स्थापना भी की गई है।

18. विद्यार्थियों को प्रतिभावान बनाने के लिये इन्टीग्रेटिड शैली को अपनाया गया है, जिसमें इन–हाउस कार्यक्रमों के अलावा इंग्लैंड के कैंब्रिज विश्वविद्यालय, में 89 स्कूल प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण दिलवाया गया। शिक्षा निदेशालय के 60 स्कूल प्रधानाचार्यों, प्रशिक्षणदाताओं और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को University of Jyvaskyla, Finland में प्रशिक्षण के लिये भेजा जा रहा है। स्कूल प्रधानाचार्यों को Indian Institute of Management तथा National University of Education Planning and Administration जैसे विख्यात संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

19. शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूल प्रबंधन और निगरानी के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों की व्यवस्था है। स्कूलों की सुचारू व्यवस्था के लिये स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र अनुसार एक मंच प्रदान किया गया जहां इनकी सभाएं आयोजित की गई। जहां पर समिति के सदस्यों ने सरकारी स्कूलों को चलाने में आ रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी तथा स्कूल संबंधी समस्याओं को निपटाने के लिये समाधान भी सुझाए।

20. सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को Inclusive शिक्षा प्रदान की जाए। इस समय विशेष जरूरतों वाले लगभग 12,000 विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है। इन विद्यार्थियों का Database ऑन लाइन मोडूयल द्वारा बनाया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना बनाई गई है, जिसमें पाठ्यक्रम तथा पाठ्येत्तर गतिविधियाँ सम्मिलित है। उपरोक्त विद्यार्थियों के लिये संसाधन केन्द्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इन केन्द्रों में विशेष शिक्षा तथा इनसे संबंधित सेवाओं जैसे Physiotherapy, Occupational therapy के विशेष शिक्षण की सुविधाएँ होंगी। ऐसे केन्द्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रारंभिक चरण में 14 Resource Centres की स्थापना की जाएगी।

21. मेरी सरकार ने 2017–18 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक छात्रों के दाखिले के लिये संस्थाओं की सीटों में बढ़ोतरी की है। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सात राज्य विश्वविद्यालयों और सम्बन्धित संस्थानों/कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए e-District Portal पर Merit-cum-means linked वित्तीय सहायता शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र छात्रों को Delhi Higher Education Aid Trust से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

22. वर्ष 2015–16 में सरकार ने दिल्ली उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। पहले जिन विद्यार्थियों ने दिल्ली से 10वीं और 12वीं कक्षा पास की है और दिल्ली के संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की है, वह शिक्षा ऋण प्राप्त करने के पात्र थे। वर्ष 2017–18 में सरकार ने दिल्ली उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास गारंटी स्कीम के लाभ का दायरा बढ़ाते हुए ऐसे विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर लिया है जिन्होंने दिल्ली से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जो अब दिल्ली से बाहर भारत में स्थित किसी सरकारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं।

23. कौशल विकास को बल देने के लिए विश्वस्तरीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र ITI विवेक विहार परिसर से चल रहा है। इस केन्द्र में विभिन्न व्यवसायों में लगभग 1000 विद्यार्थियों को शिक्षित किया गया है। इस संस्थान ने शत–प्रतिशत प्लेसमैंट करने का कीर्तिमान बनाया है। विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। सरकार ने लगभग 25,000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण देने के लिए 25 अन्य केन्द्रों के निर्माण का निर्णय लिया है। सरकार ने जौनापुर में विश्वस्तरीय कौशल विकास केन्द्र के लिए स्थायी परिसर के निर्माण का निर्णय लिया है।

24. दिल्ली को Start-up Hub बनाने की दिशा में में इस समय 10 Incubation centres चल रहे हैं। इस समय इनमें 76 Start-up कार्यरत है। ये Start-up न सिर्फ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन क्षेत्र में भी कार्यरत है।

25. रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए Research Grant Scheme में ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थानों को Matching Grant दी जाती है जो उद्योगों से या किसी अन्य अनुदान से अनुसंधान कार्यों के लिए अपनी धनराशि सृजित करते हैं।

26. IIIT दिल्ली ने रिसर्च एवं डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। इन्फोसिस ट्रस्ट ने अनुसंधन कार्यों के लिए 24 करोड़ की सहायता प्रदान करके यहाँ Infosys Centre for Artificial Intelligence खोला है। यह किसी शैक्षणिक संस्थान में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए बड़े अनुदानों में से है।

27. दिल्ली सरकार ने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने पर बल दिया है। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 36 Multispeciality Hospitals हैं जिसमें 6 Super Speciality Hospitals भी हैं जिसमें 11,000 beds हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है।

28. सरकार ने रोगियों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए अनेक प्रयास किये हैं। रोगियों को सभी आवश्यक दवाईयां निःशुल्क प्रदान की जा रहा हैं। DGEHS Empanelled 23 Radiological Centres में दिल्ली के सभी निवासियों को निःशुल्क Radiological सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सुविधा का लाभ लेने के लिए दिल्ली सरकार के सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र से रैफरल किया जाता है।

29. दिल्ली सरकार ने 48 Empanelled Private Hospitals में 52 प्रकार की सर्जरी निःशुल्क करवाने के लिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों को रैफर करने का अधिकार है।

30. Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, Lok Nayak Hospital तथा Dr. Hedgewar Arogya Sansthan में निःशुल्क डायलेसिस् सेवा मुहैया कराई जा रही है। इन अस्पताओं में इस समय 60 डायलेसिस मशीने कार्यरत हैं।

31. दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में आने वाले आम आदमी मौहल्ला क्लीनिक में जनता के लिए DGEHS की सूची के अनुसार Laboratory Diagnostic Services तथा Free Diagnostic Services प्रदान की जा रही है।

32. सरकार का विचार है कि आम आदमी मौहल्ला क्लिनिकों की स्थापना करके स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के द्वार तक लाया जाए। प्रारंभ में 102 आम आदमी मौहल्ला क्लिनिकों को प्रारंभ किया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान 62 और आम आदमी मौहल्ला क्लिनिक बनाये गए हैं।

33. मेरी सरकार Inclusive Development में विश्वास रखती है। समाज के कमजोर तबके को सहायता प्रदान की जाती है। महिला और बाल विकास विभाग दिल्ली विपदाग्रस्त महिला पेंशन स्कीम के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों

का विवाह करवाने के लिए एक मुश्त अनुदान राशि भी प्रदान की जा रही है। यह वित्तीय सहायता अभिभावकों, अनाथालयों और संस्थानों को भी दी जा रही है जिसका इस्तेमाल अनाथ लड़कियों की शादी के लिये किया जाता है। समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, अपंगता पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

34. दिल्ली सरकार ने ''जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना'' नामक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के अन्तर्गत सरकार Eligible अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं तथा उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिये कोचिंग प्रदान करती है। कोचिंग के लिये आठ मुख्य कोचिंग संस्थानों का पैनल तैयार किया गया है।

35. दिल्ली सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 37 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। इस समय अकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 13,584/- रूपये, अर्धकुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 14,958/- रूपये तथा कुशल कामगारों की न्यूनतम मजदूरी 16,468/- रूपये प्रतिमाह है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन श्रम विभाग ने 559 दावों पर निर्णय लेते हुए क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 10.93 करोड़ रूपये का वितरण किया। इसके अलावा विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन 6318 शिकायतों का निपटान करते हुए 8.35 करोड़ रूपये कीराशि वितरित की। इससे 3234 कामगारों को लाभ मिला। दिल्ली भवन निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने 17 स्कीमों को अधिसूचित किया है, जो स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, शिक्षा आदि से संबंधित हैं। लगभग 60. 37 करोड़ रूपये की राशि विभिन्न कल्याण योजनाओं में खर्च की गई है। लगभग 2200 पंजीकृत निर्माण कामगारों तथा लगभग 63000 विद्यार्थियों को लाभ मिला है। दिल्ली में तीन विशाल रोजगार मेलों के आयोजन द्वारा लगभग 27 हजार बेरोजगारों का चयन किया गया।

36. शहर में आवास की मांग निरन्तर जारी है। J.J. बस्तियों में रहने वाले लोगों की आवास की जरूरत को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने 11.12.2017 को दिल्ली स्लम और जे.जे. पुनर्वास और पुनस्थापन नीति–2015 को अधिसूचित किया है। इस नीति में, उसी भूमि पर या आसपास के क्षेत्र में 5 किलोमीटर के दायरे के भीतर या असाधारण परिस्थितियों में 5 किलोमीटर की परिधि से बाहर जेजे कालोनियों के निवासियों को फ्लैटों में पुनर्वास की सुविधा मिलेगी। इस नीति में पात्रता की कट आफ डेट को 04.06.2009 से बढ़ाकर अब 01.01.2015 कर दिया है।

37. झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वालों की स्थितियों को गरिमामय बनाने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड 640 जन सुविधा परिसर चला रहा हे, जिससमें सामुदायिक शौचालय एवं स्नानघर बनाए गए हैं। झुग्गी बस्ती निवासियों के लिए 01.01.2018 से इन शौचालय परिसरों का इस्तेमाल निःशुल्क कर दिया गया है।

38. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने बेघर व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए सर्दियों में 263 रैन बसेरों का प्रबंधन और संचालन किया।

39. सरकार ने नगर की जल संबंधी मांग को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए जल उत्पादन 900 MGD बनाये रखा गया है। 1284 अनधिकृत कालोनियों में पाइप से पानी की आपूर्ति की जा रही है। सरकार घरेलू आपूर्ति के लिए 20 किलो लीटर प्रतिमाह तक निःशुल्क जलापूर्ति की नीति पर कायम है। Group Housing Societies भी इसके दायरे में आती है।

40. दिल्लीवासियों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से 2017–18 में भी 400 यूनिट प्रतिमाह खपत सीमित करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी जारी रखी गयी है। बिजली प्रभारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 6526 मेगावाट की सर्वोच्च मांग को जून, 2017 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सख्त निगरानी

और नियमित रूप से समीक्षा के कारण 2017 में लोड शैडिंग को कुल खपत का केवल 0.06 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है।

41. दिल्ली में सड़कों का विशाल Network होते हुए भी सड़क परिवहन पर बढ़ते भार से पेश आने वाली सुविधाओं को कम करने के लिए नये निर्माण की भी आवश्यकता है। विकासपुरी से वजीराबाद तक सिग्नल फ्री आउटर रिंग रोड़ का काम पूरा हो चुका है। बारापुला नाले पर Elevated सड़क (फेज–II) का निर्माण इस वर्ष में पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा सराय काले खां से मयूर विहार के Elevated Road का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो बारापुला फेज–III का एक भाग है। यह संभावित रूप से दिसम्बर, 2018 तक पूरा हो जाएगा। इन परियोजनाओं के अलावा मुनिरका से आर्मी अस्पताल बाहरी रिंग रोड Single Flyover का कार्य प्रगति पर है। भैरों रोड–रिंग रोड जंक्शन से पुराना किला रोड़ पर आईटीपीओ के नीचे 700 मीटर लम्बी सुरंग भी बनाई जा रही है। इससे इंडिया गेट से रिंग रोड और वापसी की सुविधा हो जाएगी।

42. दिल्ली में अभी भी सड़क परिवहन सर्वप्रिय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। इस समय दिल्ली के 556 रूटों पर डीटीसी की 3944 बसें चल रही हैं, जिससे 27 लाख यात्री यात्रा करते हैं। दिल्ली सरकार ने डीटीसी के लिए 1000 नान एसी सीनजी स्टैंडर्ड बसें खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त क्लस्टर बस स्कीम के अन्तर्गत 8 Clusters में 1647 बसें चल रही हैं। सरकार ने क्लस्टर स्कीम के अधीन 1000 नान एसी सीएनजी स्टैंडर्ड बसें शामिल करने का निर्णय लिया है।

43. DMRC का वर्तमान नेटवर्क लगभग 230 कि.मी. है। वर्ष 2018 में 104 कि.मी. का मेट्रो फेज-III कारिडोर प्रारंभ करने की योजना है। चरण-IV में लगभग 104 कि.मी. मेट्रो लाइन सरकार के विचाराधीन है।

44. Last Mile Connectivity सुविधा के लिए ई–रिक्शा के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। फरवरी, 2018 तक लगभग 45,000 ई–रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं। आटो रिक्शा की संख्या को बढ़ाने का कार्य भी विचाराधीन है। फरवरी, 2018 तक 8600 नए आटो रिक्शा परमिट प्रदान किए जा चुके हैं।

45. दिल्ली सरकार ने Common Mobiity Card लांच किया है जिससे दिल्ली मेट्रो के साथ–साथ सार्वजनिक परिवहन की बसों और क्लस्टर स्कीम के अन्तर्गत बसों में भी यात्रा की जा सकती है इसके अलावा Automated driving Test Track के लिये मारूती उद्योग के साथ Agreement पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

46. सरकार सक्रिय रूप से पर्यावरण की निगरानी और संरक्षण करने में लगी है। Graded Response Action Plan के तहत निर्माण गतिविधियों को रोकने, डीजल जनरेटर सैटों पर प्रतिबन्ध लगाने जैसे कठोर उपयों से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बनाये रखने में मदद मिली है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, होटलों आदि में 1750 Effluent Treatment Plants को स्थापित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न Effluents की Treatment लिए 13 Common Effluent Treatment Plants स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता 46.6 MGD है। इन सामूहिक शोधन संयंत्रों से 17 औद्योगिक एस्टेट से उत्पन्न Effluent का शोधन किया जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यमुना नदी, 24 ड्रेनों, सामूहिक शोधन संयंत्रों और विशेष शोधन संयंत्रों की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करती है। सरकार ने कूड़ा निपटान तथा प्रबंधन के लिए भी कार्रवाई की है। बवाना में 14 एकड़ भूमि को शोधन, भण्डारण एवं निपटान की सुविधा के लिए DSIIDC को हस्तांतरित किया गया है।

47. माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्माननीय सदन के सदस्यगण मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार के कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। माननीय उप–मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे।

48. मैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यह आशा करता हूँ कि सत्र के दौरान सभी विषयों पर सार्थक चर्चा होगी।

जय हिन्द

Hon'ble Speaker and Members,

1. I welcome you all to the Seventh Session of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

2. My Government is committed to the welfare of the citizens of Delhi. Actions of the Government have added impetus to the welfare activities and development process.

3. The Gross State Domestic Product of Delhi at the current prices is estimated to be Rs. 6,86,017 crores in 2017-18 as compared to Rs. 6,16,826 crores in 2016-17, registering a growth of 11.22%.

4. The Per Capita Income of Delhi at current prices is likely to increase to Rs. 3,29,093 in 2017-18. It was Rs. 3,00,793 during 2016-17.

5. The share of the terriary sector in Delhi's economy is about 85.92% followed by secondary sector at 12.04% and primary sector at 2.04%.

6. Government of NCT of Delhi has successfully implemented GST. Department of Trade and Taxes has integrated 75% of its existing dealers on the GST platform. About 2.25 lakh new registrations have also been approved.

7. To promote good governance, the Government has decided to deliver government services at the doorstep of the citizens through "Doorstep Delivery of Public Services" with the objective to extend the government services beyond counters at citizen's residence. Citizens willing to avail this facility can make a request to the call centers setup by the Government. The citizens will be assisted in obtaining the required services by a Mobile Sahayak at their doorstep at a prefixed facilitation fee and at a pre-scheduled date and time through the call center.

8. For development of the human resoruces, the Government has focused on strengthening and modernizing the Eduation System. Educational infrastructure has been beefed up by making about 6,400 additional classrooms functional in the existing schools.

9. Upgradation of infrastructure and construction of additional classrooms have been undertaken in 54 schools on pilot basis for providing better ambience and state of the art facilities. The work in all 54 schools is at the final stage of completion. Five Schools of Excellence with English as medium of imparting education will become functional from 2018-19.

10. Construction of 25 new Pucca School buildings in different localities of Delhi were taken up and construction of 24 school

buildings have been completed. Around 50 gram sabha sites have been identified for construction of new schools. Possession of 29 such sites have been taken over by Education Department.

11. CCTV cameras are already installed in most of the schools. It is proposed to strengthen CCTV surveillance system in all the schools including classrooms with the facility to the parents to watch the feed from the schools. Comprehensive safety guidelines for schools have been issued for the first time in consultation with all stakeholders.

12. Online system of admission has ensured that children of poor families also get admission in the unaided private schools. 24,500 EWS&DG category students have been admitted inthe entry level clas in unaided privated schools during 2017-18.

13. To promote computer knowledge among students, computer labs are functional at about 1100 Government and Government aided schools under the ICT project. It is proposed to expand the ICT scheme with state funding by enhancing the capacity of existing computer labs and by posting more manpower.

14. A new initiative "Chunauti - 2018" was implemented, aimed at bridging the accumulated learnign deficits of primary classes in Classes 6-8, ensuring rigorous inputs to address the failure trend in Class 9 and zero drop out amongst the children, who have failed in Class 9. This initiative has helped to bring out improvement in the examination results. Through the Reading Campaign students of class 6 to class 8 have improved their reading skills.

15. Students have been provided study material in simple, contextual and child friendly manner through supplementary learnign material called "Pragati".

16. To provide structural support to learning reforms, "Mentor Teachers Group" was created from amongst some of the most creative teachers of the government schools. This 200 member strong group is acting as an academic resource of the department and provides on-site support to the teachers in their respective schools by sharing innovating teaching learning proces with them. Mentor Teachers arebeign trained at National Institute of Education, Singapore.

17. Contemporary research is required to understand the bottlenecks in children's learning and to redesign curriculum and pedagogy. In this direction, a newly created Assessment Unit has been setup to perform the function of R&D in areas of children's learning.

18. An integrated approach was adopted for capacity building, whereby apart from innovative in-house capacity building programmes, 89 Heads of Schools were given training in Cambridge University, UK. 60 Heads of Schools, Teacher educators and Officers of Directorate of Educaiton are being deputed for training at university of Jyvaskyla, Finland. Heads of schools are also being trained in reputed national institutions like Indian Institute of Management and National University of Educational Planning and Administration.

19. The Right to Education Act 2009 envisages the management and monitoring of School Development Plans by School Management

Committee (SMC). SMC sabhas were held MLA constituency wise provide a forum for participation of MSC members to highlight problems being faced in the smooth functioning of the schools and to offer appropriate solutions to mitigate the problems.

20. Steps are being taken to ensure that effective inclusive education is imparted to physically challenged students. At present about 12,000 Child with Special needs (CWSN) are studying in government schools. Online module maintains a database for such students. Individualised Education Plan (IEP) has been developed for each child with special needs studying in government schools both curricular and extra-curricular activities. The process of establishing resource centres for CWSN with facilities for Special Education and related services like physiotherapy, occupational therapy etc. is under progress. At the initial phase, 14 resource centres will be set up.

21. My Government has enhanced capacity of institutes of higher learning for admission of more students in various courses during the period 2017-18. To encourage students to pursue higher education the Government has launched Merit-cum-means linked Financial Assistance on e-District Portal for providing financial assistance to the students enrolled in under graduate courses in seven state universitities in Delhi and their affiliated institutes/ colleges. Under this scheme, the eligible students are provided financial assistance by utilising the funds of Delhii Higher Education Aid Trust.

22. During 2015-16, the Government had launched Delhi Higher Education and Skill Development Credit Guarantee Scheme. Initially, the students who has passed 10th and 12th class from Delhi and pursued education from the institution in Delhi where eligible to obtain educational loan. During 2017-18, Government has extended the benefit of the Delhi Higher Education & Skill Development Guarantee scheme also to those students who have passed class 10 and class 12 from Delhi and are studying in Government Universities / Colleges / Institutes outside Delhi, located within India.

23. World Class Skill Centre was set up to give thrust to skill development. At present it is functioning from the campus of ITI Vivek Vihar and imparting skills in four different trades benefitting around 1,000 students. The institution has maintained a record of 100% placement. As the World Class Skill Centre has emerged as a successul model, the Government has decided to expand the same to create 25 such centres for trainign of around 25,000 youth per annum. The Government has decided to construct permanent campus of World Class Skill Centre at Jonapur.

24. To make Delhi a Start-up Hub, 10 Incubation centres are functioning. Currently 76 Start-ups are working in these centres. These Start-ups are not only in the field of Engineering but also in Social sciences and Management.

25. To promote Research & Development, a research grant scheme has been launched. Under this scheme matching grant is given to all those academic institutions which generate their funds for the

research purposes from industry or through any other endowments.

26. IIIT-Delhi has achieved milestone in the sphere of research and development. Infosys Centre for Artificial Intelligence has been set up for research purposes with a 3 year corpus grant of Rs. 24 Crores by Infosys Foundation. This is one of the largest grants for establishing a research centre in an academic institution.

27. Providing better health care facilities to the citizens of Delhi is one of the prime objective of the Government The health care infrastructre has 36 multispeciality hospitals including 6 Super Speciality Hospitals providing over 11000 beds. To expand the health care services number of hospitals are under construction.

28. The Government has taken several patient centric initiatives. All esential drugs are provided free of cost to ethe patients attending the public health facilities of Government of Delhi. The radiological services are being provided free of cost to all residents of Delhi at 23 DGEHS empanelled radiological centres subject to referral from the public health facilities of Delhi Government.

29. Delhi Government hospitals have been authorized to refer patients to 48 empanelled Private Hospitals for 52 types of surgeries free of cost.

30. Free dialysis service is provided in 3 hospitals viz. Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, Lok Nayak Hospital and Dr. Hedgewar

Arogya Sansthan. At present 60 dialysis machines are operational in these hospitals.

31. Laboratory diagnostics services are provided free of cost to all patients attending the Delhi Government health facilities. Free diagnostic services as per the DGEHS list is provided to the General Public in Aam Aadmi Mohalla Clinics.

32. The Government intends to bring primary health facility at the door step of resident through establishment of Aam Aadmi Mohalla Clinics (AAMC). Initially, 102 AAMCs were started on Pilot basis. During current financial year, 62 more AAMCs have been established.

33. My Government believes in inclusive development. It has extended support to the vulnerable section of the society. Department of Women and Child Development provides financial assistance to women under Delhi Pension shceme to Women in Distress. In addition to this scheme, one time grant is given to Poor Widows for performing marriage of their daughters. This financial assistance is also applicable for the guardians including homes/ and institution or foster parents for marriage of an orphan girl. Similarly, Department of Social Welfare implements three shcemes of financial assistance, namely old age pension scheme, Disabiity pension scheme; and National Family Benefit Scheme.

34. Govt. of Delhi has launched a new scheme i.e. 'Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojna'. Under this scheme the Government provides coaching to the eligible SC students for

competitive exams and higher technical studies. Eight leading Coaching Institutes have been empanelled for this purpose.

35. My Government is committed for the welfare of the labourers. Government of Delhi has revised the minimum wages by 37%. The present rate of minimum wage for unskilled workers is Rs. 13,584/- per month; for semi skilled workers, the minimum wage is Rs. 14,958/- per month and for skilled workers the minimum wage is Rs. 16,468/- per month. These rates are the highest amongst all the States and Union Territories in the Country. Under Employees Compensation Act, labour department settled 559 claims and disbursed Rs. 10.93 Crore by way of compensation. In addition to this, 6318 complaints have been settled under various labour laws and an amount of Rs. 8.35 crores has been disbursed as full and final settlement. This has benefitted 3234 workers.

    Delhi Building and other Construction Workers Welfare Board has notified seventeen welfare schemes. These schemes pertain to health, pension, maternity, educaiton etc. An amount of Rs. 60.37 crores has been spent on various welfare schemes which has benefitted around 63,000 students and 2200 registered construction workers. Further, more than 30,000 job seekers were shortlisted for jobs in 3 mega Job Fairs conducted in differnt parts of Delhi.

36. Demand for housing in the city is perennial. The poor segment of the population which cannot afford to fulfill its housing need is constrained to live in the JJ Bastis. To meet the housing need of this segment of the population my Government has notified Delhi

Slum and JJ Rehabilitation and Relocation Policy-2015 on 11.12.2017. This policy will facilitate in-situ rehabilitation of JJ dwellers in built-up flats on the same land or in the vicinitywithin a radius of 5 Kms, or beyond 5 Kms in exceptional circumstances. In this policy, the cut-off date of eligibility has been extended to 01.01.2015 from earlier 04.06.2009.

37. For providing dignified living condition to the population of JJ Bastis Delhi Urban Shelter Improvement Board is running 640 Jan Suvidha Complexes having community toilets and baths. From 1.1.2018 these toilet complexes have been made available to slum dwellers free of cost.

38. To provide relief to the homeless persons, during the winter months Delhi Urban Shelter Improvement Board operated and managed 263 night shelters/ren baseras.

39. Demand of water has been successfully met. Water production has been maintained at 900 MGD. Presently piped water supply is available in 1284 unauthorized colonies. The Government has continued with its policy of free water supply up to 20 KL per month to domestic household having functional water meter. Group Housing Societies are also entitled to this facility.

40. To provide relief to the population of the city, the subsity of 50% on Energy Charges for all domestic consumers consuming up to 400 units per month has been continued during the period 2017-18. There has been no change in the electricity tarrif. Peak Load Demand of 6526 MW was successfully met in June, 2017. Due to strict monitoring and regular review, in 2017 load shedding

was contained to only 0.06% of the total consumption. This is the lowest ever figure in Delhi.

41. Delhi has vast road infrastructure. However, to cope up with increasing load of road transportation it is necessary to create new infrastructure. The Outer Ring Road from Vikas Puri to Wazirabad has been completed, which is signal free. An elevated road over Barapullah Nallah (PH II) is under construction which is likely to be completed in this year Furtehr, constrution of elevated road from Sarai Kale Khan to Mayur Vihar is also in progress as part of Barapullah (PH III). This project is likely to be completed by December 2018. In addition to these porjects, construction of single flyover from Munirka to Army Hospital on the outer ring road and underpass at the junction of B J Marg and Inner Ring Road is in progress, the projects are expected to be completed in this year. Further, a tunnel of a length of 700 meters below ITPO from Bhairon Road-Ring Road Junction to Purana Quila Road is also under construction. This will providee easy access from India Gate to Ring Road and vice versa.

42. Road transport is still the preferred mode of public transport in Delhi . At present Delhi Transport Corporation is running 3944 busses on 556 routes, serving about 27 lakh passengers daily. Government of Delhi has decided to procure 1000 Non-AC CNG Standard buses for DTC. In addition to this, 1647 buses are also in operation in 08 clusters under the Cluster Bus Scheme. The Government has decided to indut additional 1000 Non-AC CNG Standard buses under the cluster scheme.

43. The existing network of DMRC is about 230 KM. Another 104 Kms of Metro Phase - III corridors are planned to be commissioned in 2018. Under Phase-IV, around 104 Km length of Metro Line is under active consideration of the Government.

44. For improving las mile connectivity, procedure for e-Rickshaw registration has been simplified. About 45,000 e-Rickshaws have been registered upto February, 2018. Augmentation of auto rickshaw fleet is also being undertaken. 8600 new Auto Rickshaws permits have been granted up to February, 2018.

45. Government of Delhi has launched Common Mobility Card that can be used to travel on Delhi Metro as well as pulic transport buses. By use of this card public transport users would be able to seamlessly travel between Delhi Metro and buses run by DTC and the buses under the cluster scheme. Moreoer, MOU for Automated Driving Test Track has been signed with M/s. Maruti for facilitating driving tests.

46. The Governmentis actively engaged in monitoring and protecting the environment. Strict implementation of measures like stopping of construction activity, banning of diesel generator sets etc., under the Graded Response Action Plan has helped to maintainthe air quality in Delhi. For controlling the water pollution 1750 Effluent Treatment Plants (ETPs) are installed in various industrial unites, hotels etc. For the treatment of waste water generated from the industrial areas, 13 CETPs have been installed with the capacity of 46.6 MGD. These CETPs are treating the effluent generated from 17 industrial estates. Regular monitoring of water

quality of river Yamuna, 24 drains, CETPs and STPs is conducted by DPCC. The Government has also taken action for waste handling and management. 14 acres land at Bawana has been handed over to DSIIDC for setting up of a Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF).

47. Hon'ble Speaker and Members of the august house, I have presented before you, the brief highlights of some of the activities undertaken by my Government. The Dy. Chief Minister / Finance Minister will spell out further details in his Budget Speech.

48. I extend my warm greetings and good wishes to all of your and wish you all success in your deliberations.

Jain Hind

अध्यक्ष महोदयः अब मैं माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी से अनुरोध करता हूँ कि उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री सत्येन्द्र जैनः Honourable Speaker Sir, With your permission I intend to move the following motion to day on 6th March:

" that this House expresses its gratitude to Hon'ble Lt. Governor for his address delivered to the Assembly on 16 March 2018.'

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। बैठिए, दो मिनट बैठिए, दो मिनट बैठिए।

श्री गिरीश सोनीः मैं इसका समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री कैलाश गहलोत के मंत्री बने रहने के संबंध में संवैधानिक व्यवस्था।

यह दुःखद है कि आज उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान प्रतिपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया और अनावश्यक रूप से प्वाइंट आफ ऑर्डर उठाने की मांग की जब कि अभिभाषण के दौरान इस तरह का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे माननीय उपराज्यपाल महोदय का भी अपमान हुआ है और सदन की गरिमा को भी क्षति पहुँची है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः देखिए, आप पहले...

अध्यक्ष महोदयः मैं काम की बात कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, विजेन्द्र जी, बैठ जाइए आप। मैं आपके अनुसार नहीं चलूँगा। आप जैसे डायरेक्शन देंगे, वैसे नहीं चलूँगा। मैं आ रहा हूँ उस बात पर।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्वाइंट आफ ऑर्डर उठाने का वो समय नहीं है जिस समय वो फिर बात सुन लीजिए। इनको मालूम है अच्छी तरह से।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये जानबूझ कर आपको अंधेरे में रख रहे हैं। ये जानबूझकर अंधेरे में रख रहे हैं। इनको मालूम है सारा।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ताकत इस्तेमाल करके बाहर निकाल देते हो और बात सुनते नहीं हो आप।

अध्यक्ष महोदयः मैं विजेन्द्र जी, दो मिनट बैठ जाइए आप। मैं बात पूरी कर लूँ अपनी। मैं बात पूरी कर लूँ फिर...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं बात पूरी कर लूँ, फिर अलाउ करूँगा। मैं बिल्कुल भी किसी तरह से...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं पढ़कर बता रहा हूँ ना। मैं एक–एक चीज...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं पढ़ के बता रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाऊस के मैम्बर...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं निकाल रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाऊस के मैम्बर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः मैं निकाल रहा हूँ। बैठिए आप, मैं बता रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक्सप्लेन करिए ना।

अध्यक्ष महोदयः हाँ, मैं एक्सपलेन कर रहा हूँ। अभी बैठिए आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कमेंटस करिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः माननीय नेता... देखिए, विजेन्द्र जी, फिर आप बात कह रहे हैं। बार–बार मुझे परेशान कर रहे हैं। बिना मेरी बात सुने... ओमप्रकाश जी, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए पहले। वो जो उपराज्यपाल का भाषण होता था, चले जायें माननीय लोकसभा अध्यक्षा के पास, पूछ लें। वो सदन का हिस्सा नहीं होता, वो सदन का हिस्सा नही होता है। सदन का हिस्सा अब चालू हुआ है।

अभी इसमें प्वाइंट आफ ऑर्डर उठाया आपने। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। माननीय नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्य श्री कैलाश गहलोत के मंत्री बने रहने के संबंध में अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं जब कि इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम की धारा 43(2)

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं बोल रहा हूँ। आप सुन नहीं रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बताइए।

अध्यक्ष महोदयः जब कि इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम की धारा 43(2) के अनुसार श्री गहलोत छः महीने तक सदन का सदस्य बने बिना भी मंत्री के रूप में कार्य करते रह सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा: आप गलतबयानी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: जहाँ तक उनकी भूमिका की बात है तो उसका भी अधिनियम की धारा 11 में प्रावधान है जिसके अनुसार वे सदन एवं समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर शरण वर्मा बनाम त्रिभुवन नारायण सिंह मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ऐसी नियुक्ति को अवैध ठहराया जा सके।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसमें एक मात्र शर्त ये है कि उन्हें छः महीने के अंदर सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: पहले ओथ लेनी होगी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार श्री कैलाश गहलोत के मंत्री पद पर कार्य करने में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता: जी, अब हम बोलें?

अध्यक्ष महोदय: हाँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री विजेन्द्र गुप्ता: अध्यक्ष जी, ये सदन 70 मैम्बर का है। क्या आज की तारीख में इस आदेश के अनुसार ये 50 मैम्बर का सदन है इस समय।

आज आपने एक मैम्बर को बिठाया, 71 कर दिए। जो कानून की व्याख्या आप कर रहे हैं, कल को आप 4 आदमी बिठाकर के 74 कर दीजिए। यहाँ का जो मेजोरिटी का जो एक रेशो है, उसको आप...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इनको बोल लेने दीजिए, एक बार बोल लेने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सैकेंड, आप कैसे उसको बदल सकते हैं? कोई नई, एक नई असेम्बली चुनकर आती है और कोई सरकार चार आदमी या छः के छः आदमी या सात के सात आदमी ओथ दिला के और उनको अंदर बिठा दें और 77...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैंकेंड, एक सैकेंड, अखिलेश जी दो मिनट...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सैकेंड, हम अध्यक्ष जी, एक मिनट मैंने आपसे, आप कहते हो कि आपने बोला है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के एंगल से एक बात कही लेकिन अब मैं लॉजिकल तरीके से आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये ऑर्डर कब निकला है? ये ऑर्डर निकला है 8 मार्च, 2018 को। डिस्क्वालिफाई कब हुए हैं? ये 8 मार्च को, आपके अकॉर्डिंग, हो तो जनवरी में गए हैं लेकिन आपने जो यहाँ पर आदेश जारी किया है, वो 8 मार्च को किया है। जब ये 8 मार्च को डिस्क्वालिफाई हो गए, ओथ उन्होंने पहले ली थी, डिस्क्वालिफिकेशन से पहले ली थी, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद

नहीं ली है तो ये जब ये डिस्क्वालिफाई हो गए तो उस ओथ का क्या रेलवेन्स रह गया? एक बात। दूसरी बात ये है, कानूनी तौर पर भी और नैतिकता के आधार पर भी कि जो आदमी इस सदन से इसलिए अयोग्य हुआ कि उन्होंने लाभ के पद का दुरूपयोग किया, तो क्या आम आदमी पार्टी या दिल्ली की सरकार अनैतिकता की पराकाष्ठा के आधार पर भी, अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति जो डिस्क्वालिफाई हुआ है सदन से...

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात हो गई?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः वो आपने यहाँ मंत्री... एक सैकेंड।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अभी तो आप कानून की दुहाई दे रहे थे। कानून ये है, कूनन ये है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दूसरा, जितने भी संविधान के विशेषज्ञ हैं, आपके सुभाष कश्यप हों, जिनको जाकर के आप भी राय लेते हो, उन्होंने भी सबने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली की, ये दिल्ली की असेम्बली में सिंगल हाउस सिस्टम है, दो हाउस सिस्टम नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड, सोमनाथ जी।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ता : इनको आप बाहर करिए, ये बिल्कुल इनका यहां बैठना, ये बिल्कुल xxx[1] सदस्य है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब आपकी बात, पूरी हो गई आपकी बात?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इन्होंने अभी तक...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात पूरी हो गई? आपकी बात पूरी हो गई.

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मंत्री के रूप में...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात पूरी हो गई है?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप हमें बताएं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं बता रहा हूँ ना आपको।

... (व्यवधान)

1. xxx चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।

अध्यक्ष महोदयः ये विषय मंत्रियों का नहीं, ये मेरा विषय है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आपने साइन कर...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप बैठिए अब। आप बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो सरकार का विषय नहीं है। वो मेरा विषय है, सरकार का विषय नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कार्यवाही में भाग...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बैठिए अब। आप बैठिए आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब बैठिए आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठेंगे अब या नहीं?

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, हम बैठ जाएंगे लेकिन...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपने बात कह ली है, अब उत्तर सुनेंगे?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ।

अध्यक्ष महोदयः मैंने शांतिपूर्वक सबको रोका है। डिस्टर्ब ना करें, बैठिए प्लीज। बैठिए। मैं माननीय नेता, विपक्ष को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, मैंने इस पुस्तक का नियम भी कोट किया। मैंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी कोट किया; कोई भी किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है, चाहे वो एमएलसी है, चाहे वो विधान सभा है, चाहे वो राज्य सभा है, चाहे लोक सभा है, वो मंत्री पद ग्रहण कर सकता है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ, एक सैकेंड, दो मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे पूरी बात करने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे पूरी बात करने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे पूरी बात करने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पूरी बात करने दीजिए एक बार। मुझे पूरी बात तो करने दो। कैलाश गहलोत जी पहले से मंत्री थे, ये बात ठीक है, जो आप

कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ये निर्णय दिया है। अभी वो केस हाई कोर्ट में पैंडिंग है, उसका डिसीजन आना है। हाई कोर्ट ने ना स्टे दिया, ना उनको बाहर किया।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः स्टे नहीं दिया ना।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब बैठ जाइए विजेन्द्र जी, मैं एक–एक चीज पर आ रहा हूँ। मैं एक–एक चीज पर आ रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अपने ऑर्डर पर आइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः 8 तारीख को मुझे जब इस विषय पर लिखित पत्र मिला, उस वक्त मैंने 8 तारीख को अपनी ओर से जारी किया कि ये सदस्य अब इस सदन के सदस्य नहीं हैं लेकिन कोई भी कानून में ये पहलू है; अगर आपको कहीं कोई एतराज है, कानून सबके लिए खुला है, कोई भी सदस्य 6 महीने तक चुनाव लड़े बिना सदन का सदस्य रह सकता है। ये सरकार का अपना विषय है, ये सरकार का अपना विषय है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, वो रह सकता है।

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: बिना ओथ लिए?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरूण जेटली भी, मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा, लोक सभा चुनाव हारने के बाद from the very first minute वित्त मंत्री बने हैं। योगी जी चार–चार मुकदमें थे, बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इसमें छोड़ दीजिए अब। मैं फिर बोलूंगा तो फिर बड़ी पीड़ा होगी। मैं बोलूंगा तो बहुत पीड़ा होगी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, उनको बोलने दीजिए, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे कहीं...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मनजिंदर जी, आप समझदार है, आपसे ये अपेक्षा नहीं है मुझे। आप बहुत समझदार व्यक्ति है, आपसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, आप हमें सेकेंड दे दें,. हमारा इससे आगे विषय नहीं है, मुझे 30 सैकेंड अपनी बात का जवाब दे दें अगर आपकी इजाजत हो।

अध्यक्ष महोदयः बताइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः स्पीकर साहब, हम इस बात पे नहीं कह रहे कि ये 6 महीने तक मंत्री नहीं रह सकते, ये विषय यहाँ पर नहीं है। यह भी विषय नहीं है कि ये विधान सभा के अंदर नहीं आ सकते, ये दोनों विषय नहीं हैं। विषय केवल एक है कि जब...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, उनको बोल लेने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः विषय ये है कि आपने अपने ऑर्डर के तहत जो इलैक्शन कमिशन ने 20 मैम्बर्स को डिस्क्वालिफाई किया था, आपने भी जब कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली, उनको डिस्क्वालिफाई मान लिया और उनके खिलाफ ऑर्डर निकाल दिया। जब एक इलैक्टिड मैम्बर जिसने ओथ ली है संविधान की एज ए मिनिस्टर, जब वो डिस्क्वालिफाई हो जाता है। As an MLA, he he is bound to be disqualified as a minister also. उसको. .. हमें दिक्कत नहीं है, उसको ओथ कराते। ओथ कराके उसको मिनिस्टर बनाएं लेकिन आज संवैधानिक तौर पर एक बात।

दूसरी मैं आपके माध्यम से...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उनकी सुनूँ या... आपकी सुनूँ या उनकी सुनूँ?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपकी सुनूँ या उसकी सुनूँ?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः स्पीकर साहब आपके माध्यम से एक सवाल और है मेरा। आज हम इस हाउस को इतना जरूर बता दें आप कि क्या ये मिनिस्टर के रूप में, क्या सरकार के काम काज का निर्वहन कर रहे है; क्या ये मिनिस्टर के रूप में फाइलें साइन कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सर, मेरी विनती है देखो, हम आपके माध्यम से जवाब चाहते है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपकी बात सुनूँ या विजेन्द्र जी की सुनूँ? बताइए, किसकी सुनूँ?

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बात तो सिम्पल है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, किसकी बात सुनूँ बताइए?

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः एक ही है हमारा, उनका दे दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, तो एक आदमी बोल ले।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमारा ये कहना है क्या ये मिनिस्टर के रूप में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सरकार को; क्या ये मिनिस्टर के रूप में अपनी तनख्वाह ले रहे है; क्या ये मिनिस्टर के रूप गाड़ी झंडा चला रहे है? हम इस बात का जवाब चाहते है और अगर ये सरकार इनको मिनिस्टर के रूप में ये सर्विसेज आप कर रहे हैं, हमें पता चल जाए, आप बताएं अगर ये मिनिस्टर के रूप में वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क पया पटल पर आप इसकी जानकारी दे, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः दूसरी बात अध्यक्ष जी, ये है कि आप...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः या तो सलाह कर लीजिए दोनों, किसने क्या पूछना है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ जी।

अध्यक्ष महोदयः या तो दोनों आपस में सलाह कर लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या कर लें सलाह? मैंने तो...

अध्यक्ष महोदयः मुझे समझ नहीं आती बात!

श्री विजेन्द्र गुप्ताः फिर मैं बोलूँगा, मैंने ये थोड़ा कहा था कि मैं नहीं बोलूँगा। आपने कहा।

अध्यक्ष महोदयः आप तो पहले बोल चुके हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैंने कहा, पहले वो बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदयः आप पहले बोल चुके, मैं रूलिंग दे चुका।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः With due all regards आप हर तरह से सम्मानीय है, दिलों की गहराइयों तक सम्मानीय हैं, बड़े भी हैं, मेरे पूर्व, वर्षों से संपर्क भी और संबंध भी हैं आपसे और फिर आप सबसे ऊपर स्पीकर हैं तो इसलिए हर तरह से आपके प्रति सम्मान है। आप कितने भी जुल्म और हमारे ऊपर सितम ढा लीजिए फिर भी आपके लिए सम्मान है। कोई उसमें इशू नहीं है। मैं अध्यक्ष जी, इतना कहना चाहता हूँ अगर सरकार इसी तरह से ये जो चीजों को अपने हक में मोड़ने के लिए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो बनकर आई थी 67 सीटें जीत के...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः विषय पर बोल रहा हूँ...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इतना समय नहीं है मेरे पास, छोड़ दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः 6 मैम्बर और...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं सिरसा जी, उत्तर दे रहा हूँ...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इन्क्लूडिंग चीफ मिनिस्टर।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी का....

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप उनको इन्क्लूडिंग चीफ मिनिस्टर कराइए और आप सब आइए और इन सबको अंदर बिठा दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, बैठिए अब।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पर लोगों के सामने सच आना चाहिए लेकिन आप एक ऐसे को बिठा रहे हैं जो xxx ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, आप बैठिए।...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हमें इस पर कड़ा विरोध है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आप xxx शब्द को, ये xxx शब्द हटा दीजिए

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कड़ा विरोध है।

अध्यक्ष महोदयः ये xxx[2] शब्द हटा दीजिए। ठीक है, ठीक है।

---

2. चिह्नित शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से हटाया गया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सदन में यहां पर बहुमत के आधार पर, यहां पर पूरी तरह से अन्यायपूर्ण कार्यवाही हो रही है।

अध्यक्ष महोदयः चलिए ठीक है धन्यवाद। मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण तथा नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की सूचनाएं प्राप्त हुई है। इनमें से कई विषय सीलिंग के मुद्दे से संबंधित हैं, जिस पर अल्पकालिक चर्चा आज पहले से सूचीबद्ध है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि आज कार्य सूची में दर्शाये गये विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। सदन का समय महत्वपूर्ण होता है। सीमित समय में अधिकतम कार्य करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकांश सूचनाएं जिस विषय को लेकर दी गई हैं, उन पर माननीय सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तथा अल्पकालिक चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए उक्त सभी सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। सुश्री राखी बिड़ला, श्री जगदीश सिंह जी, कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

सुश्री राखी बिड़लाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हूँ।[3]

अध्यक्ष महोदयः अब सुश्री राखी बिडला, श्री अजेश यादव जी, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

---

3. www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध

सुश्री राखी बिड़लाः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक को और संकल्प संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हूँ, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हाँ, आप आइए, चर्चा में आइए ना। ये तो मेरा अपना अधिकार है। मैंने नोटिस स्वीकार किया है। अब सीलिंग पे ही आ रहा हूँ। सीलिंग पे 15 लोगों की मैंने, 20 लोगों की मैंने। मैं कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ, सौरभ भारद्वाज जी, सीलिंग प्रक्रिया के दौरान, परिसरों की सीलिंग और पुलिस की क्रूरता के कारण दिल्ली के लोगों को।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपको तो हर जवाब लेना... मुझे भी एक जवाब का उत्तर देना है आपको, बाद में दूँगा, मैं बाद में दूंगा, प्लीज बैठिए, आप सीलिंग पे चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्यों नहीं करना चाह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः तो फिर आप बैठिए आराम से। आप सीलिंग की चर्चा से भाग रहे हैं क्या या भागना चाह रहे हैं? आपको जो कुछ कहना है, आप मुझे अपनी चर्चा में कहिएगा।

सौरभ भारद्वाज जी बोलिए आप। अन्य सदस्य भी चर्चा में भाग ले सकेंगे, मुझे अपना नाम भेज दें। चलिए सौरभ जी शुरू करिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, ये चीज एक हाथ से लें, एक हाथ से दें, मैं बहुत क्लीयर सदन में बोल रहा हूँ, मुझे प्यार से चलाने देंगे, मैं जरूर रखूँगा, आप प्यार से, आज उपराज्यपाल के समय जो कुछ हुआ, मुझे बहुत पीड़ा हुई है और सबसे ज्यादा आप शोर मचा रहे हैं। सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे आप। चलिए, सौरभ जी।

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

(सीलिंग प्रक्रिया के दौरान परिसरों की सीलिंग और पुलिस की क्रूरता के कारण दिल्ली के लोगों को हुई पीड़ा पर)

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः शुरू करिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने सीलिंग के विषय में मुझे बोलने का मौका दिया है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने कहा मैं दो बजे जवाब दूँगा, उसके बाद बैठ जाना चाहिए। ये नौबत नहीं आनी थी। चलिए, पूरा जवाब दे दिया मैंने। मैंने पहले बोल दिया। मैं एक एक्सैप्ट कर रहा हूँ और किसी का नहीं। आप नाम लीजिए ना। मैं मना थोड़े ही कर रहा हूँ।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने...

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद आपका और आपके अंदर इतनी पेशेंस है, आपको लोग दिन–रात कोसते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उसके बावजूद भी, आप इनके साथ इतना गरिमामय तरीके से व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है कि आपको हमारा प्रणाम है कि आपकी पेशेंस, सब लोगों को मिले।

अध्यक्ष जी, ये जो मामला आज हम सीलिंग का आज उठा रहे हैं, मैं सबकी सहूलियत के लिए बताना चाहूँगा कि दो महीने पहले ये हाउस लगा था, 16 जनवरी से लेकर 2–3 दिन का हाउस था और पूरे दो महीने हो गए हैं, उस दौरान भी इस हाउस ने सीलिंग के ऊपर एक पूरा दिन, सीलिंग के ऊपर चर्चा की थी। उसके ऊपर हम लोग एक संकल्प–पत्र लाए थे, एक रेजल्यूशन लाए थे और उस वक्त जो मामले थे, जो मुद्दे थे, आज भी ठीक वैसे ही मामले, वैसे ही मुद्दे सीलिंग के ऊपर ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। उस वक्त जब सीलिंग शुरू हुई थी तो डिफेंस कॉलोनी मार्केट से सीलिंग शुरू हुई थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि जिन मार्केटस के अंदर दुकानदारों ने कन्वर्जन चॉर्जेज नहीं दिए हैं, उसके कारण उनकी सीलिंग हो रही है। उसके बाद मामला आगे बढ़ा तो फिर बताया गया कि जिन दुकानदारों की दुकानें मास्टर प्लान के अधीन नहीं आती हैं या किसी कारणवश वो मास्टर प्लान के बाहर हैं, उनकी सीलिंग की जा रही है। बाद में मामला ओर आगे बढ़ा। फिर कहा गया कि स्टिल्ट पार्किंग में जिन लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी की हुई है, उनकी सीलिंग की जा रही है। फिर पता चला कि मॉर्बल मॉर्केट के अंदर सीलिंग की गई है। फिर कुछ ओर दिनों के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा कि अब स्टिल्ट पार्किंग के अंदर अगर किसी ने चौकीदार का कमरा भी बना रखा है, तो भी उसकी सीलिंग की जा रही है। कुछ दिन पहले अमर कालोनी मार्केट के अंदर ये कह

के सीलिंग की गई है कि इन दुकानदारों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, इसलिए इनकी सीलिंग की जा रही है। और हर मार्केट के अंदर जब सीलिंग होती है अध्यक्ष महोदय, तो नये–नये कारण दिए जाते हैं। ये बात सबको मालूम है। हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम है कि दिल्ली के अंदर जो लैण्ड है, लैण्ड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर; ये 3 मामले ऐसे हैं, जो हमेशा से केंद्र सरकार के पास आते थे, एक सर्विस का मामला ऐसा है, जो इन्होंने छीन रखा है। बाकी लैण्ड का जो मामला है, वो हमेशा से दिल्ली के अंदर एमसीडी के पास और डीडीए के अधीन आता है। अक्सर जब भी सीलिंग के बारे में बात आती है तो काँग्रेस और बीजेपी एक–दूसरे पर आरोप लगाते हैं। काँग्रेस के लोग कहते हैं कि अभी के जो अर्बन डवलपमैंट मिनिस्टरी है, केंद्र सरकार की, वो डीडीए के मास्टर प्लान के अंदर उपयुक्त संशोधन नहीं कर पा रही, इस कारण सीलिंग हो रही हैं। भाजपा की केंद्र सरकार ये कहती है कि पुराने जो यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने समय रहते मास्टर प्लान के अंदर संशोधन नहीं किए, इसलिए सीलिंग की जा रही है। अलग–अलग व्यापारी अलग–अलग बात को उठा रहे हैं, मुझे लगता है पहले दिन से हम लोग ये बात उठा रहे हैं और कोई भी आदमी अगर इस चीज को समझता होगा, दिल्ली के व्यापार को समझता होगा, दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान को समझता होगा, वो आदमी यही कह रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है सीलिंग को रोकने का, वो तरीका ये है कि दिल्ली के लिए केंद्र सरकार या तो एक ओर्डिनैंस लाए, अध्यादेश लाए और क्योंकि अब ये सदन चल रहा है वहाँ पर बजट सैशन चल रहा है तो इस वक्त केंद्र सरकार दिल्ली के विषय के अंदर एक बिल ले आए, एक कानून ले आए जिसके अंदर दिल्ली की जितनी भी कमर्शियल प्रोपर्टीज हैं, इस तरीके की, उनको मॉनिटोरियम दिया जाए, एक माफी दी जाए, एक तय समय सीमा दी जाए। तीन साल की, दो साल की माफी दी जाए

और इस दो या तीन साल के अंदर डीडीए और एमसीडी, जो भी कानून हैं उनके अंदर बदलाव लाके, नोटिफिकेशंस लाके, उन दुकानदार भाइयों को, उन व्यापारियों को मौका दे कि वो अपनी कमर्शियल प्रोपर्टीज को रैगूरलाइज करें। ये बात सब लोग समझ रहे हैं, हमारे भाजपा के जो मित्र हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वो पहले दिन से कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं। पहले बहाना ये था कि हमने जी, कमर्शियल चॉर्ज कम करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इनके कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर बहाना इनका ये था कि दिल्ली के अंदर 351 सड़कें हैं जो 2007 से लेकर अभी तक नोटिफाई नहीं हुई हैं। वो दिल्ली सरकार कर दे तो सीलिंग रूक जाएगी। पहले हमने कमिश्नर्स को हाउस की कमेटी में बुलाया था और अभी दुबारा भी एमसीडी से सवाल लगाए। जिसका जवाब हमें आया है। एक भी दुकान ऐसी नहीं है दिल्ली के अंदर जो उन 351 सड़कों पे आती हो और उसके अंदर सीलिंग हुई हो। एक दिन हमारे मित्र विजेन्द्र गुप्ता जी ने ट्वीट भी किया था, हमारी ट्विटर पर थोड़ी बातचीत हुई थी, मैंने इनको ट्वीट पर ही जवाब दिया था कि एक दुकान का एड्रेस दे दो... मैं बताता हूँ, आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। मैंने एक मिनट रूक जाओ अखिलेश भाई।

अध्यक्ष महोदयः भई अखिलेश जी, आप चर्चा में अपना नाम भेजिए ना, जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैंने विजेन्द्र गुप्ता जी से पूछा टिविट्र पर विजेन्द्र गुप्ता जी एक दुकान का एड्रेस दे दो दिल्ली के अंदर जो उन 351 सड़कों पर आती हो।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः बैठिए, मैं बताता हूँ। बैठो मैं बताता हूँ। तो उसके अंदर...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, वो बोल रहे हैं आपको मौका मिलेगा ना आप बात रखना। आपको जब मौका मिलेगा, जब बात करना पूरी।

श्री सौरभ भारद्वाजः आपको मौका मिलेगा।

अध्यक्ष महोदयः आपको जब मौका मिलेगा, प्रस्तुत करना ना उसको। आप उनको बोलने तो दो ना। फिर जब आपको डिस्टर्ब करेंगे, परेशानी होगी। चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः आपको गुस्सा खाने की जरूरत नहीं है। 100 दुकानें, दुकानें तो आपकी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए, सौरभ जी, आप अपनी बात।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैंने अध्यक्ष महोदय, टिविटर पर ही इन्हीं को ही टेग किया और मैंने पूछा माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी, आप एक दुकान का ऐसा एड्रेस बताइए जो उन 351...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई विजेन्द्र जी, आप बीच में टोक रहे हैं और आपको सब टोकेंगे फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। आपको बारी मिलेगी ना। आप सदन का समय खराब कर रहे हैं।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैंने इनको टेग करके पूछा कि एक दुकान का एड्रेस बताइए जो इन 351 सड़कों पे आती हो और उसको सील किया हो। गुप्ता जी को मौका मिल गया। गुप्ता जी ने तुरंत एक वीडियो डाला, उसके अंदर कि एक दुकानदार बहुत सारे लोगों के झुंड के अंदर पुलिस से लड़ रहा था कि ये दुकानें सील नहीं होंगी और गुप्ता जी ने कहा कि देखो कितनी बुरी बर्बरता हो रही है और ये वो 351 सड़कें हैं, जहां पर सीलिंग हो रही है और वो जो आदमी पुलिस से लड़ रहा था, वो कौन था अध्यक्ष जी? हमारे विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी। मैंने इनको फोन लगाया, मैंने कहा, तुमको गुप्ता जी ने अभी–अभी दुकानदार बनाया है, मुबारक हो, और इनसे पूछा कि ये दुकान जो है, ये इन 351 सड़कों में कौन–सी सड़क है? तो जो वहां के विधायक है अखिलेशपति त्रिपाठी जी, उन्होंने मुझे बताया ये एलएससी है; लोकल शापिंग सेंटर। अध्यक्ष जी, लोकल शापिंग सेंटर पहले से ही कर्मशियल होता है। अगर लोकल शापिंग सेंटर होता है तो उसको 351 सड़कों पर लाकर दोबारा से उसको मिक्सलैण्ड, मतलब उल्टी गंगा कैसे बहाओगे? क्या आप कर्मशियल को और इसके अंदर विजेन्द्र गुप्ता जी की गलती नहीं है। वो इनको किसी ने फंसा दिया है।

अध्यक्ष महोदयः कोई बात नहीं, आप अपनी बारी आएगी, जब बता देना।

श्री सौरभ भारद्वाजः तो अध्यक्ष जी, कहने का मतलब ये हैं कि मेजोरिटी अगर देश में किसी को अगर मिली है तो वो फायदा उठा रहे हैं। हमें दिल्ली में मिली है तो हम फायदा उठा रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई विजेन्द्र जी, ये बार–बार टोका टिप्पणी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं आपको, वो बता रहे हैं जानकारी दे रहे हैं। वो मुझे एड्रेस कर रहे हैं। ये 351 सड़कों का किसने मुद्दा उठाया था? 351 सड़कों का सदन में किसने मुद्दा उठाया था? हाँ, आप, अपनी बारी आएगी, आप बोलना, मना कौन कर रहा है?

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं इस चीज को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, इसके अंदर कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, सौरभ जी, आप बोलिए। इसमें इनकी पोल खुल रही है, इसलिए आगे ले जाइए।

श्री सौरभ भारद्वाजः मामला अध्यक्ष जी, ये नहीं है कि 351 सड़कों का क्यों मामला है। समस्या ये है कि 351 सड़कों का मामला क्यों उठाया जा रहा है। क्यों ऐसा है कि कांग्रेस 351 सड़कों की बात करती है, बीजेपी 351 सड़कों की बात करती है। 3800 दुकानें सील हो गई, उसकी बात नहीं करते। उनकी बात नहीं करते, उन सड़कों की बात करते हैं, जहाँ सीलिंग ही नहीं हुई है। ये सवाल है और मेरा अखबार के मित्रों से भी सवाल है, वो उन 351 सड़कों को रोज छापते हैं। एक बार, उनमें से कोई पत्रकार ऐसा नहीं है कि 351 सड़कों पर जाकर के देखे कि वहाँ पर सीलिंग हुई भी है या नहीं हुई है। जहाँ पर हुई है, उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, अभी तक दुकानदारों को इन लोगों ने गुमराह किया। हर बार जब एमसीडी के इलेक्शन आते थे, ये कहते थे कि कन्वर्जन चॉर्ज माफ कर देंगे! कन्वर्जन चॉर्ज माफ कर देंगे! और अब उनसे कन्वर्जन चॉर्ज

भी वसूल कर रहे हैं। उनको झूठे–सच्चे कागज बनाकर दे देते थे, कहते थे 'तुम्हारा अप्रूव हो गया है, तुम्हारा रेगुलराइज हो गया।' वो बेचारे अभी भी इसी गलतफहमी में हैं कि उनको इन्होंने रेगुलराइज किया, इन्होंने उनको रेगुलराइज नहीं किया। मेरा मानना ये है अध्यक्ष जी, कि जितनी भी दुकानें है दिल्ली के अंदर और जितनी भी अलग–अलग मार्किट्स... उन सबकी समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही निवारण है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ये मास्टर प्लान के अंदर बदलाव। ये कन्वर्जन चॉर्ज को कम करना, ये 351 सड़कें, ये रेजल्यूशन लाओ, ये आप असेम्बली के अंदर बिल ले आओ, आप ऐसा कर दो, आप वैसा कर दो, ये सिर्फ मामले को उलझाने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि केन्द्र सरकार इस विषय के अंदर अध्यादेश लाए, केन्द्र सरकार अध्यादेश में ये कहे कि जितनी भी ये कमर्शियल एस्टेबलिशमैंट, इनको हम दो साल का या तीन साल का मॉरिटोरियम दे रहे हैं। इस दौरान हम इन सब लोगों को मौका देंगे कि ये कानून के हिसाब से अपने आपको रेगुलराइज कर लें। इसका मौका इनको देना चाहिए और अध्यक्ष जी, जहाँ तक आर्डिनेंस का सवाल है, ऐसा नहीं है कि नरेन्द्र मोदी जी को मालूम नहीं है कि आर्डिनेंस क्या होता है। पहला काम प्रधानमंत्री बनने के बाद, पहला काम अगर देश के प्रधानमंत्री ने किया, तो वो क्या किया था? उन्होंने ये किया कि ये अफसर, मुझे अपना प्रधान सचिव बनाना है, उसको प्रधान सचिव बनाने का कानून इजाजत नहीं देता था। नृपेन्द्र मिश्रा जी को प्रधान सचिव नरेन्द्र मोदी जी बनाना चाहते थे। देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था, उनको कानून के खिलाफ काम करना था। तो उन्होंने क्या किया? पहले ही दिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वे आर्डिनेंस लाए, अध्यादेश लाए और उनको उन्होंने अपना प्रधान सचिव बनाया। बाद में उन्होंने क्या किया ऐसा नहीं है कि इन्होंने कानून बाद में तोड़े नहीं हैं। कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से

आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहे थे कि ये फॉरेन फंडिंग लेते हैं, ये विदेशों से पैसा लेते हैं, ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। हमारे ऊपर तो कुछ साबित नहीं हुआ मगर दिल्ली के हाई कोर्ट के अंदर ये चीज साबित हुई कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विदेशियों से चंदा लिया और हाई कोर्ट ने आर्डर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए और इन दोनों ने क्या किया अध्यक्ष जी? कांग्रेस और बीजेपी मिल गए और इन्होंने देश का कानून ही बदल दिया। इन्होंने बेकडेट के अंदर देश का कानून बदल दिया ताकि कॉंग्रेस और बीजेपी की जो पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन है, उसको बचाकर रख सकें। तो इन लोगों को जब–जब मौका मिला, अपने लालच के लिए इन्होंने देश का कानून भी बदला है, बिल के माध्यम से बदला है और अध्यादेश के माध्यम से बदला है। मगर आज जब दिल्ली के अंदर व्यापारी भूखे मर रहे हैं, करीब 3800 दुकानें इस वक्त सील हो चुकी हैं। अध्यक्ष जी, मान लीजिए 3800 परिवार तो वो हैं, जिनकी रोजी–रोटी बिल्कुल खत्म हो गई है। एक–एक दुकान के अंदर 10 से 15 जो नौकर होते हैं, जो कामगार होते हैं, उनके परिवार आज भूखे मर रहे हैं। इन दुकानदारों ने लोन लिए हुए हैं बैंको से। इनके बच्चों की स्कूल के अंदर फीस जाती है, इनको घर का किराया देना होता है। वो लोग किराया नहीं दे पा रहे हैं, लोन की किश्त नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि दो–दो–तीन–तीन महीने से उनकी दुकानें सील पड़ी हुई हैं और अभी कोई पता नहीं है कि कब तक उनकी दुकानें सील रहेंगी। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों ने सात सांसदों को जिताकर संसद के अंदर भेजा। एक भी सांसद ने अब तक इसके लिए आवाज नहीं उठाई है अध्यक्ष जी, संसद के अंदर। आज अगर एक सांसद भी बजट सत्र के अंदर वहाँ पर बैठ जाए, वेल के अंदर आ जाए और वो बोले कि भाई साहब, हम इस सदन को तब तक नहीं चलने देंगे, जब तक मोदी जी कानून नहीं लायेंगे।

तो ऐसा हो सकता है कि कानून न आए? मगर किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, कोई मॉरिशस घूम रहे हैं, कोई अपने घर में ही कहीं घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं है किसी की अध्यक्ष जी, घूम–फिर के सब कुछ लादेंगे कि दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार अध्यादेश ले आए।

अध्यक्ष महोदयः अभी देख लो जनाब! पट्टी मत बाँध के बैठो। हम नहीं, नीचे तो आप पट्टी मत बांधकर बैठो। 15 मिनट हो गए है, आए हुए। चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को यही कहकर खत्म करूँगा कि इस चीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि केन्द्र सरकार या तो कानून लाए या अध्यादेश लाए। हमारे बीजेपी के तीन मित्र यहां पर बैठे हुए हैं। ये लोग भी दिल में जानते हैं कि ये ही एक सॉल्यूशन है और इनको तो वोट दिया उन लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने इनको वोट दिया है। हम लोग अपने भाजपा के लोकल लीडर से पूछते हैं, 'एक बात बताओ, तुमको तो ट्रेडर लोग बहुत वोट देते थे, अगर तुम इस तरीके से उनके पेट पर लात मारोगे तो वोट कौन देगा तुमको?' तो ये कहते हैं कि वोट ट्रेडर को कोई ना देना है, वोट तो ईवीएम से आ ही जाएगा। अभी तो जो करना है, करेंगे। तो अध्यक्ष जी, अब मैं फिर से आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप हमें मौका दें कि इस बार सदन के बीच में एक रेजल्यूशन पास करा सकें और उस रेजल्यूशन को हम लोग मिलके केन्द्र सरकार को भेजें कि केन्द्र सरकार या तो अध्यादेश लाए।

अध्यक्ष महोदयः अभी चर्चा होने दीजिए रेजल्यूशन का बाद में लाएं। विशेश रवि जी। माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि नाम बहुत ज्यादा है केवल 5–5 मिनट बोलें। धन्यवाद।

श्री विशेष रविः धन्यवाद, अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर, आज बहुत ही दुःख का समय है। व्यापारी, दुकानदार सब बहुत परेशान हैं। सब लोग तकलीफ में हैं और उसका एक ही कारण है कि दिल्ली में इस समय सीलिंग का प्रकोप चल रहा है और लगभग तीन हजार से ऊपर दुकाने सील हो चुकी हैं और व्यापारी और दुकानदार को, दुकानदारों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रहार उनके ऊपर हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए और वो चारों तरफ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं से मिल रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं और ये इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इसको रोका जाए। अभी बहुत अच्छे से सौरभ भारद्वाज जी ने हम सबके बीच में जानकारी रखी कि इसको कैसे रोक सकते हैं हम और इसमें हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए।

मैं इससे अलग एक छोटी सी बात करना चाहूँगा अध्यक्ष जी, कि हमें ये देखना होगा कि दिल्ली के अन्दर ये हालात बने क्यों? दिल्ली के अन्दर इस समय जिन दुकानों को, जिन व्यापारियों के काम को बंद किया जा रहा है। जिन वायलेशंस को कहके बंद किया जा रहा है, चाहे वो मिसयूज है, चाहे वो अनॉथराइज कंस्ट्रक्शन है, एन्क्रोचमैंट हैं या मास्टर प्लान का हिस्सा है, उसके नियम कानून का पालन नहीं करने की वजह से है। ये सब चीजे रातों–रात तो हुई नहीं अध्यक्ष जी। इन सबको बनने में, इन सब वॉयलेशंस को होने के अन्दर बहुत लम्बा समय लगा है और जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस समय जो उस क्षेत्र के अधिकारी थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी, इनको रोकने की, इसपे चेक रखने की, इन सब चीजों को लगाम लगाने की कि उनके इलाके के अन्दर कोई वॉयलेशन न हो, उनके इलाके के अन्दर किसी भी तरह की जो है, गड़बड़ी न हो, उन

लोगों ने अपना काम नहीं किया। अभी हमारी विधान सभाओं की कमेटी ने अधिकारियों को बुलाया था। एमसीडी के तीनों कमिश्नर्स को बुलाया था। वहाँ पर उन सभी के साथ उनके सारे अधिकारी भी थे, तो वहाँ भी हमने इस विषय को उठाया कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सारे वायलेशंस हो रहे थे, तो उस समय आप लोग कहां थे? क्यों नहीं आपने समय रहते ही, ये जो कंस्ट्रैक्शन हो रही थी या मिसयूज ऑफ बिल्डिंग था या एंक्रोचमेंट था, उस समय, समय रहते आप लोगों ने इसको क्यों नहीं रोकना चाहा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि क्यों ऐसा होता है हर बार कि आम नागरिक और व्यापारी ही पिस्ते हैं, इस समस्या के अन्दर? क्यों सिर्फ उनपे हत्याचार होता है? क्यों सिर्फ उन्हीं की दुकानें बंद होती हैं? जब क्यों नहीं ये मॉनिटरिंग कमेटी ये देख रही है? ये इस बात को ले के चिंता कर रही की अगर व्यापारियों की तरफ से गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी के असली जिम्मेदार तो वो अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको तनख्वाह मिल रही है, जिनको संसाधन मिल रहे हैं इस काम को देखने के लिए, चेक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। क्यों सिर्फ व्यापारियों पे ही कार्रवाई की जा रही है? तो मेरी आपसे ये, बहुत कम शब्दों में ये प्रार्थना है कि हमने इसको कमेटी में भी उठाया है और यहाँ भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सिर्फ व्यापारियों को इसके अन्दर नहीं प्रताड़ित किया जाए, उनको नहीं तंग किया जाए। बल्कि उस कार्यकाल को निकाला जाए, जिस दुकान को आज ये मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पे सील किया जा रहा है, वो ही अधिकारी, जिन्होंने इसको बढ़ावा दे के, करप्शन को दे के बनवाया, आज वो ही फाइल ले के जाके उसको सील कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, तो मेरी ये प्रार्थना है कि जिस कार्यकाल के अन्दर, जिस भी अधिकारी के कार्यकाल के अन्दर ये सब कुछ हुआ, उस अधिकारी

को भी जो है, लंबित करना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि आने वाले भविष्य के अन्दर क्योंकि अगर अभी जैसे मर्जी पॉलिटिकल इन्टरफेयरेंस से हो सकता है कि ये रुक जाए, सीलिंग जो रूकनी भी चाहिए। लेकिन भविष्य में ऐसा कुछ न हो, उसके लिए मुझे लगता है कि जो अधिकारी जो दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ये ऐसा, ऐसे हालात दिल्ली में पैदा न हों। इसकी कामना के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी हम लोग एक संदेश क्यों न भेजे कि इसपे कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदयः श्री पंकज पुश्कर जी।

श्री पंकज पुष्करः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संवेदनशील विषय है और मेरी प्रार्थना ये है कि हम यथासंभव अपनी जो पार्टी के हित हैं और उसके नाते जो कई बार हम सच्चाई से मुँह मोड़ते हैं, उससे बाज आएं और पूरे दिल्ली के व्यापार और न केवल व्यापार, पूरे दिल्ली को हम बसाए रखना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं, वो मुद्दा ये है। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखूँगा कि मामला केवल दिल्ली के व्यापार का नहीं है, हालत ऐसी बन गई हैं कि जैसे पूरे देश के ऊपर एक तरह की सीलिंग, हर चीज के ऊपर केवल दुकानों के ऊपर ताले नहीं हैं, जैसे कि देश की किस्मत के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं, हालत ये बन गई है। मैं तथ्य आपके सामने रखूँगा। देखिए, हमको ये तय करना पड़ेगा कि ये देश किसका है, ये देश किस तरह चलना है। क्या ये देश में छोटे–छोटे किसान, छोटे–छोटे व्यापारी, वो नौजवान जो कि पढ़ता है, छोटे से रोजगार का सपना देखता है, ये देश उसका है। देश में जीने का उसको हक है, आजीविका का हक है या केवल कुछ घराने, कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, कुछ बड़े बड़े अंबानी, अडानी जैसे बड़े नाम, ये देश उनकी चाकरी करेगा और देश के हुक्मरान

देश की केन्द्र में सत्ता, उनकी गुलामी करेगी! हमें ये तय करना पड़ेगा। कुछ कड़वी सच्चाई है देश के किसान सड़कों पर हैं; चाहे वो महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, मध्यप्रदेश हो, वो अपने फटे पाँव लेकर देश की, प्रदेशों की राजधानियों के चक्कर काट रहे हैं कि उनके कुछ लाख के उनके ऋण जो हैं, वो माफ हो जाएं। उनको आत्महत्या के दबाव से बचना पड़े। लेकिन इस देश के अन्दर दस हजार करोड़ लेकर भागने वाला और उसकी वकालत करने वाले; देश के वित्तमंत्री की बेटी उसकी वकालत करती है, जो यहां पर दस हजार करोड़ के ले के भागने वाले हैं, उनके लिए कानून में ढिलाई है। लेकिन किसान के लिए कोई रोजगार की, किसान के बचने के लिए संभावना नहीं है।

... (व्यवधान)

महोदय, बातें कड़वी होती हैं इसीलिए मैंने पहले ही निवेदन किया था। देश के नौजवानों की हालत देख लें। आज यहीं लोदी रोड़ के बाहर।

श्री सौरभ भारद्वाजः किसकी बेटी? किसकी बेटी?

श्री पंकज पुष्करः सब जानते हैं, जेटली साहब की बेटी हैं तो और इससे पहले भागे थे तो।

अध्यक्ष महोदयः चलिए, आइए, आइए, पुष्कर जी, सब्जेक्ट पे आइए भूमिका बन गई। सब्जेक्ट पे आइए।

श्री पंकज पुष्करः अध्यक्ष महोदय, मुझे ये अनुमति दें कि जब तक हम उस कड़वी सच्चाई से सामना नहीं करेंगे, रास्ता नहीं निकलेगा, बहुत अंधेरा है। नौजवान, आज पूरे देश के नौजवान धोखे में हैं, ठगे में हैं। वादा किया गया था कि एक करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार देने की बात

दूसरी है, छीने जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं रोजगार! रेलवे के मंत्री, रेलवे के केन्द्र के मंत्री महोदय ने कहा कि ये सच है कि 4 लाख से ज्यादा रोजगार पद रिक्त हैं, पद रिक्त हैं। उन्होंने राज्यसभा में घोषणा की है कि हम सब भरने का इरादा नहीं रखते हैं। वो राज्यसभा में साफ साफ कह रहे हैं। एसएससी के हेडक्वार्टर के बाहर नौजवान, देशभर के नौजवान बैठे हैं, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। उनके लिए पानी का सुविधा वहां नहीं है। किस लिए? क्योंकि एसएससी में खुलेआम स्केम चल रहा है। तो नौजवानों के सपनों को ठोकर मारा जा रहा है।

मैं व्यापारियों के मुद्दे पे आ रहा हूँ। किसान धोखे में है, नौजवान धोखे में है। जो फौजी है, वो धोखे में है। उसको दाल में पानी पिलाया जा रहा है। वो अपनी बात कहता है तो उसको नौकरी से निकाला जा रहा है। बात किस व्यापार पर आती है? कुछ प्रजातियों में अपने ही बच्चों को खा जाने की आदत होती है। मैं नाम ले के नहीं कहना चाहता। लेकिन इस देश के व्यापारियों ने अपने टैक्स से अपनी मेहनत से दिल्ली को और देश को सींचा है। यही देश का और दिल्ली का व्यापारी है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में इनकम टैक्स देता है, बहुत बड़ी मात्रा में। वो दिल्ली सरकार के पास नहीं आता है, वो केन्द्र सरकार के पास आता है। उसकी जवाबदेही केन्द्र सरकार ही है, एमसीडी की जवाबदेही है। कन्वजर्न चार्ज के नाम पर उससे लूटे गए हैं। बिल्कुल सही कहा विशेष रवि भाई ने, जब ये सब काम हो रहे थे; कानून केवल किताबों में नहीं होते, कानून वो होते हैं, वो अमल में लाया जाता है। एक मास्टर प्लान वो है, जो कि कानून की किताब में लिखा है। एक मास्टर प्लान वो है, जो कि जमीन पे उतरा है, जो कि अमल में लाया गया है। यहाँ कौन है ऐसा, दिल्ली की पिछली 10 साल की राजनैतिक सत्ता का कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन अधिकारी ऐसा है जो

कि नहीं जानता कि बेसमेंट में व्यापार होने शुरू हो गए। कौन नहीं जानता कि दो फिट आगे बढ़ के ही काम हुआ है। ये सारा काम दिल्ली नगर पालिका के, दिल्ली नगर निगम के जितने चुने हुए पार्षद थे, उसमें जिनकी सत्ता थी, उनकी आंखों के सामने हुआ। उनकी भागीदारी से हुआ। उनकी अनुमति से हुआ। निगम में जो भी लोग रहे हैं, डीडीए में जो भी अधिकारी रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी में, पूरे होशो–हवास में खुलम खुल्ला वो काम हुआ है। आज केवल व्यापारी के ऊपर कत्ल है। आज केवल व्यापारी को सजा दी जा रही है। आज केवल व्यापारी को उजाड़ा जा रहा है। अगर हम इस ईमानदारी के साथ, अगर उस समय की राजनैतिक सत्ता में जो शामिल लोग थे, उस समय के जो व्यापारी वर्ग के साथ लोग थे, उनको सजा देने के साथ साथ डीडीए और एमसीडी के अधिकारियों को साथ में सजा दी जाए तो एक न्याय का बोध होता है। लगता है, देश के अन्दर इंसाफ है। लेकिन वो राजा जो कि डण्डा कवेल कमजोर आदमी पे चलाता है, उस राजा को हाय लगती है गरीब की, उस हुक्मरान को हाय लगती है। ये जवाब देना पड़ेगा, ये पाप का घड़ा भर रहा है। मैं उस व्यापारी की हाय को, उस कमजोर मजदूर की हाय को जो कि व्यापार के साथ छोटी सी दुकान पर, छोटी सी नौकरी कर रहा था, उसकी हाय को इस विधान सभा में दर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ दिल्ली में, दिल्ली सरकार के पास पूरी सत्ता नहीं है। एमसीडी के पास कुछ अधिकार हैं, डीडीए के पास अधिकार हैं और देश के शहरी विकास मंत्री साफ साफ कहते हैं कि मास्टर प्लान बदलने की पूरी सत्ता हमारे पास है, पूरी ताकत उनके पास है। लेकिन काँग्रेस और बीजेपी जो कि 20 साल से इस पूरे कुकर्म में शामिल रहे हैं, आज केवल व्यापारी को निशाना बना के, वो अपराध कर रहे हैं। जिसको माफी अगले 20 साल की जनता, जिसका व्यापार टूट

जाएगा, जिसका परिवार टूट जाएगा, जिसका घर उजड़ जाएगा, वो माफ नहीं कर पाएगा। तो ये मामला एक मानवीय त्रासदी का है। ये सवाल है। राजनीति का सवाल नहीं है लोगों के रोजगार और लोगों के घरों का, लोगों के बच्चों की... एक व्यापारी मेरे सामने रो रहा था। 70 साल के उसके बुर्जुग पिता जी हैं। उसकी तीन हजार, चार हजार रूपये की महीने की दवा आती है। 'मेरे कारोबार पर ताला पड़ गया। कल से कौन देगा?' उसका गुस्सा बिल्कुल मेरे सामने था। मैं भी सामने था। एमसीडी के चेयरपर्सन उनके सामने थे। सिविल लाईन जोन के सामने उसके मुँह से झाग निकल रहे थे। उसकी तकलीफ जेन्युइन थी। उसके बच्चों की पढ़ाई, उसकी फीस कहाँ से आएगी! महोदय, मेरा निवेदन ये है कि बहुत संवेदनशील तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सदाशयता दिखाते हुए, ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से उन्होंने कहा कि मुख्य जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नहीं है लेकिन हम एक सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। हम सब को जिम्मेदार बनाते हैं। बिल्कुल पारदर्शी बात करते हैं। मीडिया के सामने बात करते हैं। क्यों उस पारदर्शी बात से भागा गया? क्यों मीडिया के सामने बिल्कुल पारदर्शी बात करने से बचा गया? मामला निश्चित रूप से ये है कि महोदय इस देश में तय ये करना पड़ेगा; अम्बानी साहब की आय इस सरकार के आने के बाद 67 प्रतिशत बढ़ी है। दो/तिहाई उनकी तन्ख्वाह बढ़ी है। उनकी आमदनी, उनकी सम्पत्ति बढ़ी हैं। देश के सौ अमीरों की जो कुल आमद है, वो 26 प्रतिशत बढ़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के जो तीसरे–चौथे दर्जे की जो सेवा करने वाले कर्मचारी, अधिकारी हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी तनख्वाह पिछले दो महीने में, पिछले दो साल में कितनी बढ़ी है? उनकी सम्पत्ति कितनी बढ़ी है? हम इस देश को कैसा बनाना चाहते हैं? क्या सबका उसमें

हक बना रहे, व्यापारियों को व्यापार करने की सुविधा बनी रहे या फिर हम चन्द धन्नासेठों के लिए काम करते रहें?

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए। प्लीज, कन्क्लूड करिए।

श्री पंकज पुष्करः मैं केवल बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इस केन्द्र की सत्ता को दिल्ली विधान सभा के एक–एक नागरिक का प्रतिनिधित्व यहाँ पर बैठा है। वो ये बात केन्द्र की सत्ता तक और एमसीडी तक पहुंचा देना चाहता है कि ईमानदारी के साथ, न्याय के साथ, इन्साफ के साथ बर्ताव करे। केवल व्यापारियों को सजाएं दी जाएगीं, तो इसकी माफी आने वाला समय देगा नहीं।

दूसरी बात ये है कि मास्टर प्लान में जो सुधार करने की बात थीं। सुप्रीम कोर्ट उसमें साफ ज़ाहिर कर चुका है। एक मात्र प्रावधान जो सम्भव है, वो अमेन्डमेन्ट लाना है, वो ऑर्डिनेन्स लाना है कि हम तात्कालिक राहत दें, उसका ईमानदारी के साथ अनुपालन करें।

मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आज भी रिहायशी इलाकों में मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र तिमारपुर के अन्दर लगातार बिना पार्किंग के इमारतें बन रही हैं। चार–चार, पाँच–पाँच मंजिलें बन रही हैं। आज वो पूरी एमसीडी की जानकारी में है। वो पूरी केन्द्र के सरकार की जानकारी में है। मैं पिछले तीन साल से, विधायक बनने के बाद से उपराज्यपाल महोदय से मिल चुका। कमिश्नर से मिल चुका। आज फिर आने वाली किसी मॉनिटरिंग कमेटी की आड़ में उनमें डिमोलिशन होगा, उनको उजाड़ा जाएगा। क्या पूरे दिल्ली को उजाड़कर आप एक नई दिल्ली बसाना चाहते हैं? मेरा सवाल केवल ये है कि कानून का डण्डा गरीबों पर न चलाया जाए। केवल व्यापारियों पर न चलाया जाए। जिन्होंने अपने खून–पसीने से, अपने छोटे–छोटे मकान, दुकान

बनाये, उन पर न चलाया जाए। असली दोषी वो हैं, जिन्होंने पिछले बीस साल में दिल्ली को इस तरीके से बसाया है। दिल्ली में इन्क्रोचमेन्ट की सत्ता उन्होंने स्थापित की है।

असली अपराधी वो हैं जो कि डीडीए और एमसीडी में बैठे हुए और राजीनितिक आकाओं के साथ बैठकर के सारे गलत काम कर रहे है।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिए। अब प्लीज, कन्क्लूड करिए।

श्री पंकज पुष्करः न्याय हो पूरा हो और तात्कालिक राहत देने के लिए तत्काल आर्डिनेन्स लाया जाए। ये एक मत से हम दिल्ली विधान सभा की ओर से ये निवेदन करना चाहते हैं। इसको बिल्कुल दलगत स्वार्थ से उपर उठके बहुत बड़े ह्रदय के साथ इस मामले को, दिल्ली को बचाना होगा। दिल्ली के व्यापारियों को बचाना होगा। नहीं तो आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। धन्यवाद, जय हिन्द।

अध्यक्ष महोदयः श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया आपने।

मैं सौरभ भाई जो मुद्दा उठा रहे थे, अभी वही से शुरू करूँगा माडल टाउन से। ये भी लड़ने पर उतारू हो गये थे, पीछे बोल रहे थे उसी पर। मैं बिजेन्द्र जी को बताना चाहता हूँ कि या तो आप कमिश्नर साहब या तो झूठ बोलके चले गये सदन में कि भाई कोई हमने...

... (व्यवधान)

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः और कुछ बोलना है बोल लीजिए। बैठ जाते हैं हम।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, आप अपनी बात रखिए, प्लीज। हाँ, आप अपनी बात रखिए सीधा।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः गलती से या तो आपके कमिश्नर साहब झूठ बोलके चले गये सदन में कमेटी के सामने कि हमने कोई सीलिंग नहीं की। जो सबसे बड़ा एमसीडी का अधिकारी है, वो कहता है कि हमने किसी भी 351 रोड पर कोई सीलिंग नहीं की है। उससे भी सर्टिफिकेट बड़ा सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट वैसे बाँटने का उनका पुराना परम्परा रहा है; कभी राष्ट्रवाद पर बांट देते हैं, कभी और किसी मुद्दे पर बांट देते हैं। इनका पुराना परम्परा रहा है। तो उस पर भी बाँट रहे हैं तो अलग कोई बात नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है। अब ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कमिश्नर को चैलेन्ज करते हुए कि कौन सा रोड 351 में है और कौन सा एलएसी है। बहुत बढ़िया बात है! दिल्ली के लोग देख रहे हैं इस बात को। कुछ दिन बाद पता भी चल जाएगा कि नेता विपक्ष भी झूठ बोलते रहते हैं। वो मैं कई बार ट्वीट करके लिखा भी कि जिम्मेदार आदमी हैं, झूठ न बोलें। लेकिन अब झूठ बोलने की आदत है, जुमले फेंकने की। नहीं–नहीं, वो जुमले फेंकने की आदत है। 15 लाख का कभी फेंक देतें हैं, कभी काला धन का फेंक देते हो। आपका कसूर नहीं है। कसूर आपका नहीं है। आपकी पार्टी का कसूर है। वो थोड़े लक्षण 'संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात।' वो पहले से कहा गया है। वो आ रहा है थोड़ा–थोड़ा। वो तो कोई दोश नहीं मानते हम लोग। वो तो होएगा ही, जीन्स में है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें क्या मानना है? हाँ, 351 पर हुआ नहीं, आपके कमिश्नर साहब कहके चले गये। चलिए, आप आगे आएगा आप सफाई कुछ पेश करेंगे। मुझे पता है फिर झूठ बोलेंगे सदन में। क्योंकि कमिश्नर से बड़ा सर्टिफिकेट मुझे लगता है एमसीडी के मामले

मे कोई दे नहीं सकता। ठीक है। और नृपेन्द्र मिश्रा जी का मामला हो। आर्डिनेन्स लाके निपटा देते हैं। चाहे फॉरेन फण्डिंग का मामला है, निपटा देते है। एसीबी, लगता है कि दिल्ली में एसीबी ज्यादा कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार बढ़वाना है, इसलिए उसके लिए भी कानून पास हो जाते हैं इनके, संसद में कि छीन लो अरविन्द केजरीवाल की सरकार। लेकिन जब दिल्ली पर संकट मंडराता है और पूरा व्यापारी तबाह हो रहा है। पूरे देश का व्यापार दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आज न केवल व्यापारियों पर हमला हो रहा है बल्कि दिल्ली सरकार के जो टैक्स रेवेन्यू का जो सिस्टम है, उस पर भी बहुत बड़ा आघात हो रहा है। आज दुकानें बन्द हो रही हैं। बिक्री बन्द हो रहा है जिससे जीएसटी पर भी असर पड़ रहा है। इनका तो मोटो है कि दिल्ली सरकार को इस माध्यम से भी पंगु बनाया जाये। ये बहुत बड़ा इनका षडयंत्र है। ये भी मैं बताना चाहता हूँ। आज हमारे क्षेत्र में कमला नगर, मॉडल टाउन, गुंजरावाला टॉउन, राणप्रताप बाग ऐसे बड़े मार्केट पड़ते हैं। मॉडल टाउन एक, दो, तीन, जब डीएलएफ ने बसाया था, तो तीनों फेस में लोकल शॉपिंग कॉम्पलैक्स का प्रोविजन किया था छोटे–छोटे और उसी सन्दर्भ में सीलिंग के लिए पहुंचे हुए थे इनके लोग। वो 351 में नहीं आता। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। साथ–साथ एक बड़ा मुद्दा आ रहा है कि मास्टर प्लान जब आया हुआ था दिल्ली में, उससे पहले कुछ कालोनियां दिल्ली की बस चुकीं थीं। उसमें हमारा कमला नगर और मॉडल टाउन भी आता है। 1962 से पहले, अब जो 1962 से पहले कानून ये था, बहुत सारे मकान बन गये। उसको भी मास्टर प्लान के डण्डे से हाँकना, ये बहुत गलत बात है और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ऐसे जगहों पर भी सीलिंग की जा रही है जो इस कानून के अन्तर्गत नहीं आता। मैं नागिया पार्क पहुंचा, जहाँ पर सीलिंग हो रहा था। मैंने कहा कि भई, ये जो ट्रेडर हैं, इन्होंने जमा कर रखा है। आपके यहां 9 लाख 70 हजार

रूपये जमा कर रखा है। आप इनकी सीलिंग क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं, 'मैं नहीं जानता। जाके ये डीसी साहब को या कमिश्नर साहब को ये रिसीट दीजिए।' हम लोगों ने वहीं पर उसका विरोध किया। हमने कहा कि आप इसको रिसीव करिए कि आपने इसको देखा। जो हमने जमा किया, आपने देखा है, इसको रिसीव करिए। वहाँ कोई भी सीलिंग करने वाला अधिकारी, उसको रिसीव करने को तक तैयार नहीं था। मॉडल टाउन में ये हाल हुआ। जब हमने कहा कि 9 लाख, लगभग 90 हजार रूपये कन्वर्जन के इन्होंने जमा किये हैं, आप इसको रिसीव करिए। सील करने से पहले। उन्होंने नहीं देखा और सीलिंग कर दी। जब हम कोर्ट गये कि हमने जमा किया था, इन्होंने जबर्दस्ती सीलिंग की। तो इनके अधिकारियों का कहना था, 'हमें तो दिखाया नहीं टाईम से।' कितने झूठ बोलते हैं ये लोग? कोई कागज समय पर, जिस समय सीलिंग हो रही है, कोई व्यापारी दिखा भी रहा है कि हमने जमा कर रखा है या हमारा जमा करने का मंशा है, आप हमें बताओ तो सही कि कितना जमा करना है और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्हीं का एमसीडी कहता है कि आप कर्न्वजन चार्जेज 30 जून, 2018 तक जमा कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है। इनकी एमसीडी कहती है कि सारा व्यापारी दिल्ली का 30 जून, 2018 तक कनवर्जन चार्जेज जमा कर सकता है। अब 30 जून अभी आया नहीं, उसके पहले सीलिंग कैसे शुरू कर दिया आपने? अभी तो इसके बाद मौका है, अभी तो आपके टाइम का उसने वॉयलेशन नहीं किया। आपके किसी नियम का, कोई जो है फलूदा नहीं निकाला उसने। फिर भी आप सीलिंग करने पहुँच गए। फिर आपने डेट क्यों दी व्यापारियों को 30 जून का, कन्वर्जन चार्जेज जमा करने का? तो यह सब जितनी सीलिंग चल रही है, मनमानी से चल रही है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, ये दिन भर में डेढ़ सौ दुकानें सील करते हैं और मॉनिटरिंग कमेटी को बताते हैं कि हमने तीस दुकानें

सील कर दीं जी। बाकी की दुकानों से पैसा खा—खाकर के या तो डराने के लिए उनको सील किया जाता है और फिर आ जाओ जी, बात कर लेंगे अंडर द टेबल और पैसा खाकर के उसको डी—सील कर दिया जाता है। कल का भी मामला ऐसा ही है।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, कन्क्लूड करिये।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः गुजरांवाला टाउन में, डेरावाल में इन्होंने सीलिंग करी, दो दुकानों की और उसके बाद बोला कि और सारी दुकानें छोड़ दे रहे हैं, आकर बात कर लेना। इत्तेफाक की बात है कि मैं भी डीसी के पास गया हुआ था केशवपुरम जोन में। कुछ व्यापारी पहुंचे। मेरे से पूछे कि बतायें कि ऐसी—ऐसी बात है, दो दुकानें सील कर दी गई हैं और बाकी से कहा है कि बात कर लेना। मतलब सैटिंग कर लेना जैसे भी है। ये हालत है एमसीडी की। तो यह सीधा—सीधा अपना कानून, अपना डण्डा बीजेपी चला रही है व्यापारियों के ऊपर। कहीं कोई मॉनिटरिंग कमेटी का इसमें कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अगर आज बीजेपी चाहे तो ऑर्डिनेंस लाकर के तुरंत इस पर रोक लगा सकती है और कोई रास्ता नहीं है और साथ—साथ आज कल कांग्रेस के लोग भी घूम रहे हैं बहुत। कह रहे हैं 'हम तो दूध के धुले हुए हैं।' इन्होंने क्या किया जब...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः दो मिनट और। जब पीछे सीलिंग का एक बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा था इनके कार्यकाल में। काँग्रेस के समय में तो, एक तो हीरो बनने के लिए इन्होंने कहा कि सात साल की छूट दी जा रही है तो अब की जरा ध्यान रखें दिल्ली के लोग कि केंद्र की सरकार

अगर ऐसा कोई कानून लेकर आए, कहे कि यह सीलिंग सात साल के लिए, दस साल के लिए रुक जाती है तो इस पर माफ मत करना बीजेपी को भी। अभी लाने वाली है ये, क्योंकि यह मामला जड़ से खत्म होना चाहिए। यह मामला कॉंग्रेस का पैदा किया हुआ आज और ये लोग भी वैसे ही तरीके से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग। इसमें टाइम आगे सरकाने की जरूरत नहीं है। इस पर समाधान की जरूरत है ताकि व्यापारियों को परमानेंट इसका इलाज मिल पाये, परमानेंट उनको राहत मिल पाये और जो लोग अधिकारियों के समय में, बार–बार सारे साथी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अधिकारियों के बहुत बड़े भ्रष्टाचार तंत्र के नीचे यह सब काम हुआ है, उन पर भी कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। अगर केवल समय आगे बढ़ाकर के इस मामले को निपटाने की कोशिश करे बीजेपी तो इस पर व्यापारी ध्यान रखें कि इस पर समाधान निकलना चाहिए। ऑर्डिनेंस से पूरा का पूरा समाधान आना चाहिए और फिर से बिजेन्द्र जी से कहूँगा कि गलत सफाई मत दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आप देंगे, मैं सुनने के लिए भी तैयार हूँ। पता नहीं, कैसे सुन रहे हैं! बोल नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, आप फिर!

... (व्यवधान)

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः मैं आपसे अपील करता हूँ फिर से इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिए, बहुत–बहुत धन्यवाद आपको अध्यक्ष जी। जयहिंद।

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी भी पिन मारने से बाज नहीं आते! श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग से जुड़ा मुद्दा दिल्ली को पिछले तीन महीने से परेशान कर रहा है और कल मैं मॉनिटरिंग कमेटी से मिलकर आया था। उन्होंने बताया कि अभी तो तीन हजार के करीब–करीब दुकानें बंद हुई हैं, उनकी प्लानिंग तो बारह हजार दुकानें बंद करने की हैं। यह बहुत गम्भीर मुद्दा बनता जा रहा है। रॉइट्स छिड़ सकते हैं, सड़कों के ऊपर व्यापारी वर्ग आकर के अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि ये जो मॉनिटरिंग कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी दी; क्यों दी, किन कारणों से दी, इसका परपज क्या है और ये कब तक चलेगा, अध्यक्ष महोदय, उस पर सदन को बताने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, यह 1990 के अंदर, जब यह पहली बार मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के आगे लाया गया था, उस वक्त था कि दिल्ली के अंदर से जो हैजाड्र्स इंडस्ट्रीज हैं they were operating from residential colonies. आज सीलिंग के नाम पर जिस तरह से एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती जा रही है दिल्ली के अंदर, वो 2006 की याद दिलाता है। 2006 के अंदर भी बहुत बुरा हाल हो गया था। आखिरकार पुलिस फॉयरिंग में कई लोगों की जान गई और उसके बाद कहीं इस पर मंतव्य बना और इस पर रोक लगा। मुझे डर है कि कहीं वो दोबारा न हो जाए!

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने पूरी दिल्ली के अंदर एक ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि इस पर केजरीवाल सरकार का हाथ है, उनका काम था, उन्होंने नहीं किया। इसलिए यह सीलिंग हो रही है दिल्ली के अंदर। ये जानने की जरूरत है सब को कि दिल्ली का स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट की ड्यूटी किसकी है? उसके लिए मैं यह डीडीए का एक्ट जो

है अध्यक्ष महोदय, वो साफ–साफ कहता है कि दिल्ली के स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट की ड्यूटी किसी और की नहीं बट डीडीए की है। अध्यक्ष महोदय, उसका प्रिएम्बल कहता है 'An act to provide for the development of Delhi according to plan and for matters ancillary thereto.' यह डीडीए किसके पास है, यह डीडीए भाजपा के पास है और इस एक्ट के तहत् दिल्ली किस तरह का बने, उसके लिए उन्होंने मास्टर प्लान बनाया। यह मास्टर प्लान जो कि यह दर्शाता है कि दिल्ली किस तरह की बनेगी। मैं आपको और आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि मास्टर प्लान के बाद जोनल डेवपलमेंट प्लान बनना था, उसके बाद ले–आउट प्लान बनना था और मुझे बताते हुए दुःख हो रहा है कि दिल्ली के अंदर आज तक ले–आउट प्लान नहीं बना तो जैसे कि छत्तरपुर के अंदर मार्बल्स की दुकानें जो थीं, अगर वो वहाँ पर नहीं चलेगी तो दिल्ली में कहाँ चलेगी, यह पता नहीं है। यह जो कानून का एक तरह से पूरी तरह पालन नहीं करना और इस तरह से व्हाइट्स छोड़ना और खाली जगहों को छोड़ना, जिससे कि हर तरफ कन्फ्यूजन रहे और इस सारे कन्फ्यूजन में अधिकारी, काउंसलर्स और नेता अथाह और अकूत सम्पत्ति बनाये हैं अध्यक्ष महोदय।

आज जब बात चली कि मास्टर प्लान को अमेंडमेंट करना है तो हमने पता करने का प्रयास किया कि क्या प्रोविजन्स हैं मास्टर प्लान को अमेंड करने के लिए। सैक्शन फाइव अध्यक्ष महोदय, कहता है एक एडवाइजरी काउंसिल बन गई है। एडवाइजरी काउंसिल में ड्यूटी किसकी थी, पॉलिटिकल रिप्रजेंटेटिव्स तीन थे उसके अंदर। दो लोक सभा से, एक राज्य सभा से और ये तीनों भाजपा के हैं तो भाजपा के सदस्यों की ड्यूटी थी कि एडवाइजरी काउंसिल बने और एडवाइजरी काउंसिल किन मुद्दों पर सलाह देती है डीडीए को? उसका सब–सैक्शन थ्री कहता है कि 'Within the

meaning of sub-section (1), Advisory Council is constituted for the purpose of advising the Authority on the preparation of the Master Plan and on such matters relating to planning of development or arising out of or in connection with theAdministration of this Act.'

ड्यूटी किसकी थी? जो ये भाजपा के साथी बार–बार जाकर के हर जगह एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल साहब ने अपना काम नहीं किया। डीडीए आपके पास, इसके तहत् आने वाली एडवाइजरी काउंसिल के अंदर दो लोक सभा के सदस्य आपके, राज्य सभा का सदस्य आपका, जिसने पिछले सात साल में, सदन को जानकर हैरानी होगी कि पिछले सात साल में एडवाइजरी काउंसिल ने एक मीटिंग नहीं की, जिनकी प्राइमरी ड्यूटी थी कि मास्टर प्लान क्या होना चाहिए और मास्टर प्लान के...

... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ भारती: भाजपा के थे, तो ये भाजपा के लोग जो एडवाइजरी काउंसिल में थे, उनकी ड्यूटी थी। ये पिछले चार साल भाजपा के और सात पीछे काँग्रेस के, अध्यक्ष महोदय, जब ड्यूटी इनकी थी तो मैंने बार–बार खुले में चैलेंज किया भाजपा के साथियों को कि बताओ तो भइया, केजरीवाल साहब ने करना क्या है? क्या स्पेसिफिक ड्यूटी केजरीवाल साहब की है, वो बताओ, हम करवा कर देंगे आपको। लेकिन वहाँ पर चुप रहते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है कि अचानक ये सीलिंग के माध्यम से पाना क्या चाहते हैं। पीछे कई साथियों ने सदन के बाहर कभी अपने वक्तव्यों के दौरान, टीवी चर्चा के दौरान, कहा कि फॉरेन डॉयरेक्ट इनवेस्टमैंट इस देश में लाया जा रहा है; एफडीआई। बहुत मोहब्बत है माननीय प्रधानमंत्री को बाहर के लोगों से। उनको लगता है कि भारत

का कुछ भला अगर हो पाएगा तो ये बाहर वाले ही कर पाएंगे। तो देश के व्यापारियों को जब तक खत्म नहीं करेंगे, दिल्ली के व्यापारियों को जब तक खत्म नहीं करेंगे, तब तक स्पेस कहां से क्रिएट होगा? वो स्पेस जो कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स को अट्रेक्ट करता तो ये सीधा सीधा ये बड़ा लिंक्ड मामला है अध्यक्ष महोदय, कि फॉरेन डॉयरेक्ट इनवेस्टमैंट जो रिटेल में इन्होंने अलाउ किया है, तो वो इनवेस्टर्स यहाँ पर आयें, उसके लिए जरूरी है कि दिल्ली के व्यापारियों को इस तरह से करके खत्म कर दिया जाए और ये बहुत दुःखद है और दुःखद इस करके भी है कि एक व्यापारी बर्बाद नहीं हो रहा है। एक व्यापारी के साथ साथ उस दुकान में काम करने वाले कम से कम ऑन एन एवरेज 15 से 20 फेमिलीज हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं। उनकी पूरी इकॉनामी बर्बाद हो रही है। उनका घर बर्बाद हो रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक ऐसी त्रासदी दिल्ली में घट रही है, लाखों लोग आज बेरोजगार हो गये हैं। इन्होंने कहा था, 'हम तो रोजगार लाएंगे। दो करोड़ रोजगार लाएंगे।' तो ये कभी हमने सुना किसी चर्चा के दौरान कि माननीय मोदी जी ने कहा कि पकौड़े बेचना भी तो व्यापार है। पकौड़े बेचना भी तो रोजगार है। तो अब ये इन्होंने वादा किया था कि हम रोजगार लाएंगे, देश की स्थिति अच्छी करेंगे, नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब कह रहे हैं कि पकौड़े बेचकर काम चला लो। तो ये, अध्यक्ष महोदय, अब ये पकौड़े वाली सरकार, इनको लग रहा है कि चलो, इस सीलिंग के बहाने कुछ अपना भला कर लिया जाए अध्यक्ष महोदय। और सीलिंग क्यों आई? उसका बड़ा स्पष्टीकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। 15/12/2017 के ऑर्डर में। अध्यक्ष महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में कहा, जजमेंट में कहा कि चूंकि एमसीडी भ्रष्ट है क्योंकि एमसीडी भाजपा शासित एमसीडी भ्रष्ट है, इसलिए हम एमसीडी के ऊपर ये जिम्मेदारी,

ये भरोसा नहीं कर सकते कि मास्टर प्लान के प्रोवीजन्स को वो लागू कर सकें। तो आज मॉनिटरिंग कमेटी का आना इस कारण हुआ है कि भाजपा शासित एमसीडी भ्रष्ट है। किसने कहा? हमने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य रहा कि भाजपा शासित एमसीडी भ्रष्ट है और बीजेपी एमसीडी में पिछले 15 साल से है। तो ये सवाल उठता है कि एक एमसीडी जिसमें भाजपा को फिर से पाँच साल के लिए मौका मिला अगर उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्ट कहा है, तो भाजपा को शर्मसार नहीं होना चाहिए लेकिन बेशर्मों की तरह वो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। तो मैं जानना चाहूँगा अपने साथियों से भाजपा के साथियों से कि डीडीए आपके पास, एमसीडी आपके पास, डीडीए के तहत एडवाइजरी काउंसिल जो बनना है, जो बना हुआ है वो आपके पास, यूडी मिनिस्टरी आपके पास, सैण्ट्रल गवर्नमैंट आपके पास तो कौन देगा इसको सोल्यूशन और क्यों भाग रहे हैं? यही दो कारण हैं न, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमैंट जो लाना है आपको, आप लिंक करना चाहते हैं कि व्यापारी बर्बाद हो। स्पेस क्रिएट हो। इनके फॉरेन इनवेस्टर्स यहां पर आएं।

दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, पहला ऐसा मौका देश में आया जब अमेरिका जैसे देश ने कहा कि जो मोहल्ला क्लीनिक एक्सपेरिमेंट दिल्ली सरकार का है, उससे अमेरिका तक को सीखना चाहिए। एक तरफ वो है और एक तरफ ये छोटे व्यापारियों को मारकर के फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाकर के अपना व्यापार ये ठीक करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदयः चलिए सोमनाथ जी कन्क्लूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः ये जो माननीय केजरीवाल साहब ने दो अटेम्प्ट्स किए। भाजपा के साथियों को बार बार ये था कि भई हमें बुलाया जाए,

हमसे बात की जाए केजरीवाल साहब ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के कारण कि सब कोई देखे, किसकी हिम्मत है, आके देखे कि भई केजरीवाल को क्या करना है, ये बता दो। सारी मीडिया आई और ये जिस मोड में आए उस दिन।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः कॉंग्रेस के टाइम?

श्री सोमनाथ भारतीः बता रहा हूँ। मनोज तिवारी और उनके साथ साथ ये विजेन्द्र गुप्ता जी और रमेश विधूड़ी जी ऐसी बाँहें करके, पता नहीं, इनको लड़ना है। 'अरे भइया! बात कर लो, केजरीवाल साहब ने कहा, 'भई बैठकर चाय तो पी लो। चाय पी के बात तो करो। बताओ तो सही कि मेरी जिम्मेदारी क्या है?' पूरी दुनियाँ जाने लेकिन चूँकि कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर सिर्फ हंगामा करके चले गये और कह कर क्या चले गये कि भई, हमको पीटा। वो शुक्र था कि वहाँ पर पहले ही मीडिया वाले थे। भई, पीटने की पता नहीं कहाँ से एलीगेशन लग जाता है! अब तो इसीलिए माननीय केजरीवाल सर ने कहा है कि भईया हर मीटिंग करेंगे, वीडियो कैमरा के तहत। मालूम तो पड़े किसने किसको पीटा। ये पीटने का एलीगेशन किसके ऊपर लग रहा है अध्यक्ष महोदय? और दूसरी बार जब बुलाया कि भई अब आ जाओ, कॉंग्रेस भी आ जाए, भाजपा भी आ जाए और सभी लोग आ जाओ। कहते रहते हो कि वो सर्वदलीय सम्मेलन करो और हम सब चलें। तो जब केजरीवाल सर ने दूसरी मीटिंग बुलाई।

अध्यक्ष महोदयः भई कन्क्लूड करिए सोमनाथ जी, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री सोमनाथ भारतीः एक मिनट सर, दूसरी मीटिंग में आए नहीं ये और जो कांग्रेस के साथी आए, उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, भाजपा जब तक इसके समाधान की तरफ सीरियसनेस नहीं होगी, तब तक इसका

समाधान नहीं आएगा अध्यक्ष महोदय। तो हमने दो अटेम्प्ट्स कर लिए और दोनों अटेम्प्ट्स खुले में किए और जैसा मेरे साथी ने कहा, अखिलेश ने कि बड़ा इसमें स्कैम चल रहा है। स्कैम ये है कि 100 दुकानें सील करते हैं ये और 30 दिखाते हैं और 70 के ऊपर पैसा कमाते हैं। यहां तक अध्यक्ष महोदय, कि वो व्यापारी वर्ग जो इतना डरा हुआ है, वो जब जमा कराने जाता है अपना कन्वर्जन चॉर्जेज, तो कन्वर्जन चॉर्जेज जमा कराने के लिए घूस देने पड़ रहे हैं वहाँ। ये स्कैम इतना बड़ा है। तो मेरा सवाल यह है भाजपा के साथियों से कि सारे डिपार्टमेंट्स अगर आपके पास हैं तो समाधान कौन लाएगा इसका और केजरीवाल साहब और सारा केबिनेट और सारे विधायक इसीलिए त्रस्त हैं कि वो जनता के बीच रहते हैं और जनता उनसे पूछती है कि भइया, तुम तो कुछ करो। माना कि अब ये जो भाजपा के साथी, वो कुछ न कर पाएंगे।

अंत में अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह पकौड़े की बात चल रही थी मुझे चार लाइनें कहीं से मिली, तो मैं उसको पढ़े देता हूँ किसी ने कहा कि:

‘छोड़ पढ़ाई,
छोड़ पढ़ाई,
पकड़ कढ़ाई,
छान पकौड़ा,
हो जा चौड़ा!

यही व्यापार, यही रोजगार, अबकी बार पकौड़ा सरकार!

अध्यक्ष जी धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, ये मेरा माइक खराब रहता है। पता नहीं, आज ठीक है कि नहीं ठीक है।

अध्यक्ष महोदयः बहुत बढ़िया आवाज आ रही है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बहुत ही संगीन विषय है और आपने मेरे को उसके ऊपर बोलने का मौका दिया। मेरा नोटिस भी लगा हुआ था अगर वो भी आप उसको स्वीकार कर लेते तो हमें और भी प्रसन्नता होती। सीलिंग जैसे मुद्दे पर तो आपको कम से कम ऐसे नोटिस स्वीकार कर लेने चाहिए। आज लगभग तीन महीनों से सीलिंग चल रही है और 90 दिन बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मुखिया जागते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, अखिलेश जी, भई उनको बोलने दीजिए प्लीज। ऐसे समय खराब होगा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो लगभग 90 दिनों बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार जागती है नींद से और ये बोलती है कि हमें बड़ी चिंता हो रही है, सीलिंग रुकनी चाहिए। यहाँ पर हर उस मुद्दे पर हाउस बुलाया गया, जिसकी कभी जरूरत ही नहीं थी।

श्री सौरभ भारद्वाजः 16 जनवरी को हाउस बुलाया गया था सीलिंग के ऊपर।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ईवीएम पर भी बुलाया गया, दिल्ली पुलिस पर बुलाया गया, गुजरात पर भी बुलाया गया, मेघालया, पता नहीं किस किस चीज पर बुलाया गया। पर सीलिंग पर क्यों नहीं?

अध्यक्ष महोदयः 16 जनवरी को चर्चा हुई है। पूरा दिन चर्चा हुई है 16 जनवरी को।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बताते हैं जी, आपको।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ऐसे नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः नहीं, बताएंगे सबको। आप सुनने का माद्दा रखिये ना।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ऐसे अगर आप गलत बोलेंगे, मुझे टिप्पणी करनी पड़ेगी। मेरी अध्यक्षता में 16 जनवरी को पूरा दिन सीलिंग पर चर्चा हुई है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ऐसी वाली जो आज हुई है। नहीं, क्या किया? आज?

अध्यक्ष महोदयः पास तो आपने करना है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, हम भी यही कह रहे हैं। हमारा भी यही कहना है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप हर चीज में उछलेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, हम भी यही कह रहे हैं। हम आपके माध्यम से पूछ रहे हैं कि जिस काम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी कहूँगा, आज कम से कम संजीदगी दिखाएं और हाउस में उनको बैठना बनता है, कम से कम आज सीलिंग जैसा मुद्दा है और फिर.

अध्यक्ष महोदयः मालूम है सारा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः उन्हें शोभा नहीं देता एक मुख्यमंत्री को।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, प्लीज बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी,

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजेश जी, बैठिए प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः केवल और केवल आज तक।

अध्यक्ष महोदयः अच्छा बैठिए, ये आदत है उनकी, इस आदत को हम नहीं बदल सकते बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः देखिए, इनको सीलिंग पर चिंता नहीं है। ये चर्चा नहीं चाहते सीलिंग पे। समाधान नहीं चाहते, मैं तो बोल के, अब एक लाईन बोली नहीं है।

अध्यक्ष महोदयः आप चर्चा को स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं स्पष्ट ही बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः आप दोषारोपण कर रहे हैं। जो सड़कों पे कर रहे हैं, वो सदन में कर रहे हैं। जो आप लोग सड़कों पे कर रहे हैं, वो ही सदन में कर रहे हैं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः यही कर रहा हूँ। मैं तो अपनी बात को, बोलने नहीं देते आप।

अध्यक्ष महोदयः आप जो दोषारोपण कर रहे हैं। उसके समाधान पे आ जाइए। जो समाधान हो सकता है, उसपे बोलिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः वही तो बोल रहा हूँ न। बोलने नहीं दे रहे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए जरा, बैठिए। ऋतुराज जी, बैठ जाइए प्लीज। मैं मेम्बरों से, सही राम जी, बैठिए, बैठिए। बैठिए, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमने बार बार कहा।

अध्यक्ष महोदयः बोलने दीजिए उनको, सच झूठ जो बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः सही कहा आपने।

अध्यक्ष महोदयः मेरी प्रार्थना है, आप बैठ जाएं। सौरभ जी, बैठ जाइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये हाउस

अध्यक्ष महोदयः जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जनता देख रही है।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिए, आप बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः जनता देख रही है, मेरी जनता को, व्यापारी भाईयों को बताना चाहते हैं आज तक, तीन महीनों में भी, आज तक जूं नहीं सरकी, एक चुनी हुई सरकार ने एक कदम आगे नहीं उठाया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, आप मानते हैं, नहीं मानते? इनके बाद उत्तर देने वाला कोई होगा न।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ...हो जाते हैं मेम्बर। इतने मेम्बर हो, क्यूँ घबराते हो? हमने तो अकेले ने बोल के बैठ जाना है। अध्यक्ष जी, तीन महीनों बाद हम नींद से उठते हैं और दिल्ली की चुनी सरकार क्या कहती है, 'हम बात करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं।' हम तो पहले से ही बात करना चाहते हैं हम तो इसका विकल्प चाहते हैं, चुनी हुई सरकार फेल हो गयी, चुनी हुई सरकार कोई समाधान नहीं दे पा रही। अध्यक्ष जी, अभी तो आप मुस्करा रहे हो, और भी मुस्कराएंगे जब हम आपके सामने इस चुनी हुई सरकार के पोतड़े खोलेंगे न, आपको वही मजा आएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदयः मैं मुस्कुरा इस लिए रहा हूँ, रंग बदल रहे हैं सारा।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अभी सुनाते हैं, इनके पोतड़े खोलते हैं। अध्यक्ष जी, ये लोगों को रात को...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रधान जी, बैठिए, प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इनको, क्यूँ घबराते हो?

अध्यक्ष महोदयः ये मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ शांति से। वो समय बर्बाद होगा। जो उनको कहना है, कह लेने दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः एक मिनट बात कर लेने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः बारी आएगी, उत्तर दे देना।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपका जवाब भी हमें अच्छा लगेगा। हमारी बात का जवाब हमें अच्छा लगेगा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सुनिए प्लीज, अब कोई माननीय सदस्य बोलेगा नहीं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, आज तीन महीने बाद क्या निकला? हमारी मीटिंग के अंदर ये हाउस जब बुलाया गया, अच्छा होता अगर जो दिल्ली की सरकार चाहती है, जो चुने हुए नुमाइंदें हम सब चाहते हैं, हमारी भावना ली होती और उसके मुताबिक जो भी दिल्ली की सरकार करना चाहती है व्यापारियों के लिए, वो दिल्ली की सरकार अपना पटल पर लेकर के आती, उसपे चर्चा कराती और उसका एक विकल्प निकालकर सुप्रीम कोर्ट तक भेजती और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी को बताती। दिल्ली के चुने हुए नुमाइंदे, दिल्ली के लोगों की आवाज हैं और दिल्ली के लोग ये चाहते हैं। अध्यक्ष जी, आप को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, रात को 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को बुलावा आता है, ऐसे ऐसे विषयों पे जिनकी जरूरत नहीं, लेकिन क्या दिन में भी 12 बजे कभी सीलिंग पे चीफ सेक्रेटरी को बुलाया? दिन में 12 बजे बुलाया? नहीं बुलाया। क्यूँ नहीं बुलाया? क्योंकि देखिए, सुना नहीं जा रहा। मैंने कहा था न, सच सुना नहीं जाएगा। मैंने पहले कहा था, इनसे सच सुना नहीं जाएगा, ये सच...

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, मैं आपसे स्पष्ट से बोल रहा हूँ, आप लोग अधिकारियों को बिगाड़ रहे हैं, मैं अध्यक्ष पद से बोल रहा हूँ। आप लोग दिल्ली के अधिकारियों को बिगाड़ रहे हैं, मैं अध्यक्ष पद से बोल रहा हूँ, अध्यक्ष पद से बोल रहा हूँ।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आपने सीलिंग के लिए चर्चा बुलाया? एक बार बुलाया सीलिंग पे?

अध्यक्ष महोदयः देखिए, बैठिए, बैठिए।

... (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य विरोध करते हुए सदन के वैल में आ गए)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः एक बार भी बुलाया इन्होंने? ये गुण्डागर्दी वाला रास्ता है। ये डराना चाहते हैं। अरे! सुन मेरे हाउस... अरे! सुन बे, एमएलए, मैं सरदार हूँ, डरता नहीं हूँ, सरदार हूँ, मैं परवाह नहीं करता। ये ऐसे टें टें करके कुछ डरता नहीं हूँ। जान है मेरे अंदर और कोई मेरे सामने ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता। डराने की कोशिश कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदयः ऋतुराज जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये कूदते हैं यहां पे। इनको कहें, कूदना है, आके कूद के दिखाएं मेरे को। अध्यक्ष जी, ये तरीका जो अपनाया जा रहा है...

अध्यक्ष महोदयः अरे भई, सीलिंग पे कोई सुझाव दो न। सीलिंग पे कोई सुझाव दो। अगर आपके पास सीलिंग पर सरकार को दे लेने के लिए कोई सुझाव है तो दीजिए। सीलिंग पर कोई सुझाव देने के लिए है तो दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः तो बोलने नहीं देते आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ओम प्रकाश जी, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। नीचे बैठ जाइए आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बकवास करते हैं, बैठ जाइए नीचे। तहजीब नहीं है बात करने की। सीलिंग पे कोई सुझाव दे सकते हैं, दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, जब एक सरकार अगर इसका विकल्प चाहती है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ॠतुराज जी, बैठ जाइए, ॠतुराज जी, ॠतुराज जी बैठिए प्लीज। ॠतुराज जी।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः क्यूं डरे जाते रहते हैं हमेशा? अध्यक्ष जी, किसी भी बात पे जब हम बात करना चाहते हैं तो अपनी बात ही तो रखेंगे न, तो पता चलेगा। चलो एनीवेज़, टू कट शार्ट, अध्यक्ष जी, जो दिल्ली सरकार की मंशा है जो भी दिल्ली सरकार चाहती है, दिल्ली सरकार ने क्या एक बार भी अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग कमेटी को अपनी भावना व्यक्त की? नहीं। दिल्ली सरकार ने क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे राम जेठमलानी अपने लिए हायर किया था, पी चिदंबरम

अपने लिए हायर किया था, दिल्ली के व्यापारियों के लिए वकील हायर किया? नहीं। क्या देखिए...

नहीं है? या विपक्ष बिल्कुल... विपक्ष के नाते दिल्ली की जनता का हित चाहते हैं तो कोई सुझाव तो होगा।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों के साथ छलो मत, कोई ठगी मत करो। दिल्ली के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। दिल्ली के लोग आपको माफ नहीं करेंगे इस गलती के लिए।

अध्यक्ष महोदयः आपको बतायेंगे दिल्ली के बेरोजगार।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बताता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः लोग बतायेंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बताता हूँ, आपके राज्य सभा के सदस्य ने कहा...

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कहा, प्राईवेट मेम्बर बिल ले के आया हूँ। वो झूठ बोला उन्होंने। आज तक वो प्राईवेट मेंबर बिल की कॉपी नहीं प्रोवाईड कर पाए। क्यूंकि संजय सिंह कोई प्राईवेट मेंबर बिल ले के ही नहीं आए थे। बल्कि प्राईवेट मेम्बर रेजल्यूशन मैंने आपके पास लगाया, और मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली की सरकार लोगों की भावना को समझेगी और प्राईवेट मेम्बर रेजल्यूशन को एडॉप्ट करेगी। आप उसको एसेप्ट करेंगे, टाईम पीरियड को भी ताकि दिल्ली के लोगों को ये बोलने तो दें लेकिन आपने उस पर परमीशन मना कर दी।

अध्यक्ष महोदयः अभी आपके पास कोई जानकारी है। जो बाद में वक्ता हैं, उनको दे दीजिए। आपके पास कोई जानकारी है। बाद के जो वक्ता हैं, उनको दीजिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः दिल्ली के राज्यसभा के मेम्बर ने एक मिसाल दी कि जल्लीकुट्टु के अंदर तमिलनाडु में आर्डनेंस लेकर आई केन्द्र सरकार। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, पर कब लाई? जब वहां की चुनी सरकार ने अपनी मंशा बताई कि हम ये चाहते हैं। केन्द्र सरकार को एक बिल पास करके भेजा और केन्द्र सरकार को कहा, 'इसके ऊपर ऑर्डनेंस पास करो।' लेकिन आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार यहां भी निश्फल साबित हुई, यहां भी फेल हुई। अब ये कहा जाता है कि 351 सड़कों पे कोई सीलिंग नहीं हुई, इसका मतलब ये दाल में काला है न। मिले हुए हैं न आपस में। 351 सड़कों पे सीलिंग हो, इसका इंतजार किया जा है। उनको विकल्प नहीं निकाला जा रहा क्यूंकि इनको निकलना आता है, इनको रस्ते पता हैं, लेकिन जनता को पता होने के बावजूद ये रस्ते नहीं निकालना चाहते ताकि दिल्ली की लोगों की सीलिंग की समस्या का हल न हो।

अध्यक्ष जी, नीयत साफ नहीं है। नीयत साफ नहीं है। अध्यक्ष जी, सारे काम हो सकते हैं लेकिन नीयत साफ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदयः 15 मिनट हो गये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः 20 मिनट तो रोका है इन्होंने बीच में से, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः प्लीज, इसको कन्क्लूड करिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं आगे आपको ये विनती करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि इसका विकल्प क्या है? ये इसकी समाधान क्या है?

सेकण्ड...

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कई सारे देंगे न। आप अपनी बात मत करिए। मेरा टाईम नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आप बाद में अपनी बात जो भी कहना चाहते हैं आप तो मालिक हैं, कह सकते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा ये हाउस के पास, मेरी हाथ जोड़कर विनती है दिल्ली के व्यापारियों का दर्द को समझो, दिल्ली के व्यापरियों के साथ मजाक मत किया जाए। जिस तरीके से, जिस तरीके से मैं उसमें जाना चाहता हूँ जिस तरीके से अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदयः अरे भई! जगदीप जी, आप बैठेंगे प्लीज? नहीं। क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, बोलने दीजिए उनको। तो आपको जो असत्य लगता है, जो बाद में वक्ता है, उनको दीजिए लिख के।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदयः जगदीप जी, ये तरीका ठीक नहीं है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि दिल्ली की सरकार हमारी, सबकी भावनाओं को समझे, चुने नुमाइंदों की भावनाओं को समझे, चाहे वो भी हैं, हम भी हैं। दिल्ली के लोग जो विकल्प चाहते हैं, वो इस सीलिंग से निजात चाहते हैं। इसका रस्ता क्या है? इसका केवल एक ही रस्ता है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिसके पास दायित्व है, दिल्ली के लोगों की हर कमांड को संभालने का, जिसको लोगों ने वोट डालकर

66 सीट जिताया है, वो सरकार इस विधानसभा के अंदर... 66 ही होती है, इनको बताओ, कोई पढ़ाओ। अध्यक्ष जी, जो हमारी भावना है, हमारा इस रेजल्यूशन को असेप्ट किया जाए। उस रेजल्यूशन के मुताबिक जो दिल्ली की भावना है, उसका रेजल्यूशन पास किया जाए यूनेनिमसली और मॉनिटरिंग कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चिदंम्बरम और राम जेठमलानी जैसे करोड़ों रूपया दे कर वकील खड़े करे जाएं क्यूंकि जब तक हम वो काम नहीं करेंगे, दिल्ली की सरकार ने अभी तक अपनी तरफ से कोई कोर्ट में केस दायर नहीं किया। अपनी बात भी कहीं नहीं रखी, ये इसका विकल्प तब तक नहीं निकलेगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं चलेगा कि दिल्ली की चुनी सरकार, जिनको लोगों ने चुनकर बनाए हैं, सत्तर एमएलए भेजे हैं, उनकी क्या राय है। जब तक आप अपनी राय सुप्रीम कोर्ट के आगे नहीं रखेंगे, तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता।

अध्यक्ष जी, एक बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। ये इसी तरह का रस्ता है जैसे आम आदमी पार्टी ने, अपनी पार्टी के लिए 200 करोड़ से ज्यादा प्लॉट अपने नाम एक प्लाट करा लिया, जिसकी कीमत 200 करोड रूपये है। अपने नाम लिखवा लिया ना? कमेटी बुलाई, अध्यक्ष बुलाया, एग्जीक्यूटिव बुलाई और अपनी कैबिनेट बुलाकर फैसला कर दिया, ये प्लॉट हमारा हो गया। मैं यही चाहता हूँ। उसी तरह से कैबिनेट बुलाई जाए और केबिनेट बुलाकर जिस तरह से 200 करोड का प्लॉट आपने आम आदमी पार्टी के नाम करवा लिया इस सरकार ने, उसी तरीके से ये भी बिल पास किया जाए कि दिल्ली के अंदर सीलिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपका प्लॉट कैंसिल नहीं कर रहा ना? आप कह रहे हैं, 'लैंड आपके पास नहीं हैं।' लैण्ड की ऑथोरिटी है अगर आप अपनी पार्टी के लिए 2–2 एकड़ के प्लॉट, 200–200 करोड के अलॉट कर सकते हो तो लैण्ड की ऑथोरिटी आपके पास है।

अंत में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष जी, देखिए, इस हाउस को आप एक बात का एश्योरेंस जरूर दें। हमारे दिल्ली के मुख्य मंत्री पहले झूठ बोलते हैं, फिर मुकर जाते हैं, फिर माफी मॉग लेते हैं। आप इस बात का जरूर हमें आश्वासन दें कि जो यहाँ पर कहते हैं, वो बात सच्ची है, वो मुकरेंगे नहीं। बाद में इस तरह से चिट्ठी देकर ये नहीं कहेंगे कि मेरे को माफ कर दिया जाए। मैने जो बोला था पहले, झूठ बोला था। ये वादा कि दिल्ली विधान सभा में ना हो, इसका आप जरूर हमें आश्वासन दें। धन्यवाद।

श्री सौरभ भारद्वाजः क्योंकि जो हमारे सदस्य अभी बोल रहे थे, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, उनका जवाब नहीं दे रहा। मैं उनका जवाब नहीं दे रहा।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए। आप जब प्रस्ताव लाएंगे, जब प्रस्ताव लाएगें, अपनी बात रखिएगा। नहीं, अब नहीं प्लीज। आपको कुछ बुलवाना है लिखकर दे दीजिए। नही प्लीज। एनडी शर्मा जी। सौरभ जी प्लीज। आप लिखकर किसी को दे दो ना, जो बोलना है या जब आप प्रस्ताव लाएंगे, तब बोलिएगा। प्रस्ताव लाने से पहले मेरी भी बात समझ लो। सौरभ जी ये तरीका नही। प्लीज, बैठ जाइए प्लीज। प्लीज बैठिए प्लीज। एनडी शर्मा जी। शार्ट करिए जरा।

श्री नारायण दत्त शर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर बोलने का समय दिया है।

सबसे पहली बात तो विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर आज का जो सेशन है, जिस पर चर्चा हम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के हित में, कारोबारियों के हित में हम सब लोग यहां बैठे हैं। हम सबको चुनकर दिल्ली

की जनता ने भेजा है। एक तरफ दुकानों को सील किया जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष कर रहा है, 'आप बिल लाइए।' अगर अरविन्द केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी के बिल से अगर सब कुछ हो सकता है तो उस दिन गैस्ट टीचरों के बिल पर क्यों नहीं हुआ था? हम बिल ले आते अगर उस बिल को मान लिया होता आपने। अगर वो बिल हो सकता था तो। दूसरी चीज जैसे किसान आत्महत्या कर रहा है, ऐसे व्यापारियों को आत्महत्या करवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है अध्यक्ष जी, आज से चार पाँच महीने पहले बीजेपी ने एक सर्वे करवाया दिल्ली में चुनाव के लिए कि आज की स्थिति में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से अलग हुई है या नहीं हुई है। तो उस सर्वे के अंदर इन्हीं के जो एमपी और राज्य सभा में भेज रखे, उन चैनलों ने मजबूरी में वो राईट दिखाया कि आज भी अरविन्द केजरीवाल जी को 43 और 41 के करीब मिलनी है। उसी के द्वारा ये बदला लेने की राजनीति करते हुए आज, ये जब ये अपने एक अधिकारी को रोकने के लिए बिल जा सकते हैं, आर्डिनेंस ला सकते हैं तो इस दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए नहीं ला सकते? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये दुकानें खाली उन व्यापारियों की सील नहीं हो रही हैं।' ये अगर देखा जाए मोटा–मोटा गणित जो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को मिलता है, देश को मिलता है, देश में तो बहुत जगह से रेवेन्यू आता है लेकिन दिल्ली की सरकार को दिल्ली का व्यापारी रेवेन्यू देता है जी। जितना भी टैक्स हमें मिलता है, उस टैक्स से रोड, नाली, सड़क, स्कूल, बारात घर, वो सब बनाए जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि दिल्ली की जनता देख रही है कि विपक्ष कितना सीरियस है इस मुद्दे पर। और एक चीज कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, जो बड़े–बड़े किले बन रहे हैं, जो बड़े–बड़े महल देखते हो आप; एक तुगलकाबाद में

बहुत बड़ा किला है जी, आपकी विधान सभा मे। इन किलों में जो राजा रहते थे ना, इनकी सौ–सौ रानी थी। और एक–एक हजार बालक थे, उनकी वंश बेल खत्म हो गई। जो गद्दी पर बैठकर तानाशाही करता है। एक नजर से देखता नही है, आज गिलहरी की वंश बेल है, छिपकली की है, चूहा की है लेकिन उन राजाओं की नहीं है, उन तानाशाही राजाओं की! जिस तरीके से देश का राजा तानाशाही कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, अगर हमारी सरकार के बिल लाने से, विपक्ष को पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के बिल से अगर हो जाता है तो हम तो कर देते। लेकिन आपने वो गेस्ट टीचरों वाला क्यों माना? सैन्टर गवर्नमेंट लाएगी सैन्टर गवर्नमेंट के ही लाने से इस दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। दिल्ली के कारोबारियों को राहत मिलेगी और ये अगर आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं इस दिल्ली की जनता से आप बदला ले रहे हो। दिल्ली की जनता को आप परेशान करना चाहते हो। दिल्ली की जनता से इस लिए बदला ले रहे हो कि उन्होंने आम आदमी को चुना है, उन्होंने अरविन्द केजरीवाल को चुना है। और आगे आने वाले टाईम में, अभी आप चार बैठे हो, एक भी नहीं रहोगे, अगर इस तरीके से बदले की भावना से काम किया तो।

अध्यक्ष महोदयः एनडी शर्मा जी बैठिए, प्लीज बैठिए। बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री ऋतुराज जी।

ऋतुराज जी, पाँच मिनट में पूरा करेंगे, आप में योग्यता है, अपनी बात कह सकते हैं।

श्री ऋतुराज गोविन्दः बहुत–बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष महोदय, कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया आपने।

आज अध्यक्ष महोदय, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुःख हो रहा है कि पूरी दिल्ली की जनता, पूरी दिल्ली के लाखों व्यापारी जिस चीज से परेशान हैं, पूरा पैनिकिंग सिचुएशन है। जहाँ पर सीलिंग हो रही है, वहाँ पर एक बार आप जाकर हालत देखो और जहाँ पर सीलिंग नहीं हो रही है, वहाँ पर पूरा डर का माहौल है। पूरी दिल्ली के अंदर, छोटे से छोटे मीडियम वर्ग से लेकर के हर व्यापारी आज के तारीख में इतना डरा हुआ है, इतना पैनिकिंग सिचुएशन है जिसका शायद शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है कि ऐसी घटिया राजनीति हो रही है, इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष है हमारा! ये लोग ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं और 16 तारीख को इसी सदन के अंदर में, पूरे के सभी लोगों ने इतनी अच्छे से चर्चा की थी। सदन की भावना केन्द्र सरकार के पास, सारे देश के सामने रखा गया था कि किसी भी प्रकार से जो ये व्यापारी वर्ग है, जो डरा हुआ है। हजारों की संख्या में सीलिंग हो चुकी है। हजारों की संख्या में दुकानें सील हो चुकी हैं। बहुत अच्छा कहा मेरे मित्रों ने कि जिस वक्त ये सारी व्यवस्था हो रही थी बीस सालों से, तो कहाँ सोए हुए थे लोग? और आज जब ये सिचुएशन है तो इसका एक और एक मात्र समाधान है कि जब तक केन्द्र सरकार लोक सभा के अंदर आर्डिनेंस नहीं लेकर आती है, इसका समाधान नहीं हो सकता। समाधान करने के लिए 16 जनवरी के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने वो सारी चीज किये, जिसकी जरूरत थी। इनका डेलीगेशन आया मिलने के लिए, उसके अंदर तमाम सांसद थे, इनके जनप्रतिनिधि थे, इनके रिप्रजेन्टेटिव थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल ये कहा था कि जो भी बातचीत होगी। क्योंकि दिल्ली के व्यापारियों के संदर्भ में है, उनके हित में है, इसलिए हम लोग मीडिया के प्रजेंस में बात करेंगे। जहाँ पर कि हमारे भी डेलीगेट होंगे और आपके भी डेलीगेट होगा। केवल और केवल कैमरा देख करके भाग गए। उसके बाद बोले कि

हमारे साथ मारपीट हुआ है। कैमरा सामने में लगा हुआ है, उसके बाद बोल रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुआ है। उसके बाद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सकारात्मक पहल करते हुए कहा कि इस चीज को राजनीति से ऊपर उठकर के देखने की जरूरत है। अगर हमें कुछ करने की जरूरत है तो हम करने को तैयार हैं।

उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक बुलाया तो केवल काँग्रेस के प्रतिनिधि आए। वो प्रतिनिधि आए, जिनका काँग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में, फिर भी आए, स्वागत है। लेकिन भाजापा नहीं आए। भाजापा के प्रदेश अध्यक्ष विदेश में घूम रहे थे। ये इनकी गम्भीरता है, सीलिंग के प्रति, दिल्ली के व्यापारियों के प्रति। दिल्ली का व्यापारी क्या है? दिल्ली का व्यापारी पूरे देश में सबसे ज्यादा इमानदार, मेहनतकश व्यापारी है जो सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम करने के लिए जाना जाता है। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे, वो लोकल बॉडी हो चाहे वो सैन्ट्रल गर्वनमेंट हो हमारा राजस्व व्यापारियो के थ्रू आता है। सबसे ज्यादा भागीदारी इनका होता है चाहे; लोकल बाडीज के जरिये विकास का मसला हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जरिये विकास का मसला हो, चाहे केन्द्र के जरिये हो। विकास के अंदर में सबसे ज्यादा योगदान इनका है। आज कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बारी है, उसको लेकर के तीन महीने से कोहराम मचा हुआ है। दो महीने पहले पूरे सदन में चर्चा किया दिल्ली की विधानसभा ने, अपनी पूरी चर्चा करके केन्द्र की सरकार को, देश को अपनी भावना से अवगत कराया। लेकिन सात एमपी चुनकर के भेजा है दिल्ली की जनता ने, बाढ़ में बहकर नहीं आये थे ये लोग। ये भी जनता के चुने हुए लोग थे। आज तक अध्यक्ष महोदय, सारा देश देख रहा है इस बात को कि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको दिल्ली की जनता ने लोकसभा में भेजा था, ताकि जब कोई ऐसी

बात आये तो दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहे, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ें। लेकिन किसी सांसद ने एक बार भी सीलिंग के मसले पर, एक मिनट के लिए भी सदन के अंदर नहीं बोला। एक मिनट के लिए भी नहीं बोला केवल और केवल राजनीति करते हैं। यहाँ पर आकर के झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। मुझे याद है, नेता प्रतिपक्ष ने पिछली बार भी कहा था, 351 सड़कों का मसला उठाया था, 351 सड़कों का! ये 351 सड़कें क्या हैं? एमसीडी से जो लिखित में हमने जवाब मांगा, उस जवाब में एमसीडी ने लिख कर के कहा है कि इन 351 सड़कों पर एक भी दुकान की सीलिंग नही हुई, एक भी दुकान की सीलिंग नहीं हुई। झूठ बोलते हैं। ये सिरसा जी अभी सारे सदन को गुमराह कर रहे हैं कि 90 दिन के बाद नींद खुली है हमारी। 16 जनवरी को, आज से दो महीने पहले सारी सदन बैठी, सबने चर्चा किया, सब के भावनाओं से सारे देश को अवगत कराया गया, लोकसभा को अवगत कराया गया, केन्द्र को अवगत कराया गया। उसके बाद भी सरेआम झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, गंदी राजनीति करते हैं।

मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, सारे देश को कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि अगर आज यही मसला अंबानी और अडानी का होता तो रात को बारह बजे ये सदन बुलाते, आर्डिनेंस पास करते, उनको राहत देते। इसके एग्जाम्पल हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को एक प्रिंसीपल सैक्रेटरी लाना था गुजरात से, इनका फेवरेट था, इंतजार नहीं कर पाये। ये नहीं कि दो चार दिन किसी और सैक्रेटरी से काम चला लें, इमीडियेटली सबसे पहला आर्डिनेंस लेकर के आये। क्योंकि वो बेचारा! वो योग्य नहीं था उसके, उसके लायक कानून बनाया और तब जाकर के उसको

प्रिंसीपल सैक्रेटरी रखा गया। ऐसे ही एक मसला था जमीन अतिक्रमण का, जब गरीब किसानों से जमीन का अधिग्रहण करना था, तो यही प्रधानमंत्री जी आर्डिनेंस लेकर आये और इन्होंने जमीन अधिग्रहण किया और उसके बाद जब मसला था वोट बैंक का, ये कोई जलीकट्टू का त्यौहार होता है, हम किसी त्यौहार के खिलाफ नहीं हैं। हर किसी को अपना त्यौहार मनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्शन रहा होगा। जलीकट्टू त्यौहार के लिए आर्डिनेंस आ सकता है, त्यौहार मनाया गया तो लाखो व्यापारी जो आज सड़क पर हैं, जो रो रहे हैं, कराह रहे हैं, पूरी अव्यवस्था हो रखी है, पेनीकिंग सिचुएशन है, वार लाइक सिचुएशन है तो केन्द्र की सरकार आर्डिनेंस लाकर के इनको राहत क्यों नहीं दे सकती है, मैं ये जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय? केवल और केवल घटिया राजनीति हो रही है जिसको सारा देश देख रहा है। अरे! क्या दुश्मनी है इन व्यापारियों से? ये व्यापारी केवल दिल्ली सरकार को टैक्स नहीं देते, ये व्यापारी केन्द्र की सरकार को भी टैक्स देते हैं। तब जाकर के केन्द्र की व्यवस्था चलती है। एक लाख करोड़ रूपया केन्द्र को जाता है यहाँ से टैक्स। इस बार जब सैन्ट्रल हॉल जाने का मौका मिला तो मैंने माननीय जेटली जी से पूछा वो फाइनेंस कमिशन की बात कर रहे थे कि '42 percent of the share straight away goes to state government.' हमने पूछा कि दिल्ली को कितना देते हो? 15 सैकिण्ड के लिए पॉज हो गये। मुझे बोला कि दिल्ली यूनियन टैरेटरी है, इसके पास पैसे की कमी नहीं है। ऐसा एक्सक्यूज था। तो दिल्ली की जनता आपको टैक्स दे रही है तो दिल्ली की जनता आपको इसलिए थोड़ी टैक्स दे रही है। दिल्ली की जनता इसलिए टैक्स दे रही है ताकि आप दिल्ली वालों का विकास करो लेकिन फिर भी मैं इस बात पर आता हूँ। आपने, चलो ठीक है, वो अलग मसला हो सकता है लेकिन आज जो ये मुसीबत है, 351 सड़कों की जो बात कर रहे हैं,

2007 में दिल्ली की सरकार ने, उस समय की जो तात्कालीन सरकार थी, उसने एमसीडी को भेजा था। उसने कहा था कि आप इसमें से सर्वे करके बताओ कि किस सड़क पर कितना रेजीडेंशियल है, कितना कमर्शियल है। 2015 में हमारी सरकार, बनी आम आदमी पार्टी की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही आफिस रिजयूम किया, एमसीडी को रिमांइडर भेजा कि 2007 से जो ये फाईल चल रही है, इस पर आपने कितना सर्वे करके बताया, बताइये? फिर से रिमांइडर भेजा। छः बार रिमाइंडर भेज चुके हैं। एमसीडी, भाजपा शासित एमसीडी, इसने सर्वे करके नहीं दिया 2018 तक। अभी जब बहुत प्रैशराइज किया गया, जब इस सदन की बैठक हुई, 16 जनवरी को जब बैठक हुई, उसके बाद एमसीडी ने अपना सर्वे का काम शुरू किया। एक हफ्ते के अंदर में ये क्या बोलते हैं कि सर्वे करके दिये हैं, जिसको भेजा है इन्होंने, डीडीए के पास। जो काम हमें करना है, वो कर रहे हैं। लेकिन 351 सड़कों का जो मुद्दा बना रहे हो, 351 सड़कों पर तो एक भी सीलिंग हुआ ही नहीं है। तो ये किस बात के लिए आप गुमराह कर रहे हो, किस बात के लिए झूठ बोल रहे हो? हो ही नहीं सकती है, हुई नहीं है। तो मैं हाथ जोड़कर के यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर जलीकट्टू के लिए आप अगर ऑर्डिनेंस ला सकते हो, आप अपना पर्सनल सैक्रेटरी को बुलाने के लिए अगर ऑर्डिनेंस ला सकते हो, किसानों से जमीन अधिग्रहण करने के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हो, तो आज दिल्ली के सात लाख व्यापारी जो हड़ताल पर थे और लाखों व्यापारी जो इस डर में हैं कि हमारे ऊपर भी सीलिंग का साया आने वाला है, इनको भी राहत देने के लिए आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो। ऑर्डिनेंस लाने के माध्यम से ही इस चीज का समाधान हो सकता है। मैं इसकी अपील करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः श्री महेन्द्र गोयल जी धन्यवाद

श्री महेन्द्र गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है, कहीं पर लोगों की दुकानें बंद की जा रही हैं, कहीं पर फैक्ट्रियां बंद की जा रही हैं। जब लाइसेंसिंग की प्रक्रिया या कंस्ट्रक्शन को देखने का सारा का सारा जिम्मा एमसीडी के पास है तो फिर आज सीलिंग क्यों? जब ये दुकानें बन रही थी या ये फैक्ट्रियां बन रही थी, तो उस समय पर कहाँ पर सोये हुए थे ये लोग?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग उस समय में अधिकारी थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो? उन दुकानदारों का क्या कसूर है? पहले तो उनको उकसाया जाता है कि आप ऐसे दुकान बना लो, उनसे पैसे लेते हैं और पैसे लेकर उनसे दुकानें बनवाई जाती हैं और आज जब उनके जीवन भर की कमाई लग गई तो आज उसको सील कर दो। उस समय भी यही लोग थे और आज भी यही लोग हैं, उसी एमसीडी के अंदर। क्यों नहीं उस समय में इन लोगों ने देख रेख की? मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि इस दर्द को समझो, जनता ने तुम्हें मिटा दिया है। जनता की आवाज सुनोगे तो, जनता की बात करोगे तो, शायद कोई न कोई तुम्हारी बात पर विश्वास भी करेगा। इन लोगों का काम है, सिरे से झूठ बोलना। जैसे कि अभी सदन के साथी सिरसा साहब कह रहे थे कि तीन महीने से सरकार ने कोई भी सदन नहीं बुलाया। अरे! 16 जनवरी को तो बुलाया था। रिकार्ड निकालकर देख लो। उस समय भी हम लोगों ने सीलिंग के मुददे पर बात की। बार बार विधानसभा की कमेटियों के अंदर आपके कमिशनरों को भी बुलाते हैं और बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम 351 सड़कों के ऊपर जो रिटन के अंदर दिया है, कोई वो नहीं और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 351... 351... पता नहीं

क्या रट के आये हैं? 351 शगुन होता है क्या? ये अमर कोलोनी, 351 में अखिलेश भाई पूछ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ अध्यक्ष जी, ये झूठ बोलने की राजनीति बंद करो क्योंकि लोग जानते हैं कि ये बड़ी झूठी पार्टी है। इसका काम मत करो। इसके लिए कहता हूँ दो लाईनें आपकोः–

मैं, अहंकार से तीनों गये, धन वैभव और वंश

अरे यकीन नही, तो देख लो रावण, कौरव और कंस।

उनका भी वंश मिट गया है जैसे एनडी भाई ने कहा था कि वंश बेल मिट जायेगी यदि इन व्यापारियों को मिटाओगे और व्यापारियों की प्रायरिटी कहलवाती थी। हमारी बीजेपी तो उन्हीं के संरक्षण में रहते थे। लेकिन वो एक कहावत है जिस शाख के ऊपर बैठते हो और उसी को काटते हो, आपका यही काम है। दर्द यदि जानते हैं तो हम लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल जानते हैं, इस सदन के साथी जानते हैं। इसी में कह रहा हूँ मैं :–

'मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा जमीं की कद्र जानते हैं'

आज उन व्यापारियों की भी हालत जानते हैं और उन मजदूरों की भी हालत जानते हैं और उन नौकरों की भी हालत जानते हैं, जो दुकान के अंदर काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इसको मत मिटाओ। आप लोगों का काम है, कहीं पर किसी की मैम्बरों की सदस्यता को खा जाओ और कहीं पर किसी की दुकान को बंद कर दो। ये काम मत करो, ये अहंकार बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम लोग तो सह भी जाते हैंः–

'लचीले पेड़ हैं हम जो सह जाते है आंधियां,

वर्ना तुम जैसे मगरूर दरख्तों का हश्र जानते हैं।

मिट जाओगे बहुत जल्दी। अभी यूपी के अंदर और बिहार के अंदर हाल देख लिया। उससे पहले राजस्थान के अंदर हाल देख लिया और 2019 के अंदर पूरा का पूरा मिटता हुआ आपको बीजेपी का ये पलड़ा दिखाऊँगा, जिस प्रकार से आप लोगों ने मगरूरी की हुई है। लोगों को बर्बाद करके आप अपने घरों को आबाद करते हो। सिर्फ कुछ मॉल वालों को बचाने के लिए, इन दुकानों को बंद करवाते हो। एफडीआई से आप पैसा कमाकर सिर्फ चंद लोगों के घरों को भरना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए हमें! सही तरीके से यदि आपको जनता का प्रतिनिधि बनना है, आओ साथ में बैठो और समस्या का हल करो और केंद्र सरकार के अंदर आप भी अपील करो कि अध्यादेश लेके आए और इस सीलिंग को रूकवाए। सिर्फ यही बात हम कहते हैं आपसे। बहुत ज्यादा न कहते हुए अध्यक्ष जी, आपसे एक ही बात कहूँगा कि सीलिंग के सिर्फ यदि ये रुक सकती है या तो कन्वर्जन चॉर्ज कम किया जाए, दुकानदारों को समय दिया जाए और केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आए और सीलिंग को रुकवाए या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को 2019 के अंदर इस केंद्र के अंदर पहुंचाए। तो इस पूरी की पूरी सीलिंग को रुकवा के दिखा देंगे, देश के अदंर कहीं पर भी सीलिंग नहीं हो पाए। आप मुझे कहें कि कन्क्लूड कर दो, इससे पहले ही मैं कहता हूँ कि 2019 में कन्क्लूड कर देंगे, जय हिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, धन्यवाद महेंद्र जी। बंदना जी।

श्रीमती बंदना कुमारीः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज का बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा सीलिंग जो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमारे क्षेत्र

में व्यापारी जो है, सो हर जगह फैले हुए हैं, आजादपुर मंडी हो, सदर बाजार हो, चादंनी चौक हो, नया बाजार हो, ये व्यापारी सभी जगह अपना–अपना व्यापार करते हैं लेकिन आज सभी व्यापारी डरे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में छोटे–छोटे शॉपकीपर हैं। उनकी चिंता बस यही है जो ये 351 रोड की बात आती है, अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने, आपके समक्ष ये बात रखना चाहूँगी जो 351 की लिस्ट हम सभी विधायकों को भी प्रोवाइड करा दिया जाए जो कौन–कौन से रोड हैं। सभी साथी व्यापारी भाई जब आते हैं हमारे पास तो हमसे पूछते है, '351 की लिस्ट दें, कौन–कौन सी है, उसमें हमारा रोड है या नहीं है।' और हम जब कमिश्नर से, अपने डीसी से मिली और उनसे हमने मांगा जो 351 रोड की लिस्ट दे दो। तो उन्होंने कहा अभी आपको नहीं दे सकते, तो वो किनको दे सकते है, ये बता दें? जो 351 रोड कौन–कौन सी रोड हैं, जो उसमें आती है?

उसके बाद हमारी दो–तीन चीजें हैं सर, एक तो हमारे जो जितने कोचिंग सेंटर, वो अखिलेश जी के इधर आते हैं लेकिन हमारे यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं उन कोचिंग सेंटर में। सभी ने दो–दो, तीन–तीन लाख इयरली फी जमा करी रखी है और उस कोचिंग सेंटर पे अचानक से ताला लग जाने से उन विद्यार्थियों की क्या स्थिति है, उनके माँ–बाप और उनके परिवार से पूछिए। जो वो बेचारे इतने हैं ना, कहीं के नहीं हैं। अब दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएं या ना जाएं, वो पढ़ें या ना पढ़ें, उनकी बहुत बड़ी दुविधा है। तो हम सबको, ये सदन को और हमारे विपक्ष के भी साथी बैठे हुए है, इन सबको ये चिंता करनी पड़ेगी जो हम लोग करें तो क्या करें! अभी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से सिरसा जी ने कह दिया जो 90 दिन बाद नींद खुली है। 16 जनवरी को, सिरसा जी को पता नहीं था, सीलिंग पर चर्चा हो रही है।

सीलिंग के मामले पर जब–जब हमारे मुख्यमंत्री जी, अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार सर्वदलीय बैठक करने की कोशिश की, उस समय भी ये सारे के सारे सांसद आएं। और आए और ढपली बजा के चले गए। इनको कोई काम नहीं करना था। इनको उस समय भी चर्चा नहीं करनी थी। चर्चा करके ये चाहते, सब दल बैठ के और बताते जनता को जो ये समस्या है, हम जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में ये रखना चाह रहे थे जो सीलिंग के मुद्दे में कहा समस्या आ रही है और इस बात को जल्द से जल्द, मैं तो बस इतना ही कहूॅंगी जो जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर सीलिंग रूकनी चाहिए और आज विजेन्द्र गुप्ता जी ठोस बताएं जो कि हमें क्या करना है और हमारे सदन को क्या करना है और सदन फटाफट करके और वो आपके डीडीए और एमसीडी को सौंपे।

बहुत उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता ने... जब सभी पार्षदों की टिकट चेंज हुई थी तो दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीद की थी, जो नए–नए पार्शद आ रहे हैं, नया कुछ काम होगा, नई कुछ चाल चलेंगे, नया–नया उम्मीद थी उनको। लेकिन बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है जो ये नए पार्शद जो आए हैं और नए पार्शद, जितने नए पार्षदों को और नई–नई ट्रेनिंग दी जा रही है जो उनको कैसे आप पैसा कमा के लाओ, किस तरीके से लोगों को लूटकर लाओ और किस तरीके से हमारी जनता पिस रही है उसके अंदर।

कन्वर्जन चार्ज में जो अखिलेश भाई ने कहा जो सच में पिक एंड चूज का सीलिंग हो रहा है। सीलिंग हो रही है तो हम बता रहे हैं जो डेढ़ से दो सौ जगह सीलिंग हो रही है और कागज में चालीस या पैंतालीस दिखाई जा रही है। हमारे यहां भी सीलिंग हुई थी, चार–पॉच दुकानों में सीलिंग हुई। सीलिंग हुई, सारे लोग जब निकले तो चार दुकानें सीलिंग

करके चले गए और क्या सेटिंग हुई फिर 10 दिन बाद उन्होंने खोल दिया तो क्यों डरा रहे हैं हमारे व्यापारी भाइयों को? व्यापारी बहनों को, डरा क्यों रहे है?

तो मेरा कहना यही जो कि इन चीजों से आज व्यापारी त्रस्त है, व्यापारी परे ाान है क्योंकि एक ही व्यापार में 30–40 साल से लगातार, एक व्यापार कर रहा है, आज उनके पास कोई ऑपशन नहीं है जो वो जाएं तो जाएं कहाँ। वो दूसरा व्यापार कर भी नहीं सकते, वो कोई और काम नहीं कर सकते। उनके पास वही व्यापार साधन है। आप सबने ही इसको खुलवाया था, आप सबने ही चलवाया था क्योंकि दिल्ली के अंदर एमसीडी का ही भाासन रहा। एमसीडी में भाजपा का ही शासन रहा तो ये लोग मिल के लगातार अनआथोराइज कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और तब जब तुड़वाना होता है, तो फिर इनको डराने धमकाने का काम और इनको तुड़वाने का काम करते हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी जो जल्द से जल्द जो भी डिसीजन निकालना है, जल्द से जल्द कानून के तहत हम जल्द से जल्द एक अध्यादेश लाके और हम व्यापारी भाईयों को हम सभी लोग मिलकर राहत दिलाएं, जय हिंद, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः श्री गुलाब सिंह जी। बहुत संक्षेप में गुलाब जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इतने गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है जो कि आज सार्थक साबित होती है कि– 'जिस थाली में खाओ, उसमें छेद कर दो।' पिछले 30 साल का अगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो व्यापारी वर्ग का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने में साबित होता है और चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो,

नोटबंदी के माध्यम से हो या फिर आज दिल्ली के अंदर सीलिंग कराने के माध्यम से हो, इन सभी तरीकों से एक वो जो बड़ा तबका, व्यापारी तबका था, आज वो भारतीय जनता पार्टी को ये सोच रहा है कि किस तरह से 2019 तक पहुंचें और इनका कार्यकाल खत्म हो। दिल्ली के अंदर ये सत्य है कि एक बहुत बड़ा तबका जो व्यापारी वर्ग है, आज उसके परिवार में इतना खौफ है, इतना डर है, इतना भय है, सोचिएगा कि जिसने 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले अपने जीवन भर की कमाई से छोटी–छोटी दुकानें बनाई थी और आज वहाँ पर सीलिंग की गई है, उनका सामान तक अंदर रह गया है। इतना खौफ में है कि ऐसा लगता है न जाने आने वाले समय में दिल्ली के व्यापारी, जिस तरह से हिंदुस्तान के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, कहीं उस तरफ कदम न बढ़ा दें। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठ के सभी दलों को एक साथ मिलकर इसका कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए और जैसा कि आपने देखा, दो दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा में हिस्सा लिया ही नहीं और देखिएगा इनके, किस तरह से विचलित कितना करते हैं, इनके जितने भी सांसद हैं, सारे के सारे इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो लोकल पार्कों में सुबह वो खाकी चढ्ढी वाले जो घूमते हैं, कितना गजब का, एक गलतफहमी फैलाते हैं लोगों के अंदर, इस देश के अंदर, जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। आज मैं कहना चाह रहा हूँ, इनसे पूछिएगा और ये तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी तो सीलिंग है, अभी एफडीआई आ रही है जिस एफडीआई का ये नाच–नाच कर खुले में विरोध करते थे, आज पूरे देश के अंदर एफडीआई के स्टोर खुलने शुरू होने जा रहे हैं और जैसे ही एफडीआई के स्टोर खुलेंगे तो हमारे दिल्ली के कई सारे छोटे दुकानदार

ऐसे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि एफडीआई की परिभाषा क्या है। एफडीआई है क्या और सच्चाई में एफडीआई हिन्दुस्तान को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेलने का एक हथियार है। कैसे है? आज दिल्ली के कुछ लोग देख रहे हैं बड़ी उम्मीद के साथ इस सदन को देख रहे है, मैं उनको बहुत सरल परिभाशा में बताना चाहता हूँ जितना मुझे मालूम है कि अगर एफडीआई के स्टोर खुले तो क्या होगा। आज सीलिंग है, सीलिंग के बाद एफडीआई आई, सीलिंग के पीछे भी एक एफडीआई का एक सीधा—सीधा एक साजिश रची गई है, लेकिन अब एफडीआई आई है तो क्या होगा। मान लीजिए रामलाल और श्यामलाल की किसी गली में दुकान है; परचून की दुकान है, लेकिन कल को अगर उसके बगल में एफडीआई का एयरकंडिशंड बड़ा सा एक शोरूम खुल गया तो क्या होगा, जो रामलाल 50 रुपए चीनी बेच रहा है, एफडीआई उसको 45 रुपए में बेचेंगी, एफडीआई उसको 40 रुपए में बेचेगा और रामलाल बेचारा एक साल में, 6 महीने में या डेढ़ साल में अपना दम तोड़ देगा क्योंकि उसको, उसके बगल में जो एयरकंडीशड शोरूम खुल गया एफडीआई का, जो स्टोर खुल गया है, वहां पर वो चीनी नो—प्रॉफिट, नो—लॉस में वो विदेशी कंपनियॉ कुछ दिन बेचेंगी और जब रामलाल अपना दम तोड़ देगा, अपनी दुकान का शटर बंद कर देगा उसके बाद वो उसी चीनी को 60 रुपए किलो बेचेंगे और धीरे—धीरे, धीरे—धीरे, इस देश का जो छोटो व्यापारी तबका है, वो बर्बादी की तरफ चला जाएगा। आप देखिएगा कि पूरे इस नोटबंदी में, जीएसटी में, सीलिंग में एक बड़ा व्यापारी है इस देश में, जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, जिसका सीधा—सीधा फायदा है। पंकज भाई ने बताया बड़ी खूबसूरती के साथ 67 परसैंट उनके व्यापार में वृद्धि हुई है।

एक व्यापारी है अंबानी साहब, जिनको बहुत बड़ा फायदा इसमें होने जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 'झूठ फैलाने में माहिर,' सोशल मीडिया

पे देखिएगा कैसे–कैसे सीलिंग को लेकर, की सब कुछ अरविंद केजरीवाल को करना है, लेकिन व्यापारी वर्ग, देखिएगा, सच्चाई से रूबरू गुप्ता जी को मैं करना चाहता हूँ। आप भी हैं और मालूम भी है आपको कि आज सारा व्यापारी वर्ग जानता है, दिल्ली की जनता जानती है और हम भी जानते हैं कि एक अध्यादेश लाकर इसको केंद्र सरकार ठीक कर सकती है लेकिन वो आप लाना नहीं चाहते हैं आज आपसे कुछ भी पूछ लो, 'भई, नीरव मोदी क्यों भागा?' 'केजरीवाल की वजह से।' ये भी फैला दिया, माल्या क्यों भागा? बोले, 'केजरीवाल की वजह से।' 'भई जज लोया की मौत का जिम्मेदार कौन है?' बोला, 'केजरीवाल जी।' इनसे जो पूछो, 'केजरीवाल, केजरीवाल।' इनकी हालत उस बच्चे की तरह है, आज सुबह एक भाई साहब एक कहानी बता रहे थे, इनकी हालत उस बच्चे की तरह हो गई है, 'हर चीज में केजरीवाल।' एक बच्चा सुबह घर से निकलता है, बगैर खाना खाए, स्कूल जाना था उसको, टिफिन भूल गया घर से, अब खाना भी नहीं खाके आया और टिफिन भी नहीं लेके आया। अब जैसे ही वो क्लास रूम में बैठा, पेट में हुई गुड़गुड़, बेचारा भूखा था, टीचर ने पूछा बता दो और दो, बोले दो और दो चार रोटी। तो इनकी वो हालत हो रखी है, इनसे जो मर्जी पूछ लो, 'ये काम केजरीवाल की वजह से,' 'फलाना काम केजरीवाल की वजह से' अरे! सीलिंग आपकी वजह से है,' आपकी नगर निगम के अंदर और ये तो अध्यादेश लाकर आपको रोकना ही पड़ेगा, वर्ना मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया, हम सब लोग जनता के साथ खड़े हैं और जनता के लिए जेल भी जाने को तैयार हैं, ये आपको रोकना ही पड़ेगा साथ में, आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर जहाँ भी है, ये आने वाला खतरा बता रहा हूँ जी, मैं आपको। बेसमेंट खुद रहे हैं, मैन रोड के ऊपर, दो–दो, तीन–तीन बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। नगर निगम के अधिकारी सम्मिलित हैं, इनके काउंसलर सम्मिलित हैं, प्रीति अग्रवाल जैसी,

जो इनकी मेयर है, सीधा उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। उनके बारे में, इनसे सवाल पूछो, तो इनके पास जवाब नहीं। लेकिन आज मैं, अंत में, उन व्यापारी भाइयों की तरफ से जिन्होंने अपने छोटे–छोटे पैसों की मदद से, ये इस भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके मन में क्या विचार है, ये कहना चाहता हूँ किः–

'गलती माली से हुई, या मौसम से भूल,

आंगने में उगने लगे नागफनी के फूल।'

बहुत–बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। प्रमिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, अभी 10 और 11 मार्च को हमारा कॉफ्रेंस था तो उसमें अपने अभिभाषण में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही अब जो वर्ग पिछड़ गया, वो पिछड़ता ही चला जाता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वही बातें, पहले नोटबंदी फिर जीएसटी, फिर सीलिंग, फिर एफडीआई। कहीं न कहीं, व्यापारियों को एक तरीके से वो खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि जब वो दुकानों को बंद करेंगे, बड़े व्यापारी से सामान कौन लेता है, जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, वही तो सामान खरीदते हैं और जिनकी दुकानें बंद हुई हैं, जो उनमें ऐसा भी सामान होगा, जो खराब होने वाला भी है। क्या कोई उसकी गांरटी लेगा कि वो सामान खराब होगा तो उसको क्या, बीजेपी की सरकार है, जो एमसीडी है, वो उनको उनका भरपाया करेगी? ये कुछ ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और हमारे वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा व्यापार बताया, 'पकोड़े तलने का' और ये खूब चर्चा में भी हैं, पकोड़े तलने का, क्योंकि अभी टैंथ और टवैल्थ के इग्जाम भी हैं, उसमें भी कहीं न कहीं

बच्चों का यही है कि आगे जाके तलने तो पकोड़े ही हैं। क्योंकि उनके माइंड में है कि आगे चलके तलने पकोड़े ही है। अब वो उनके समझ में नहीं आ रहा, 'पकोड़े तलके, उनको रखेंगे कहाँ, बेचेंगे कहाँ? अगर उनको दुकान में रखेंगे तो दुकानें सील होंगी, तो अब उनको, बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आगे व्यापार करें या आगे हम पढ़ाई करें। वो कुछ न कुछ मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अच्छी बातें कहीं कि जो वर्ग पिछड़ गया, वह पिछड़ता ही चला जाता है। कहीं न कहीं वो दिल्ली को, उस पिछड़े हुए वर्ग की तरह मानते हैं कि उसको ओर पिछड़ाओ, जितना चाहे। लेकिन एक ये दिल्ली की सरकार है, वो दिल्ली को पिछड़ने नहीं देगी। हर क्षेत्र में सबसे आगे है और आगे ही रहेगी, मुझे लगता है और मैं अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ।

सुश्री राखी बिड़ला: बस एक बार, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय: आपकी बारी आ रही है ना।

सुश्री राखी बिड़ला: बारी आ रही है, लेकिन 2 मिनट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं–नहीं, राखी जी, जब आपकी बारी आएगी, उसी समय रख लेना, प्लीज। जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान: धन्यवाद, अध्यक्ष जी। आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराई उसके लिए धन्यवाद आपका।

सर, मैं दो–तीन बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो सीलिंग हो रही है आज, आज पूरी दिल्ली की जनता, चाहे मजदूर तबका हो, कर्मचारी हैं, दुकान पर काम करने वाले, फैक्टरी में काम करने वाले या जिनकी दुकानें इफैक्टेड है, आज हर आदमी त्रस्त है और ये जो

सीलिंग हो रही है, ये न तो एमसीडी कर रही है, न दिल्ली सरकार कर रही है और न केंद्र सरकार कर रही है। भईया, सुनना, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सुप्रीम कोर्ट की जो मॉनीटरिंग कमेटी बनाई हुई है, उसके द्वारा सीलिंग हो रही है। इसमें कॉरपोरेशन केवल इम्पलिमेंटिंग एजेंसी है, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट से आये, उसका उन्होंने पालन करना है। उसके अनुसार वो उसको सील कर रहे हैं। अब यहां चर्चा 16 जनवरी को भी हुई और सबकी इच्छा ये है कि सीलिंग दिल्ली में न हो; चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों। बाकी मैं जो समझ रहा हूँ यहाँ, दिल्ली की जनता को कब रिलीफ मिले, राजनीति हम ज्यादा करें, उस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर हम ईमानदारी से सीलिंग रुकवाना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः यार! सुन ना जरा।

अध्यक्ष महोदयः भई अखिलेश जी, क्या बात करते हो आप? अखिलेश जी, आपको समझ नहीं आता कुछ। नहीं, कोई चीज समझ नहीं आती आपको।

श्री जगदीश प्रधानः अरे! तू गुण्डागर्दी बाहर कर ले चलकर मेरे साथ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, ये तरीका ठीक नहीं है, अखिलेश जी। अखिलेश जी, अब आप चुप हो जाइए।

... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः अब तू के बच्चे!

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, ये उचित नहीं है। आप भी हर एक मेम्बर के बीच में टोकते हैं। बिल्कुल शांति से बात चल रही है, आपको क्या दिक्कत हो रही है?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आपके सदस्य उत्तर देंगे ना।

... (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रधानः अध्यक्ष जी, हम भी चाहते हैं सीलिंग रुके और हमारे सांसद भी। नेता प्रतिपक्ष भी, कई बार शहरी मंत्री से मिले हैं कि सीलिंग पे कोई समाधान परमानैन्ट निकल आए। हम लोग कल भी मिलके आएं हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते तक इस पर कोई ठोस कदम उठा रहे हैं और दिल्ली में सीलिंग रुकवाने का प्रयास जारी है और जल्दी सीलिंग रुकेगी।

अब दिल्ली में दो तरह की सीलिंग है सर, एक तो जो मॉनिटरिंग कमेटी करा रही है और एक जो दिल्ली सरकार के द्वारा कराई जा रही है। भई, सुन लो।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बता लेने दो, बता लेने दो उनको। अभी उत्तर देंगे ना। कौन सी हो रही है दिल्ली सरकार।

श्री जगदीश प्रधानः पिछली बार 16 जनवरी को भी ये बात कही थी कि दिल्ली में 2000 अनोथराइज कालोनी हैं। दिल्ली सरकार ने या एमसीडी ने, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। वहाँ बीजेपी सत्ता है,

यहाँ आपकी सत्ता है। उन कालोनियों के अंदर एक भी बारातघर नहीं है, एडीएम के आदेश जारी हुए, डीसी, एमसीडी को कि इन बारातघरों को जो छोटे–छोटे, इनको सील करो। मैंने यहाँ पर बात उठाई तो हँसी में ले गए लोग यहाँ कि इनका बारातघर है। सर, 2000 कालोनियों में मेरा बारातघर नहीं है। गरीब आदमी उमराव जान में जाकर शादी नहीं कर सकता, अलीपुर रोड पर जाकर शादी नहीं कर सकता। जिनको 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार का मैरिज हॉल छोटा सा चाहिए, वो अनऑथोराइज कालोनी में बीच में जो छोटी–छोटी जगह बनी हैं, वहाँ पर अपने बच्चों की शादियाँ करता है। मैं आपको वो ऑर्डर दिखा सकता हूँ एडीएम के। एडीएम आपके अधीन है, दिल्ली सरकार के अधीन है तो उसने आदेश दे दिया एमसीडी को कि ये बारातघर आपको सील करने हैं। तो सील करने चले गए। अब उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली सरकार की। तो सर, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं। इस पर मेरी आपसे प्रार्थना है, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनसे प्रार्थना है कि जो इस तरह की सीलिंग चल रही है, उसको आप रुकवाएं। जहाँ तक एमसीडी की बात है आज तक दिल्ली में जितनी भी अनऑथोराइज बस्तियां हैं; 2000 या 1900, उनमें से एक भी कालोनी एमसीडी के हैंड ओवर नहीं है। आप यहां एक रेजल्यूशन पास करें। आप, दिल्ली सरकार उसके ऊपर अपनी सारी कार्रवाई अपने ऊपर ले। अगर वहाँ नक्शे पास करने हैं तो आप करें। जब वहाँ एमसीडी कोई काम कर नहीं सकती, कोई सड़क नहीं बना सकती, नाली नहीं बना सकती तो वहाँ एमसीडी को जाकर तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका रेजल्यूशन पास करें आप यहाँ। आप यहाँ एमसीडी पर आरोप लगाते हैं। जब एमसीडी की वो लैण्ड नहीं, एमसीडी वहाँ कोई काम नहीं कर सकती लैण्ड दिल्ली सरकार की है, तो उस पर

इस तरह का आप यहाँ से काम करें। मैं ज्यादा न कहते हुए इतनी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि दिल्ली की जनता को आप बचा लें और यहां से दिल्ली सरकार एक रेजल्यूशन पास करके भेजे और जो अनऑथोराइज कालोनियों में जून, 2014 तक जो प्रोटेक्शन दिया गया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से दिल्ली सरकार से कि उसको दिसम्बर, 2017 तक जो भी दिल्ली में कालोनियां बस गई हैं, मकान बन गए हैं, उनको किसी को ना तोड़ा जाए। धन्यवाद, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदयः तोमर जी।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। बहुत ही बर्निंग इशू है सीलिंग का दिल्ली के अन्दर और आपने मुझे इस पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ।

अभी प्रधान जी ने बहुत बढ़िया बोला। उससे पहले सिरसा जी बोल रहे थे और कितनी सफाई के साथ बोलते हैं कि साहब, आप बचा लीजिए, दिल्ली को बचा लीजिए। सीलिंग हो रही है, बहुत परेशान हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये भी परेशान हैं कहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, दोस्तों से कि जो वर्ग हमेशा से आपके साथ रहा है पारंपरिक रूप से, आप उसको बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? आपने पहले नोटबंदी लाकर तोड़ दिया उनको, व्यापारी वर्ग को, दुकानदारों को। उसके बाद आप जीएसटी ले आए, उसके बाद एफडीआई भी ला रहे हो, उसके बाद सीलिंग भी कर रहे हो। मुझे जो अभी गुलाब भाई कह रहे थे कि जिस थाली में खाते हो, उसी में छेद करते हो। ये कैसे हो रहा है? क्यों कर रहे हो आप लोग ये? और मुझे तो कई बार बड़ी हँसी आती है और बड़ा कोशिश भी करता हूँ सीखने की। मेरे तमाम

साथी यहाँ पर हैं, मेरे दोस्त हैं विजेन्द्र गुप्ता जी, जब बोलते हैं, तब कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं और चेहरे पर नहीं आता। ओम प्रकाश जी के चेहरे पर आ जाता है। देखो, जब ओम प्रकाश जी झूठ बोलते हैं तो चेहरे पर गुस्सा आ जाता है इनके अलग से लगता है कि भई, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं तो ये हैरान हूँ कि जब विजेन्द्र गुप्ता जी जब बोलते हैं झूठ, तो कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं और कितने विश्वास के साथ और चेहरे पर नहीं आता। फेस रीडिंग नहीं कर सकता कोई। तो मुझे लगता है भई, कि कहाँ से सीखा है? कौन है गुरू? बता दो यार हमें भी अपना, गुप्ता जी।

... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः बना लो, केजरीवाल जी को गुरू बना लो, बोलो, बना रहे हो? आप ही कह रहे हो। चलिए, मैं तो ये कहना चाहा रहा हूँ कि आप लोग बार–बार, सुनिए–सुनिए, आप लोग बार–बार कह रहे हैं कि दिल्ली को बचा लीजिए, स्पीकर साहब, बचा लीजिए, अध्यक्ष जी, मुझे बचा लीजिए, केजरीवाल साहब बचा लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि सीलिंग कर कौन रहा है? एमसीडी। एमसीडी किसकी है? आपकी। कौन बचा सकता है सीलिंग को? डीडीए। उसका मास्टर प्लान किसका है? डीडीए का। वो किसके अण्डर आता है? बीजेपी के। और जिनको पीट रहे हो, जिनसे पिटवा रहे हो आप, जो बुरी तरह से मार रहे हैं व्यापारियों को वो पुलिस किसकी है? वो भी आपकी है। तमाम सब कुछ आपका है। पिटवा आप रहे हैं, सील आप करवा रहे हैं, सब कुछ आप करवा रहे हैं और एक बार भी, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ये बात सोच के कि सात आपके सांसद हैं, चार आप लोग हैं, ग्यारह हो गए। ग्यारह तो बहुत सारे होते हैं। कभी एक बार चले जाते, किसी अपने होम मिनिस्टर के पास चले

जाते, प्रधानमंत्री जी से मिल लेते जाकर, हाथ जोड़ लेते उनसे कि साहब, दिल्ली को बचा लो। लेकिन आप बचाना क्यों नहीं चाहते हो, ये बात समझ से बहुत परे है कि आप लोग क्यों बचाना नहीं चाहते हैं! सिर्फ, केवल ड्रामा कर देना, ड्रामा करके जैसे पहले ड्रामा किया आप लोगों ने कि मुख्यमंत्री जी, आपसे मिलने आना चाहते हैं। आइए, आपका स्वागत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि आप लोग बड़े ड्रामेबाज हैं। पता नहीं, क्या ड्रामा करेंगे। तो बड़ा, सब कुछ ओपन, बहुत ट्रांसपेरेंट। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथी हमारे वहाँ पर थे, बहुत ट्रांसपेरेंट रखा सब कुछ, पूरे दिल्ली का मीडिया था, देश का वहाँ पर था। हम सब लोग थे। ये लोग आए, तो बाकी अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि वो बाजू तानते हुए आ रहे थे मनोज तिवारी जी। विजेन्द्र गुप्ता जी पूरी तैश में थे। साथ में एक बदमाश रखा हुआ है; वो बिधूड़ी। वो गाली–वाली बहुत देता है, जोर–शोर से बोलता है। शर्मा जी थोड़ा शांत थे उस दिन, उस टाइम, मुझे लगता है। तो आए, वहाँ पर उनको सबको बहुत...

... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः सुनिए, अच्छा आप नहीं थे क्या? चलो, देखा नहीं आपको, इसलिए कह रहा हूँ। तो उनको बोला, बड़ी इज्जत से, 'आइए, बैठिए।' 18 कुर्सियां पड़ी हुई थी साहब। एक तरफ पूरी कुर्सियाँ इनके लिए छोड़ दीं, सामने की तरफ। जैसे अभी मैं यहां खड़ा हूँ तो मैं इस तरफ था, सामने 18 कुर्सियां खाली थीं, सीएम साहब बैठे हुए थे। वो लोग आए सीएम साहब ने, सुनिए, अब मैं कहना चाहता हूँ, आज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ पूरे सदन को ये बात बताना चाहता हूँ, वहाँ पर आए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः तोमर जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः तो सीएम साहब ने उनसे प्रार्थना की कि आप बैठिए, बैठकर बात करते हैं। चाय पीजिए, आराम से बात करते हैं। और आए वो सीलिंग की बात करने थे, तो आकर कहने लगे साहब, आपने जो तीन साल में जनता से वादे किए, वो पूरे नहीं किए। आपने उसका क्या किया? तो मैंने सिर्फ एक गुस्ताखी ये कर दी कि मैंने कहा कि मनोज तिवारी जी, आप यहाँ सीलिंग की बात करने आए हैं, आप सीलिंग की बात कीजिए। हमने क्या जनता से वादे किए, हम जनता से क्या जवाब देंगे, वो हम दे लेंगे। इतनी सी बात पर उन्होंने कन्क्लूड कर दिया। आप कहते हैं ना कि कन्क्लूड करो तो विजेन्द्र गुप्ता जी ने कन्क्लूड करा दिया अपना माइक लेकर और वहां से निकल आए और उसके बाद आज विजेन्द्र गुप्ता जी यहां पर बैठे हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से सदन के अंदर खड़े हुए, छठी विधानसभा है सारे तमाम साथी हैं हम लोग, आज सच कह दें ये, किसी ने इनको मारा हो। मनोज तिवारी ने...

... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तौमरः सुनिए, एक मिनट सुनिए। मनोज तिवारी ने बाहर निकलकर प्रैस में बोला।

... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तौमरः विजेन्द्र गुप्ता जी, मैं अपनी बात करता हूँ, सुनिए। मनोज तिवारी ने ये कहा कि तोमर ने मुझे घूंसा मारा।

... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह तौमरः आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। तोमर ने मुझे घूंसा मारा और अगले दिन स्पीकर साहब, एफआईआर दर्ज हो गई चार लोगों के ऊपर। जिसमें एक मैं हूँ, एक जरनैल भाई थे, एक संजीव भाई थे। अखिलेश तेरे खिलाफ भी है क्या? और एक राजेश ऋषि के खिलाफ भी है। चार–पाँच लोगों के खिलाफ एफआईआर है। तो आप लोग क्या करते हैं? सुनिए, कितने आप लोग डरपोक आदमी है! पुलिस का सहारा लेते हैं। तभी हम लोग नारा लगाते हैं, 'जब–जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है।' तो आप आगे कर देते हो। मुझे समझ नहीं आती। आपने एफआईआर करा दी मतलब, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, मेरा बीस फुट का फासला था मनोज तिवारी से और मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज है इस बात की कि मैंने मनोज तिवारी को घूंसा मारा। इससे अफसोसजनक बात, इससे निंदनीय बात कोई हो नहीं सकती। जो राजनीति ये लोग करते हैं, हम लोग वो नहीं करते। हम लोग खुलकर करते हैं, जो भी करते हैं, विजेन्द्र गुप्ता जी।

तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरा व्यापारी दिल्ली का, पूरे दुकानदार जो दहशत में हैं, उनको आज उससे बाहर निकालने की जरूरत है। उसके लिए जो भी करना पड़े, जैसे अभी प्रधान जी कह रहे थे कि खुले हाथों से प्रार्थना है, मेरी तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, 'आप सब लोग चलो, हम भी चलते हैं। कहाँ चलना है? किस के पास? पूरा सदन आपके साथ चलेगा। प्रधानमंत्री जी के पास चल लीजिए और कहीं चल लीजिए उनसे कहते हैं 'भैया, एक अध्यादेश ले आओ। अपने अधिकारी को बचाने के लिए अध्यादेश ले आते हो, अपने अधिकारी लगाने के लिए, एक त्यौहार बनाने के लिए अगर जो अध्यादेश ले आते हो तो एक अध्यादेश दिल्ली के लोगों को बचाने में क्या दिक्कत है? हजारों लाखों की संख्या में जो

व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो बेचारे मरे जा रहे हैं दहशत में हैं, परेशान है। जिनकी दुकाने सील हो गई हैं उनका घर चलना मुश्किल हो गया है। उन बच्चों की फीस दे नहीं पा रहे हैं, गाड़ी की किश्त नहीं दे पा रहे हैं, मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं और जिनकी नहीं हुई है, वो बहुत दहशत में हैं, बहुत परेशान हैं। रोज पूछते हैं हम लोगों से आकर के, 'भाई साहब, कल कोई आने वाला तो नहीं है हमारे यहाँ? हमारी दुकान पे कोई गाज तो गिरने वाली नहीं है?' और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आपकी एमसीडी कितनी भ्रष्ट है, बताना चाहता हूँ। खैर! जो भी करवाया, आपकी एमसीडी ने कराया विजेन्द्र गुप्ता जी। पहले भी आपकी सरकार थी, एमसीडी में, उससे पहले भी थी और तमाम जितने अवैध निर्माण हुए, जितने गलत काम हुए, जितने भी ये अनऑथोराइज काम हुए, वो सारे आपके संरक्षण में हुए। आप भी निगम पार्षद रहे हैं। राहिणी में भी बहुत कुछ हुआ है। तमाम जितने ये काम हुए हैं, जितने भी अवैध निर्माण हुए, जो भी गलत काम हुए, सब आपके संरक्षण में, आपके निगम पार्षदों के संरक्षण में और तमाम जो भ्रष्ट जो आपके अधिकारी हैं, एमसीडी के, उनके संरक्षण में हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन एक बार आपसे प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदयः तोमर जी, कन्क्लूड करिए, अब कन्क्लूड करिए।

श्री जितेन्द्र सिंह तोमरः कर देंगे सर, कन्क्लूड कर देंगे। आपसे प्रार्थना है कि ये बजाय बार बार ये कहने के कि हर बात पे जब भी कोई बात हो जाए, केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं, इस बात के लिए। अगर किसी को छींक भी आ जाए तुम्हारे यहाँ तो केजरीवाल जी जिम्मेदार हो जाते है। अरे! आप जानते हो कि आप जिम्मेदार हो। आप के सातों के सातों सांसद सोए हुए हैं। आप चारों विधायक सोए हुए हैं, तमाम आपकी एमसीडी सोयी हुई है। आप जागते क्यों नहीं हो? आप क्यों नहीं भला करना चाहते

हो? उन लोगों को क्यों तंग करना चाहते हो? जो हजारों, लाखों की संख्या में जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उनको क्यों तंग करना चाहते हो, भाई साहब, ये तो बता दो? देखो, ये जो बात अभी हमारे मित्र कह रहे थे महेन्द्र गोयल साहब कि घमण्ड तो रावण का भी नहीं रहा था, उनका भी टूट गया था तो घमण्ड किसी का बचता नहीं है और टूटना शुरू हो गया आपका। काउंट डाउन तो शुरू हो चुका है आपका। उल्टी गिनती तो आपकी शुरू हो गई। बहुत बड़ी बात हो रही थी कि बहुत सारी, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि 2024 में योगी जी प्रधानमंत्री बना देंगे, योगी जी को और योगी जी की हालत ये हो गई है कि योगी जी के जो उनका बूथ है ना, 43 वोट मिले हैं उसपे, 43! तो कहते है न, जो अभी एनडी शर्मा जी कह रहे थे कि भई, बड़े बड़े राजा जिनकी एक हजार रानियाँ होती थी, जिनकी हजारों की औलाद हुआ करती थी, उनका नामो निशान नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 'जिनके महलों में हजारों रंगो के फानूस थे, छार उनकी कब्र पे है और निशां कोई नहीं, कोई निशा बचता नहीं। आप लोगों का भी नहीं बचेगा। घमण्ड छोड़ दीजिए, बिल्कुल पोलाइट हो जाइए और एक इंसानियत के नाते ही सही, मानवता के नाते इन तमाम लोगों की मद्द कर दीजिए जो लोग परेशान हैं, जो दहशत में हैं, उन सब लोगों के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए और मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आप तमाम अध्यादेश ले के आए हैं बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए। ये तो दिल्ली के हजारों लाखों व्यापारियों की जिंदगी का सवाल है। जिंदगी–मौत का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से कि वो इसपे एक अध्यादेश ला कर इस सीलिंग पे, यहाँ पर रुकवाए। धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद, धन्यवाद। सुश्री राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़लाः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी सीलिंग के मुद्दे पे बोलने से पहले मैं एक बात आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी आपका हृदय बहुत बड़ा है, आप इस चीज को बर्दाशत कर सकते हैं। लेकिन सदन की चुनी हुई सदस्य होने के नाते ये बात मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही और जब मैं साथियों से बात करूँगी तो उनकी भी बर्दाश्त के बाहर, आज एल.जी. साहब सदन में आए उन्होंने अपना बजट सत्र का पहले दिन अभिभाषण दिया। सरकार की उपलब्धियाँ, भविष्य में सरकार की नीतियाँ क्या रहने वाली हैं, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला और उनके अभिभाषण के बाद अमूमन जब से 1993 से ये विधान सभा बनी और...

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, इस पर सोमवार को चर्चा होगी।

सुश्री राखी बिड़लाः पूरे देश के साथ... अध्यक्ष जी, दो मिनट।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, उसपे चर्चा में मत जोड़िए इसको।

सुश्री राखी बिड़लाः दो मिनट में जितनी बार भी आप मुझे टोकेंगे मैं उतनी देर में कह दूंगी क्योंकि ये बहुत दुःखद बात है।

अध्यक्ष महोदयः उसे छोड़िए ना।

सुश्री राखी बिड़लाः मैं मन्डे तक अपनी पीड़ा को नहीं दबाए रख सकती। आपने उन्हें चाय के लिए आमंत्रण दिया। हर विधान सभा में, देश की सभी विधान सभाओं में होता है कि जब भी एल.जी. साहब या गवर्नर साहब आते हैं, बजट सत्र में अपना अभिभाषण देते हैं तो मुख्यमंत्री और जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठकर चाय पीते हैं। पिछले साल भी आपने ऐसा निमंत्रण दिया था, इस बार भी दिया। लेकिन उन्होंने आपके निमंत्रण

को अस्वीकार किया, इग्नोर किया और वो चले गए। ये बहुत दुःखद है। उन्होंने न सिर्फ आपके निमंत्रण को ठुकराया बल्कि सदन की जो भावना है, सदन का जो एक सम्मान है...

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, बैठ जाइए आप।

सुश्री राखी बिड़लाः उसका भी उन्होंने अपमान किया है।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अभी मैं कुछ नहीं सुनना चाह रहा।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए, कोई बात नहीं बैठ जाइए।

सुश्री राखी बिड़लाः हाँ, आप ही बताएंगे न। क्योंकि वो वो आप ही की तो अगुवाई करते हैं और इसके अलावा क्यों कल आपने तो मीटिंग में तो बड़ी चाय पी ली थी।

अध्यक्ष महोदयः मैं इसका जवाब दूँगा ना, तो बहुत दूर तक जाएगा अब, बहुत दूर तक जाएगा।

सुश्री राखी बिड़लाः आपने नहीं पी थी? विजेन्द्र गुप्ता जी नहीं पीते हैं चाय। अध्यक्ष जी के निमंत्रण।

अध्यक्ष महोदयः मैं उस कुर्सी पर बैठा हूँ, जहाँ बोल नहीं सकता।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी के निमंत्रण पर कल आपने नहीं पी थी क्या चाय, अध्यक्ष जी के चैम्बर में बैठकर?

अध्यक्ष महोदयः चलिए राखी जी, इस विषय को समाप्त करिए प्लीज।

सुश्री राखी बिड़लाः इसके अलावा अध्यक्ष जी, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब अभी सीएम साहब ने बोलना है, सबने बोलना है। सीलिंग को पूरा करिए, समय देख लीजिए। सीलिंग पे आइए प्लीज। सीलिंग पे आइए।

सुश्री राखी बिड़लाः अभी सबने बोलना है। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। ये बात बहुत जरूरी है। मैं सीलिंग पे आ रही हूँ।

अभी एक जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपने लगातार टाइम माँगा कि आपको नववर्ष उन्हें विश करना था, शुभकानाएं देनी थी नववर्ष की। लेकिन आपको विधान सभा के अध्यक्ष को 10 दिनों तक समय नहीं मिलता है। लेकिन विपक्ष के तीन साथी, दो साथी एक घण्टे पहले फोन करते हैं और दो घण्टे के बाद उन्हें समय मिल जाता है। ये अपमान है! ये अपमान है! इस सदन के अध्यक्ष का और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। इस सदन में और मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि एक जो एकबद्ध तरीके से जो एक स्वर में इस आज का जो एल.जी. साहब का व्यवहार है, बिल्कुल दर्शाता है कि वो बीजेपी के कहने के मुताबिक उनकी और हमारी सोच नहीं मिलती होगी। लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार के माध्यम से जो उन्होंने आपका अपमान किया है, साथ ही सदस्यों का अपमान किया है, ये बहुत निन्दनीय है। मैं इसकी घोर निन्दा करती हूँ। सिर्फ मुझे इतना कहना था और मैं साथी सदस्यों को आज की इस घटना से अवगत कराना चाहती थी सिर्फ इतना।

अब मैं आती हूँ सीलिंग के मुद्दे पर। मुझसे पूर्व मेरे सारे साथी बहुत बरीकी से अपनी बात रख चुके हैं। तकरीबन पिछले तीन चार, दो तीन महीने से अत्याचार और अनाचार, बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई हमारे दिल्ली के व्यापारी वर्ग के साथ हो रही है, ये इसकी भी कड़ी निन्दा करती हूँ और इसका जिम्मेदार कौन है, हमें इस पर भी चर्चा करनी होगी। बहुत बड़ी

बड़ी बातें हमारे विपक्ष के साथी बोल रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस पार्टी के लोग हैं, जो गणेश जी की पत्थर की मूर्ति को दूध पिलाने में अपनी सफलता जताते हैं ये उस तरह के लोग हैं। झूठा प्रचार करना, झूठा प्रचम लहराना, इनकी कोई नई बात नहीं है। जब आप पिछले साल मार्च के अन्दर एमसीडी के चुनाव होने थे, तो चीख चींखकर बोला जा रहा था कि एमसीडी के लिए हम सीधा केन्द्र से बजट लेकर आएंगे। सीलिंग की कोई दूर दूर तक बात नहीं होगी। किसी भी प्रकार का एमसीडी के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। जितना भ्रष्टाचार है सौ दिन के अन्दर हम खत्म कर देंगे। लेकिन सौ दिन के अन्दर न एमसीडी का भ्रष्टाचार खत्म हुआ और न एमसीडी के जितने कुकर्म हैं, उनको ढ़का गया। बल्कि सीलिंग जैसा जिन्न एमसीडी के माध्यम से बाहर निकलता है और न ये देखा जाता है कि इस दुकान को बंद करने से पहले जो इसका सामान है, वो खराब होगा, सड़ेगा, गलेगा, उसे बाहर निकाला जाए कोई। पहले से नोटिस दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आते हैं और पूरे बाहुबल के साथ, पूरी गुंडागर्दी के साथ दिल्ली के व्यापारियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है।

मुझे ये समझ नहीं आता अध्यक्ष जी, दिल्ली का जो व्यापारी है, वो सरकार से किसी भी प्रकार की मदद नहीं लेता। वो उल्टा सरकार को, चाहे चुनाव के दौरान हो या फिर टैक्स के माध्यम से, सरकारी को ओर राजनीतिक पार्टियों को वो सपोर्ट ही करता है और जिस प्रकार से शुरू से कई दशको से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो कि व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों ने अपने खून पसीने से, जब आप इस सरकार, इस पार्टी को केन्द्र की सरकार में लाकर बैठाया जाता है तो न जाने किस चीज का बदला ये लोग इन व्यापारियों से ले रहे हैं। अध्यक्ष जी, व्यापारी व्यापार

करता है। जब वो व्यापार करता है तो वो अपनी दुकान चलाता है। अपनी दुकान को चलाने के लिए उसको दो चार हेल्परों की, एक सफाई वाले की, एक पानी पिलाने वाले की जरूरत पड़ती है। जब एक दुकान को सील लगाकर ताला जड़ा जाता है तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यापारी का परिवार इससे जो है, सीधा सीधा दुखी होगा। बल्कि जो वो दो चार सेल्समेन हैं, उनका परिवार भी इससे दुखी होता है। जो वहाँ पर सफाई करता है, पानी पिलाता है, वो वाला परिवार भी उससे पीड़ित होता है और परेशान होता है। लगभग आज तक तीन पूरे तीन महीने के कार्यकाल में अन्दर लगभग साढ़े तीन हजार से लेकर चार हजार तक दुकानों पर एमसीडी के माध्यम से सीलिंग की गई है। इसके जिम्मेदार कौन हैं? दुकाने बंद हो रही हैं, दुकानों पे ताला लग रहा है। मार्किटें, पूरी की पूरी मार्किटें बंद हो रही हैं। रोजगार बंद हो रहे हैं। आर्थिक तंगी दिल्ली के अन्दर आ रही है और इसका हश्र भविष्य में क्या होगा? इसका हश्र भविष्य में दो ही तरीके से हो सकता है कि या तो व्यापारी वर्ग सड़कों पे उतरेगा, अपना जो है आंदोलन करेगा, आंदोलन करेगा या फिर जो है आत्महत्या करेगा, आत्मदाह करेगा, चोरी चकारी बढ़ेगी, गुड़ागर्दी बढ़ेगी और अत्याचार बढ़ेंगे। इसके जिम्मेदार कौन हैं? निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदार केन्द्र में बैठी मोदी सरकार है। निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार की ये सोची समझी रणनीति है पहले ये नोटबंदी लेकर आते हैं; नवंबर 2016 के अन्दर। फिर ये जीएसटी लेकर आते हैं। फिर ये अब सीलिंग लेकर आते हैं। ये पूरा एक पैटर्न सेट है। क्योंकि इनका एक लक्ष्य है; रिटेल में एफडीआई को सौ प्रतिशत लागू करना। जब तक नोटबन्दी से व्यापारी टूटेगा नहीं। जीएसटी के टैक्स से उसका जो है, नुकसान होगा नही और सीलिंग से जब तक उसकी दुकान बन्द नहीं होगी, निश्चित तौर पर तब तक एफडीआई के लिए माहौल बनना असंभव था और

उसी को संभव करने के लिए इन्होंने सीलिंग की ये बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई है, ये पूरी तरीके से चला रखी है। ये बार–बार कहते हैं कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार आपको मीटिंग के लिए बुलाती है तो आप ड्रामा करते हैं। आपको सर्वदलीय बैठक में बुलाती है तो आप ड्रामा करते हैं। बॉयकाट करते हैं। आज मैं इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद है और अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, मैं आप दोनों की अध्यक्षता में सदन के सामने ये कहना चाहती हूँ कि आप, आपके नेतृत्व में आप राष्ट्रपति से टाइम लीजिए। महामहिम राष्ट्रपति से हम मिलकर पूरा सदन एकजुटता के साथ आपके नेतृत्व में चलेगा और जो है माँग करेगा माननीय राष्ट्रपति से कि जो है, दिल्ली के अन्दर तुरन्त प्रभाव से सीलिंग को रोका जाए।

अध्यक्ष जी, सीलिंग काँग्रेस, थोड़ी सी बस। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय से सीलिंग चालू है। जब काँग्रेस के समय में जीएसटी की बात होती थी, जब काँग्रेस के समय में एफडीआई की बात होती थी, जब काँग्रेस के कार्यकाल में जो सीलिंग की बात होती थी, ये छाती पीटते थे, कटोरा उठाते थे और सड़कों पर न जाने कितने ड्रामे करते थे। आज जब ये खुद केन्द्र में हैं। आज जब इनके हाथ में डीडीए है, दिल्ली पुलिस है, मास्टर प्लान है, एमसीडी इनकी है, तब ये हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं और आंखों को बन्द करे बैठे हैं। देश के साथ गद्दारी अगर कोई कर रहा है तो वो केन्द्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है। देश के साथ अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो वो केन्द्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार कर रही है।

अध्यक्ष जी, सिर्फ इतना ही नहीं पिछले कई सालों के अन्दर वर्ष 2014 के अन्दर केन्द्र ने लोकसभा के अन्दर 6 अध्यादेश पारित करे। 2015 में 12 अध्यादेश केन्द्र की सरकार लोकसभा के अन्दर लेकर आयी। 2016 में 8 अध्यादेश अलग–अलग विषयों के ऊपर लोक सभा के अन्दर केन्द्र

की सरकार लेकर आयी और 2017 के अन्दर आठ। कुल मिलाकर 34 अध्यादेश अब तक केन्द्र की सरकार लोक सभा में लेकर आ चुकी है जो कि केन्द्र के फायदे के लिए थे। जो कि बीजेपी की, इस सरकार को जाने–अनजाने में फायदा पहुँचा रहे थे तो ऐसा अगर एक और 34 के साथ एक प्लस होकर 35 वाँ अध्यादेश अगर आ जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? इनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि दिल्ली की जो ये विकास की रेल चली हुई है इसको डिरेल करना है। दिल्ली में जो जनता ने एकतरफा आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी को जिताया है, उसका सारा का सारा जो जुल्म है, जो इनकी एक बदले की भावना है, बदले की जो राजनीति है, वो कभी जो है अत्याचारों की तरफ से, कभी गेस्ट टीचरों के माध्यम से निकाली जाती है। कभी कर्मचारियों के माध्यम से बदले की राजनीति निकाली जाती है और अब इसका तीसरा मुद्दा जो बनाया हुआ है, तीसरी जो कड़ी है, वो दिल्ली के व्यापारियों के माध्यम से ये बदले की भावना, बदले की जो राजनीति है, ये केन्द्र की सरकार कर रही है।

अध्यक्ष जी, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो है व्यापार बन्द होने के बाद, दुकानें बन्द होने के बाद, आप देखेंगे कि इनकी जो सोची–समझी रणनीति है वो यही है कि हम लोग, लोगों को इतना परेशान कर दें, इतना परेशान कर दें कि वो हमारे अलावा किसी और के...

अध्यक्ष महोदयः राखी जी, अब कन्क्लूड कीजिए।

सुश्री राखी बिड़लाः अध्यक्ष जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि 2014 में केन्द्र में बीजेपी की सरकार आयी थी और जबसे ये सरकार आयी है केन्द्र में, आप तब से लेकर आज तक देखिए। इनके आने के बाद इस देश में महिला दुःखी है, छात्र दुःखी है, किसान दुःखी है, दलित दुःखी है,

व्यापारी दुःखी है, सैनिक दुःखी है। ये देश के रक्षक नहीं, ये देश के भक्षक बन चुके हैं। देश को सत्यानाश कराने की इन्होंने कसम खा ली है। इन्होंने बिल्कुल इस बात का लक्ष्य उठा लिया है कि जो हमारी बात नहीं मानेगा या हमारे अलावा किसी और पार्टी को चुनेगा, उस स्टेट में हम उन लोगों को जीने नहीं देंगे।

तो अध्यक्ष जी, मैं बार–बार सदन से आपके माध्यम से विनती करना चाहती हूँ कि आप अपने नेत त्व में राष्ट्रपति महोदय से टाइम लें और सदन की भावना और दिल्ली के व्यापारियों की पीड़ा उनके सम्मुख रखें ताकि जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ हल हमारा निकल सके। बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः श्री अजय दत्त जी। बहुत संक्षेप में अजय जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष महोदय, ये विषय बहुत ही गम्भीर है क्योंकि दिल्ली में आज जब हम व्यापारियों से मिलते हैं या मार्केटों में जाते हैं तो लोगों का जो गुस्सा है, आक्रोश जो बीजपी के खिलाफ देखने को मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा। तो मैं आँकड़ों पर बात करना चाहता हूँ। बाकी मेरे साथियों ने बहुत कुछ बताया। अभी तक 3800 दुकानें सीलिंग के माध्यम से बन्द हो चुकीं हैं और मॉनिटरिंग कमेटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अभी और बहुत सारी सीलिंग करनी है। ये दुकानों तक सीमित न रहकर अभी तो फार्म हाउसेज पर जाएंगे। उसके बाद जो बड़े मकान हैं, वहां तक पहुंचेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत बड़ी गम्भीर परिस्थिति दिल्ली में व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग दोनों ही झेल रहे हैं क्योंकि व्यापारियों के साथ मजदूर वर्ग काम करता है और एक व्यापारी की दुकान बंद होती है, दस मजदूरों

का, दस लोगों का चूल्हा जलना बन्द हो जाता है जो वहाँ काम कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, 2006 में जब सीलिंग की गई तो उस समय बहुत सारी दुकानें बन्द हुईं और लास्ट में चार लोगों की मृत्यु हो गयी, उस सीलिंग के विरोध में और हजारों लोग घायल हुए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रोक दो क्योंकि ये व्यापारियों के खिलाफ है। यहाँ पर लोग अपने काम, रोजगार को रोकने के लिए जान भी दे रहे हैं और वो रुका। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी जो भाजपा शासित है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को उन पर विश्वास नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट को एमसीडी पर विश्वास नहीं रहा और उन्होंने कहा कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, दुबारा से सीलिंग को लागू किया जाएगा। तो अगर आप देखें, आज करीबन 15 साल से बीजेपी एमसीडी में बैठी हुई है, डीडीए केन्द्र सरकार के पास है। पुलिस इनके पास है और पूरी दिल्ली में अगर कहीं भी कोई अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है और कहीं भी किसी तरीके के कानूनों का उल्लंघन हुआ है तो ये उल्लंघन बीजेपी शासित एमसीडी ने किया है। बीजेपी के लोगों के साथ जो मेयर बनके बैठे थे और जो वहां पर शासन कर रहे थे, उन लोगों की मिलीभगत से हुआ है। पहले उन लोगों को, पैसे खाकर ये सारा का सारा प्रपंच रचा गया, उनको छूट दी गयी और आज ये बहुत बड़ा घोटाले के रूप में आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये घोटाला कैसे है। ये घोटाला 966 करोड़ रूपये इन्होंने दस साल में कन्वर्जन चॉर्जेज के नाम पर लिए लेकिन उनसे सिर्फ 61 करोड़ रूपये उन्होंने पार्किंग के नाम पर खर्च किये और उसके बाद 900 करोड़ रूपये का कोई हिसाब–किताब नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई कर्न्वजन चॉर्जेज को, अगर कोई कन्वर्जन चॉर्जेज

को ले रहा है, तो उसका पैसा कहॉ खर्च किया जा रहा है। अगर आप मार्केट में जाकर देखें, क्या वहाँ टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था है? ऑन्सर 'नहीं' है। क्या वहाँ पर कोई ब्यूटिफिकेशन किया गया? ऑन्सर 'नहीं' है। क्या वहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था? ऑन्सर 'नहीं' है। क्या वहाँ के रोड अच्छे हैं? ऑन्सर 'नहीं' है। क्या वहां पर लाइटें अच्छी लगायी गयी हैं? ऑन्सर 'नहीं' है। तो ये पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है और इस पैसे को कहाँ ले जाया जा रहा है? अगर कन्वर्जन चॉर्ज वसूल किये जा रहे हैं तो वो कहाँ लगाये जाएंगे? आप अगर पुराने वाले पैसे को नहीं लगा पाये तो नये वाले पैसों को कहाँ लगाएंगे? इसका जवाब हम बीजेपी शासित एमसीडी और केन्द्र में बैठी सरकार से माँगते हैं। अगर आपने कोई काम करना ही नहीं था तो आपने पैसा क्यों लिया?

अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा कि ये घोटाला है। ये घोटाले की पृष्ठभूमि कहाँ से बनती है? आज से करीबन 5–6 महीने पहले बीजेपी ने, केन्द्र सरकार ने कहा कि हम एफडीआई लाएंगे। एफडीआई में सौ परसेन्ट रिटेल में एफडीआई लाए और वो रिटेल में एफडीआई जब–जब आयी है, अगर आप देखे, जब काँग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने करीबन एक परसेन्ट एफडीआई खोल दी थी और उस समय मॉल्स का विकास हुआ था और उसके बाद अगर आप देखें कि अब एफडीआई आई है, उसके बाद सीलिंग आई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एफडीआई का पैक्ट हुआ होगा, जब विदेशी कम्पनियों के साथ पैक्ट हुआ होगा, तो उसमें ये कहा होगा कि तुम पैसा लगाओ और हम तुम्हें पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली क्योंकि राजधानी है, सबसे बड़ा मॉल दिल्ली में बन सकता है, हम वहाँ तुम्हें जगह देंगे और छोटे व्यापारियों को बंद कर देंगे और उन छोटे

व्यापारियों को बंद करने के बाद बड़े—बड़े मॉलों को खोला जाएगा क्योंकि उनकी कमाई वहीं से होनी है।

अध्यक्ष महोदय, एक और चीज है यहां पर मुझे एक बहुत बड़ी बू आ रही है। जब कोई फॉरेन इनवेस्टमेंट होगा तो उसकी कुछ न कुछ तो सेटिंग हुई होगी। तो मुझे लग रहा है कि आज छोटे व्यापारियों को इसलिए मारा जा रहा है, उनको इसलिए कुचला जा रहा है कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, बड़े—बड़े मॉलों को जहां पर वॉलमॉर्ट जैसी बड़ी संस्थाएं जो कि पाँच—पाँच किलोमीटर में अपना आउटलेट खोलती है। रिलायंस के बड़े—बड़े आउटलेट खुलेंगे, बाबा रामदेव के बड़े—बड़े आउटलेट खुलेंगे और ये ही तीन—चार कम्पनियाँ हैं जिनको सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ। आज अगर आप देखेंगे; रिलायंस का प्रॉफिट बढ़ गया, अडाणी का प्रॉफिट बढ़ गया, बाबा रामदेव की कम्पनी का प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन व्यापारियों को कुचला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह एक सोची—समझी साजिश के तहत है।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये अब।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं बताना चाहूँगा 2019 के इलैक्शन हैं अब। इन्होंने कहा कि एफडीआई लाएंगे तो पहले बड़े—बड़े आउटलेट्स को लाएंगे और सेटिंग तो कुछ हो ही सकती है। तो यह एक बहुत सोचने का विषय है कि जो एक तबका बीजेपी का वोटर होता था, उनको इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। अगर यह अध्यादेश किसी आईएएस ऑफिसर को लाने के लिए ला सकते हैं तो क्या यह अध्यादेश उन हजारों—लाखों व्यापारियों के रोजगार को राहत देने के लिए भी ला सकते थे? क्यों तीन महीने से उनके ऊपर तलवार लटकाई जा रही है? मेरे यहाँ

एक छोटी–सी मार्किट है। वहाँ भी कल मेरे पास 50–100 लोग आए, कहने लगे भाई साहब, हमारे यहां सीलिंग होगी। वो छोटी–सी मार्किट के लोग भी रात भर नहीं सो पा रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लेकर...

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, अब नहीं। प्लीज कन्क्लूड करिये।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ...

अध्यक्ष महोदयः दस मिनट हो गए।

श्री अजय दत्तः मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी चाहती तो ऑर्डिनेंस लाती, बीजेपी चाहती तो अपना अध्यादेश लाती। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनके मंत्री हरदीप सिंह जी बार–बार कहते रहे, हम कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं। भाई साहब, क्या कर रहे हो? इनके जो सात एमपी हैं, आज वो रोड पर दिखाई नहीं दे रहे। एक मनोज तिवारी साहब, इन्होंने कहा था एमसीडी के चुनाव में दिल्ली में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वायदा था उनका, वो कहाँ गया। अब वो दिख नहीं रहे हैं। वो यूएस में, विदेशों में जा–जाकर बैठ रहे हैं। तो देखिए, मॉरिशस में जाकर बैठ रहे हैं तो मेरे कहने का मतलब है, ये बीजेपी की एक सोची–समझी साजिश है। पहले इन लोगों ने अपना कालाधन सफेद किया। जब इन्होंने नोटबंदी की अगर आप नीरव मोदी के एकाउंट्स, जिसकी जांच–पड़ताल चल रही है, उनको देखेंगे अध्यक्ष महोदय, तो डिमोनेटाइजेशन से दो, तीन, चार दिन पहले 100–100 करोड़ रुपये उनके एकाउंट में जमा हुए हैं। यह ऑन रिकार्ड है। उसके बाद फिर जीएसटी लाई गई, उसके बाद एफडीआई लाई गई, उसके बाद अब यहां पर दिल्ली में यह सीलिंग लाई गई है। तो कहने का मतलब बहुत सीधा–सा है कि दिल्ली की जनता से एक तो यह बदले

की भावना से, क्योंकि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को आम आदमी को जिता दिया, उसके साथ बदला लिया जा रहा है। दूसरा, एफडीआई को बढ़ाने के लिए ये चाहते हैं कि फॉरेन इनवेस्टमेंट आए, दिल्ली का छोटा व्यापारी खत्म हो। नहीं तो ये ऐसा क्यों करते? अध्यक्ष महोदय, मैं इन भाजपाइयों से यह कहता हूँ और एक बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आप में इंसानियत है, अगर आप इस देश के लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिठाई की दुकान पर कभी सीलिंग न हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कपड़ों की दुकान पर सीलिंग न हो तो आपको अपने प्रधानमंत्री साहब से कहना पड़ेगा कि एक पेज का अध्यादेश ला दो और कह दो कि भइया, दिल्ली में सीलिंग नहीं होनी है, नहीं होनी है, नहीं होनी है। तो यह रुक जाएगी। नहीं तो दिल्ली में इस तरीके की...

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, आप बैठिए प्लीज। मैं आपको और समय नहीं दे रहा हूँ। आप बैठिए।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य खत्म करते हुए, मैं इतना कह रहा हूँ कि हमारी सरकार, दिल्ली सरकार...

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज।

श्री अजय दत्तः आज यह विधान सभा से पास करके भेज रही है कि हम दिल्ली में चाहते हैं कि किसी की सीलिंग न हो। हमारे मुख्यमंत्री जी का यह निर्णय है। हम सब उनके साथ हैं और कहना चाहते हैं कि दिल्ली की हरेक जनता उस व्यापारी के साथ है। अगर हमें उनके लिए लड़ना पड़े, चाहे जेल जाना पड़ा, मरना पड़े लेकिन दिल्ली में सीलिंग रुकवा कर रहेंगे। जयहिंद।

अध्यक्ष महोदयः राजेन्द्रपाल गौतम जी, माननीय मंत्री जी।

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र पाल गौतम): धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत गम्भीर मुद्दे पर आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ साल पीछे जाकर कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कुछ साल पहले दिल्ली में सीलिंग शुरू हुई थी और मुझे आज भी याद है सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर यह आरोप लगा था कि उनका पैसा बड़े–बड़े मॉल्स में लगा है और मॉल्स सफल नहीं हो पा रहे, उनको सफल करने के लिए यह सीलिंग शुरू की गई है लेकिन उसके बाद उस वक्त की सरकारों ने दिल्ली स्पेशल लॉज का एक कानून लाकर उस वक्त उस सीलिंग को रुकवाया और जब हम देखते हैं कि मॉल के अंदर कुछ साल पहले से एक के बाद एक बड़ी–बड़ी दुकानें बंद होनी शुरू हो गईं। आज दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े–बड़े मॉल हैं उन मॉल्स में लगभग 60 परसेंट दुकानों पर ताला लगा हुआ है और उन मॉल्स में जो दुकानें हैं, वो बहुत बड़े–बड़े पूंजीपतियों की दुकानें हैं। तो जब तार से तार जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ दाल में काला नजर आता है। एक तरफ जब हमारे विपक्ष के साथी चर्चा करते हैं तो उनकी बात से भी लगता है कि वो किस तरह बातों को ट्विस्ट करते हैं। भारत के संविधान में शक्तियों का बंटवारा है। उस बंटवारे के तहत् हमें दिल्ली की सरकार के कुछ अधिकार हैं और कुछ अधिकार होम मिनिस्टर साहब ने एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर लाकर जो संविधान के अंदर हमें मिले हुए थे, वो हमसे छीन लिए और जब–जब दिल्ली की जनता के हित के लिए दिल्ली की सरकार आवाज उठाती है तो हमें उन्हीं कानूनों का हवाला देते हुए यह बार–बार आभास दिलाने की कोशिश की जाती है कि अमुक विषय दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता। तो आज चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा कर

लेते हैं। यह जो सीलिंग वाला मुद्दा है, यह मास्टर प्लान से जुड़ा मुद्दा है, यह एमसीडी से जुड़ा मुद्दा है, यह केन्द्र के शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर आज विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भागकर दिल्ली की सरकार को इसके लिए दोशी ठहराने की कोशिश कैसे कर सकता है? क्या इनके पास एक भी जस्टिफाइड तर्क है? देखिए, विषय की गम्भीरता को भाँपते हुए दिल्ली की जनता की परेशानी को भाँपते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विपक्षी पार्टी को और जो सत्ता में आज, जिसकी एक भी सीट, नहीं है उनको भी बुलाया। दोनों पार्टियों को बुलाया कि आओ दिल्ली की जनता के हक में, व्यापारियों के हक में, मजदूरों के हक में इस मुद्दे के समाधान पर हम बात करते हैं। लेकिन उस मीटिंग में, इतनी गम्भीर मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित साथियों का न आना, वो उनकी गम्भीरता को दिखाता है कि वो कितने गम्भीर हैं, इस सीलिंग के मुद्दे को लेकर, वो कितने गम्भीर हैं दिल्ली के व्यापारियों को लेकर, वो कितने गम्भीर हैं, उन मजदूरों की परेशानी को लेकर जो मजदूर उन दुकानों से जिनके घर का चूल्हा जलता है और तो और जब यह सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई तो तब बीजेपी के कुछ सम्मानित साथी इकट्ठे होकर गए, सांसद इकट्ठे होकर सीएम साहब के घर पर गए और उस मुद्दे पर बात करने से पहले ही उन्होंने वहां से भागने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया और मुद्दे से भटक कर दूसरी बातें करनी शुरू कीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सम्मानपूर्वक उनसे निवेदन किया आइये बैठिए, चाय पीते हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए हम राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करते हैं। लेकिन उस चर्चा से हमारे भाजपा के साथी वहाँ से भाग खड़े हुए, वो सब के सामने है। आज सवाल केवल व्यापारियों का नहीं है, व्यापारियों के साथ–साथ, ऐसी भी बहुत सारी दुकानें हैं/500/ जिसमें 100–100 लोग

काम करते हैं। उन 100 लोगों के परिवारों का क्या होगा? तो अगर पूरी दिल्ली के लेवल पर देखें तो लाखों लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। जब लाखों लोगों का रोजगार जाएगा और व्यापारियों का व्यापार बंद हो जाएगा। तो उसके कितने घातक परिणाम होंगे, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। एक तरफ व्यापार बंद हुआ, तो दिल्ली का रेवेन्यू कम हो जाएगा। जब दिल्ली का रेवेन्यू कम होगा तो दिल्ली का विकास ठप्प हो जाएगा और दूसरी तरफ जब वो परिवार, वो मजदूर जो उन दुकानों पर उन फैक्टरियों में काम करते थे, जब उनका रोजगार चला जाएगा तो उनका घर कैसे चलेगा? और जब घर नहीं चलेगा तो कानून को वो अपने हाथ में लेंगे। अपराध के रास्ते पर चलेंगे। चूंकि सबको अपना पेट भरना है, सबको अपने बच्चों का खर्च उठाना है तो इस तरीके से एम्प्लायमेंट घटेगा, क्राइम बढ़ेगा। इन सारी चीजों को कलेक्टिवली मैं समझता हूँ, अध्ययन करने की जरूरत है। ये अपने पाले से गेंद को दूसरे के पाले में फेंक देना, ये कोई हल नहीं है। ये गंभीरता दिखानी चाहिए हमारे विपक्ष के साथियों को। पहले तो इसको लीगल दृष्टि से देखना चाहिए कि इसका समाधान कहाँ है, इसका समाधान किसके पास है। जिसके पास इसका समाधान है, अगर ये इतने गंभीर हैं तो हम और ये साथ मिलकर चलते हैं, उनसे समाधान मांगते हैं। इसका समाधान दिल्ली की सरकार के पास तो नहीं है, यह ये भी जानते हैं। इसीलिए गंभीरता शो नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ज्यादातर मुद्दों पर हमारे साथियों ने चर्चा की। लेकिन जहां से मैंने शुरूआत की थी कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज पर आरोप लगा था, चीफ जस्टिस पर आरोप लगा था उस वक्त और उसके बाद जो सीलिंग रुकी और दोबारा जब शुरू हुई तो क्यों शुरू हुई, कौन सी बातें हैं? चूंकि जिस एफडीआई का विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती रही, जिस जीएसटी का विपक्ष में रहते हैं हुए भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती

रही, आज नोटबंदी के साथ साथ जीएसटी भी ये लोग लेकर आए और एफडीआई लेकर आए और एफडीआई का मतलब है ब्लैकमनी, बहुत सारे बड़े पूंजीपतियों की और बहुत सारे बड़े नेताओं की बैकडोर से भारत में एफडीआई के रूप में आएगी और ये जो बड़े बड़े मॉल जिनके ताले लग चुके हैं वो सब खुलेंगे और चूंकि जब रोड पर दुकानें बंद हो जाएंगी तो लोग मजबूरी में फिर मॉल के अंदर जाएंगे और इनके मॉल सफल हो जाएंगे। ये बहुत लंबा एक नेक्सस है। इस नेक्सस को भी समझना होगा और जैसा पिछले दिनों हरदेव पुरी जी का अभी दो तीन दिन पहले एक इंटरव्यू एनडी टीवी पर आ रहा था। वो कह रहे थे कि हम इसका समाधान खोज रहे हैं लेकिन जो अवैध कब्जे हैं, जो अवैध तरीके से दुकानें बढ़ाकर बनाई हैं, हम उसको किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ हरदेव पुरी जी से केन्द्र की सरकार से कि इससे पहले वो उनकी भी जाँच करा लें जिन एमसीडी की सरकारों के संरक्षण में और उस वक्त के इंजीनियर्स, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स हैं, जो एक गरीब की छत पर एक ईंट लगाने पर तोड़ने चले आते हैं, वो ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं चला, कब ये अवैध निर्माण हो गए! वो इस जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? क्या हरदेव पुरी जी उन सारे इंजीनियर्स की लिस्ट निकलवाएंगे, जिस दौरान वो कंस्ट्रक्शन्स हुई और उन इंजीनियर्स को टर्मिनेट करेंगे, उनके खिलाफ इनवेस्टिगेशन करेंगे और जो उस वक्त के एमसीडी के नेता जिनके संरक्षण में ये सारा व्यापार पला अवैध कब्जे का, क्या उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाकर जाँच कराएंगे? ये सब कार्रवाई ईमानदारी से हो तो मैं समझता हूँ कि ये समधान निकलेगा और फिलहाल जो सौरभ भाई ने आज ये मूव किया है, एफडीआई पर प्रस्ताव लाए कि इसको हम केन्द्र के पास भेजें कि केन्द्र इसको अध्यादेश लाकर रोके और बाद में संसद में बिल लाकर इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें। मैं सौरभ

भाई के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्ष महोदयः श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर यहां चर्चा हो रही है और हम सब चाहते हैं कि सीलिंग का, कोई लोगों को राहत मिले। मैं कुछ तथ्यों के आधार पर बिना आरोप प्रत्यारोप के वस्तुस्थिति आपके सामने रखना चाहता हूँ।

मुझे याद है मुख्यमंत्री जी से अभी 24 जनवरी को उपराज्यपाल साहब के निवास पर एक मुलाकात हुई थी चाय पर, जो एटहोम कार्यक्रम होता है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि सारा समाधान मास्टर प्लान में है और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने उस बात को समझा था और समझने के बाद उन्होंने वो सब बातें कही थी और मास्टर प्लान के अमेंडमेंट का एक मूव चलाया गया। देखिए, अध्यक्ष जी, मेरा काम बहुत आसान कर दिया मेरे साथी सोमनाथ जी ने। एक फिगर इन्होंने दी थी, अभी चर्चा के शुरू में और इन्होंने कहा था कि 12000 दुकानें मॉनिटरिंग कमेटी को सील करनी हैं लेकिन दिल्ली में तो दुकानें 7, 8, 10 लाख हैं तो इस पर हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 8–10 लाख दुकानों में 12000 हजार दुकानों को क्यों सील करना पड़ेगा और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के अंदर, सदन की जानकारी में डालना चाहता हूँ कि 24 कैटेगरी की दुकानें हैं; कोई ग्रॉसरी शॉप है, कोई स्वीट शॉप है, कोई ड्राइक्लीनर की दुकान है, कोई नाई की दुकान है। कुछ ऐसी 24 कैटेगरीज हैं जिनको ये माना जाता है, ये डे टू डे केटरिंग यानी कि रोजमर्रा की जरूरतों की दुकानें हैं, उसके लिए कोई सड़क नहीं है। उसके लिए कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई

कट आफ डेट नहीं है। उसके लिए सिर्फ साइज है और वो है कि अगर वो 20 स्कवेयर मीटर की है; यानी कि 200 स्कवेयर फीट। 200 स्कवेयर फीट एक अच्छा सब्सटेंशियल साइज है, तो वो कहीं भी खोल सकता है। आज भी खोल सकता है और जो खुली हुई हैं, उनमें किसी को दिक्कत नहीं है। उनसे कोई पार्किंग शुल्क भी नहीं लिया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, उसमें वहाँ सिर्फ कन्वर्जन चार्ज लिया जाता है पार्किंग का, क्योंकि वो गली में हो सकती है, मोहल्ले में हो सकती है। वो नेबरहुड शॉप्स हैं जो वहाँ के एरिया की, तो उस तरह की किसी दुकान पर ये. .. दूसरा, जो 2183 और 355 सड़कें जो 2538 सड़कें हैं, जिनका नोटीफिकेशन हुआ था, वहाँ भी सीलिंग का कोई डर नहीं है। वहाँ अगर डर है तो जो कन्वर्जन चॉर्जेज का इश्यू था जैसे कन्वर्जन चॉर्जेज की लिमिट नहीं थी। 10 साल पर उसको ब्लाक करना था। मास्टर प्लान की अमेंडमेंट कर दिये गये हैं। सोमनाथ जी भी उस मीटिंग में मेरे साथ थे। हमने मिलके सारी चीजों को चर्चा भी की है। इन्होंने भी कहा कि नहीं, अच्छा प्रस्ताव है, जिसे इन्होंने लिखवाया रिकार्ड पर कि काफी राहत मिलेगी तो वो हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज हैं। अब मास्टर प्लान में एक सेक्शन है 11(ए) आफ डीडीए एक्ट वो पॉवर देता है पार्लियामेंट की पूरी पॉवर देता है डीडीए एक्ट के 11(ए) में कि आप मास्टर प्लान में कोई भी समय की जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हो। ये जो अमेंडमेंट है, हम कहते हैं कि जैसे वो एक फिगर लेकर आए 12000 शॉप्स की। सदन अभी एक हफ्ता चलेगा आप स्पेस्फिक टारगेट करके कि लोगों को ये ये राहत देनी है और उसका एक रेजल्यूशन यहाँ से करिए, यूडी मिनिस्टरी को भेजिए, डीडी एलजी को भेजिए कि आप मास्टर प्लान में ये ये अमेंडमेंट और करिए। हम आपको धन्यवाद देंगे, आपकी मिजोरिटी है। एक्सरसाइज करते हैं कि कितने लोगों को उस एक्सरसाइज से, जैसे उदाहरण के तौर पर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज

हैं। अब हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज का जो नियम है, वो है पाँच किलोवाट बिजली का कनेक्शन मिलेगा और पाँच आदमी उस पर काम कर सकते हैं। वहाँ अगर वो हाउस होल्ड इंडस्टरी का पार्ट है तो फिर वहाँ पर वो नियमित हो सकता है उसको कोई डर नहीं है। लेकिन सवाल वहाँ ये उठ रहा है अब कि पाँच किलोवाट और पाँच आदमियों से काम नहीं चलेगा। तो वहाँ चाहिए 11 किलोवाट और 10 आदमी कम से कम। तो ये मास्टर प्लान में हमने प्रावधान कर दिया। दिल्ली की सरकार भी उसमें पूरा सहयोग कर सकती है और मिलकर के हम 11 किलोवाट और 10 आदमी कर देंगे। पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स का मामला है, जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, जहाँ पार्किंग का स्पेस नहीं हो सकता, वो पेडेस्ट्रियन कर दिये गये हैं। तो वहाँ पार्किंग का चक्कर ही खत्म। उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो जाएगी। कहने का अर्थ यह है, मैं कुछ एसेन्शियल सर्विसेज हैं, जिनका 20 स्कवेयर मीटर का भी चक्कर नहीं है। कोई मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर है, वगैरह वगैरह... जो कुछ भी हैं। जैसे अभी मास्टर प्लान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं; 89 हजार रुपये स्कवेयर मीटर कन्वर्जन चॉर्जेज रख दिये हैं; एलएससीज के अब 89 हजार में अगर अब 100 मीटर के प्लाट पर 89 हजार का साढ़े तीन सौ एफएआर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो वो जाकर के बनता है सवा तीन करोड़ रुपया। 100 मीटर प्लॉट की कीमत ही सवा तीन करोड़ रुपये नहीं है, तो उसका सवा तीन करोड़ कौन देगा? लोगों ने जमा नहीं कराया एलएससीज में। एलएससीज जो है, उनका एफएआर दो हिस्सों में बंटा हुआ था, प्री 1962 पोस्ट 1962। प्री 1962 में 350 एफएआर है, पोस्ट 1962 में 180 एफएआर है, 225 एफएआर है। अब अध्यक्ष जी, वहां एफएआर बढ़ाने की जरूरत थी। बेसमेंट को एफएआर से अलग करने की जरूरत थी, ये सारे अमेंडमेंट हुए हैं। ये अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुए हैं। ये अमेंडमेंट

अधिकार है सरकार का, कोर्ट रोक नहीं सकता उसको, कोर्ट में हम जाकर के अपनी स्थिति को रखेंगे। आप अपने आपके लिए, आप अपने अच्छे वकील खड़े करिए, आप कहिए, हम कहेंगे, सब मिलके कहेंगे। कैसे अमेंडमेंट रुक जायेंगे? और अमेंडमेंट करने हैं और अमेंडमेंट लाते हैं। हम टॉरगेट करते हैं, हम दिल्ली के दुकानदारों को मिलकर के सॉल्यूशन देंगे।

देखिए, आपने मीटिंग की। सीएम साहब, कांग्रेस आई उसमें। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस को एड्रेस किया, मैंने बहुत ध्यान से सुना कि ये सॉल्यूशन पे बात हो रही है या राजनीति पे बात हो रही है। मनीष सिसोदिया जी ने उस ब्रीफिंग में एक बार भी जो चर्चा यहां हो रही है, वो वहाँ नहीं कही। तो फिर आपने लाईन क्यों चेंज की? जब आप एक लाईन पे आ गए, फिर आपने लाईन क्यों चेंज की? कौन सा मॉरटॉरियम, कौन सा बिल, किस चीज के आप बिल बनाएं? वेग बिल मत बनाओ आप, आप बनाओ बिल, उसमें आप क्या चाहते हो? बिल में आप क्या चाहते हो? जो मास्टर प्लान की अमेंडमेंट से नहीं हो सकता, उसके लिए आप क्या चाहते हो? वो बनाओ आप।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः तो उसको एक सेकेण्ड, मैं देखो अभी सारी चीजें इसमें लूँगा।

माननीय अध्यक्ष महोदयः सौरभ जी, सौरभ जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं साल्यूशन पे बोल रहा हूँ। तो सवाल ये है कि आप सॉल्यूशन पर चलिए। सॉल्यूशन मिलके करेंगे। मॉनिटरिंग कमेटी मैं कहता हूँ, रिकार्ड पर कहता हूँ, 'मॉनिटरिंग कमेटी

ज्यादती कर रही है। मॉनिटरिंग कमेटी अपने अधिकारों से बाहर जा रही है। मॉनिटरिंग कमेटी अपनी पॉवर को प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही है।' चैलेंज करेंगे? चलते हैं, हम भी आपके साथ। आपने कहा, 'चलो।' चले क्या? अब आज पढ़ा है मैंने कि मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं। आप लेके चलिए विपक्ष को मॉनिटरिंग कमेटी के पास। हम जाके कहेंगे कि ज्यादती कर रहे हैं आप और अगर आप ज्यादती कर रहे हैं तो कहने से नहीं, हम उनको चुनौती दे सकते हैं। आप उनको चुनौती दे सकते हैं। बातों से नहीं, आप उनको अदालत में, एमसीडी का जो वकील है, वो आप भेजते हैं, स्टैंडिंग कांउसिल आपका पेश होता है। आप कहिए वहाँ पर मॉनिटरिंग कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी को एम्पल पॉवर्स नहीं दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप मॉनिटरिंग कमेटी की ज्यादतियों का भी हवाला देके उनके फैसलों को चुनौती दे सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि एक लाख रूपये लेंगे हम। कोई सीलिंग एप्लाई करेगा तो। सीलिंग डीसीलिंग के लिए एप्लाई करेगा। भई, एक लाख रुपये क्यों लेंगे आप? अगर उसकी प्रॉपर्टीज का मतलब है, उसको आप बाउंड कर रहे हैं उसको, एप्लाई ही मत कर। बंद हो गयी, तो आप करिए उसका विरोध। सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि ये एक लाख रुपये किस बात का मांग रहे हैं? पर आप तो सुप्रीम कोर्ट से बचते हैं। आप मॉनिटरिंग कमेटी पे नहीं जाते हैं। आप जाइए। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये सारी चर्चा में क्यों आम आदमी पार्टी 351 सड़कों की वकील बनती है! मतलब मुझे, अभी मैं ओम प्रकाश जी से कह रहा था। मैंने कहा कि देखो, ये कैसे अपने आप ही, अपने आप 351 सड़कों यानी कि इसका मतलब ये साफ हो गया कि 351 सड़कें आपको नोटिफाई करनी हैं। ये तो क्लियर हो गया। हैं न? क्योंकि आप सारी दिल्ली को एक तरफ रखते हो, 351 की बात आते ही ऐसे काटने को सारा सिस्टम

आता है कि जैसे हमने पता नहीं, क्या कह दिया! अरे! वहाँ तो कोई सीलिंग नहीं हो रही। वहाँ तो कोई, अरे जनाब,! मैं अब आपकी बात करता हूँ।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हाँ, हाँ, आप अगर वाकई में 351 सड़कों की सीलिंग रोकने के वाकई में...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, नहीं, सुनिए आप, यही डिफरेंस जो है न, ये आप, उनको अगर वाकई नोटिफाई करना चाहते हो, उनको बचाना चाहते हो, तो जो सील हुई हैं 351 की, मैं आपको चुनौती देता हूँ आप डिसील करवा सकते हो। करवाओ, अगर आप कहते हो 351 पर सीएम साहब, कि सीलिंग नहीं होने देंगे तो आप जो हुई हैं, वो डिसील करवाइए। बजाय इसके एक एमसीडी का कमिश्नर आके कहता है कि मैंने 351 पे सीलिंग नहीं की और आप उसके गीत गाने लगते हैं। आप करिए उसको। बुला के चार्ज पूछिए, आपने झूठ बोला है। मैं दे रहा हूँ प्रूफ, 351 सड़कों पर सीलिंग का।

अब मैं बताता हूँ आप की बड़ाई उसमें होती, आप उनको डिसील करवाते। बजाय इसके आप कमिश्नर की तरफ हो गये, आप कमिश्नर के साथ खड़े हो गये। अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको दे रहा हूँ तथ्य, सदन के सामने दे रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित हैं, उनकी मौजूदगी में दे रहा हूँ। ये देखिए, जरा, मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को पेपर दिया जाए। ये एलआईसी ऑफ इंडिया, ये सील हुआ है। अब बताइए, भारतीय जीवन लाईफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सील हो गया, 351 सड़कों पे। मैं आपको सर, मैं पूरी बात

बता दूँगा आपको। आप दीजिए पेपर। अरे भइया! जिसको कुछ जानकारी हो, उसकी जानकारी का लाभ ले लो, लोगों का भला, उनको भी, मैं, वो नये हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः उनको, वो भी कन्विंस हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदयः एक सेकेण्ड सौरभ जी, एक सेकेण्ड, विजेन्द्र जी, एक सेकेण्ड ये एक बार लाईफ एलआईसी की एक बार बात कर लें। अपनी जानकारी के लिए, ये लोकल शॉपिंग सेन्टर है या कौन सा है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः बता रहा हूँ, दोनों बातें बता रहा हूँ। यहां कन्फ्यूजन भी बता रहा हूँ। जो वो कह रहे हैं, वो भी सही है। जो मैं कह रहा हूँ, वो भी सही है। कन्फ्यूजन मैं बता रहा हूँ। मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट जगदीप जी, मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का ध्यान थोड़ा मेरी बात पे आए, हो सकता है, आज हम किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएं। देखिए, ये 351 सड़कों का पेज है, जिसमें लिखा हैः 'मॉडल टाउन स्टॉप थर्ड रोड, माल रोड से मोहन पार्क स्कूल,' यहां पे मैंने प्रापर्टीज़ के मैंने खुद जाके, पर्सनली मैंने जाके एक एक शॉप विजिट की और उनकी मैंने लिस्ट बनाई, अपने पैन से और उसको फिर टाईप करवा के वहीं से टाईपिस्ट की दुकान से टाईप करवा के मैं लेके आया। मैंने इनको ट्वीट भी किया। जीवन एलआईसी ऑफ इंडिया फर्स्ट एंड सेकेण्ड फ्लोर। जिम, मुथूट फाईनांस, रिलायंस हैल्थ इंश्योरेंस, अजय अरे! एक सेकेण्ड आप देखिए, सीरियसली बात कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा, ब्रिज को, मेरे को और ईडन जिम्स, सैमसंग सर्विस स्टोर वगैरह

वगैरहकृ ये 8–10–12 जो हैं। अब देखिए, जो बात ये कह रहे हैं और जो बात मैं कह रहा हूँ, उसका फर्क मैं बताता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः ये जो आप कह रहे हैं, ये दे दीजिए, रिकॉर्ड में ले लें इसको। मैं रिकॉर्ड में ले रहा हूँ इसको।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः हुआ क्या अध्यक्ष जी, ये 2538 सड़कें जब नोटिफाई हुईं थीं, तब ये सड़क मिक्स्ड लैंड यूज में नोटिफाई हो गयीं, नोटिफिकेशन हो गया। फर्क ये है कि इसी रोड पर क्योंकि एलएससीज के साथ प्राब्लम क्या है कि वहाँ पर या तो 180 एफएआर है या 225 एफएआर है। लेकिन 225 से ज्यादा एफएआर पूरी दिल्ली में किसी भी एलएससी को नहीं है, पोस्ट 1962 में। इस रोड पर 350 एफएआर के नक्शे एमसीडी ने पास किये। जब ये मिक्स्ड लैंड यूज में नोटिफाई हो गयी तो वहाँ पर इस रोड पर जितने भी नये नक्शे पास हुए, वो हुए 350 एफएआर के। उसका स्टेटस हो गया। चूंकि मिक्स्ड लैंड यूज एलएससी का स्टेटस चार फीट हो गया और ये फाईलों में है, ये फाईलों में है। ऐसा नहीं है, ये मैं अपने आप कह रहा हूँ। इसलिए अब लोगों ने 350 एफएआर की बिल्डिंग बना ली। पर वो मिक्स्ड लैंड यूज में है। अभी जो 351 सड़कें हैं, उसमें मैं चाहूँगा सीएम साहब को ये पेपर भी दिया जाए। 351 सड़कों में इसका नोटिफिकेशन अगर हो जाता है तो ये मिक्स्ड यूज से कमर्शियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैंने टिक मार्क किया हुआ है। वो भी दे दीजिए। एक मिनट, एक मिनट दे दीजिए, उनको कह रहा हूँ एक मिनट। 351 सड़कें अगर नोटिफाई हो जाती हैं, तो ये मिक्स्ड लैंड यूज से कमर्शियल में नाटिफाई हो जाएगी। अभी जो वहां सीलिंग हुई है एलआईसी पे फर्स्ट और सेकेण्ड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे भी एलआईसी है, वो सील नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि मिक्स्ड लैंड यूज में नोटिफाई है, वो छोड़ दिया। लेकिन 350 एफएआर की

बिल्डिंग बनने के बावजूद भी फर्स्ट और सेकेण्ड फ्लोर इसलिए सील हो रहे हैं क्योंकि वो मिक्स्ड लैंड यूज स्टेटस में हैं और जब तक कमर्शियल स्ट्रीट में, आप उनके दुकानदारों से आप देखिए, आप उनसे आप उन दुकानदारों से बदले की भावना से बात कर रहे हो, मैं माफी चाहूँगा, क्योंकि अगर आप उसको एलएससी, एलएससी कहते जाओगे तो उनको चार गुना कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा, ये 10, 80 हजार 90 हजार वाले केटेगरी में आ जाएंगे। आज वो चार हजार रुपये स्क्वे. मी. के कन्वर्जन चॉर्ज का हिस्सा हैं, लीगली। लेकिन आप जबर्दस्ती उनको सील रखना चाहते हो। क्यों रखना चाहते हो सील? सील मत रखो। खुलवाइए, कमिश्नर ने आकर मिसगाइड किया, उनकी क्लास लीजिए। लेकिन अपनी बात को बड़ी मत करिए। 351 सड़कें, भइया! नोटिफाई कर दो, तुम्हें क्या दिक्कत है! अरे भई! 8 फरवरी को फाइल आ गयी आपके पास। हमें मालूम है, आप ने फाइल में क्या क्या किया पहले। मैं नहीं उस बहस में जाना चाहता। मत उसको पॉलिटिकल करिए। खूब पॉलिटिकल कर लिया आपने। फाइलों को जैसे घुमाया, जैसे सबको मालूम है 8 जून, 2007 के बाद 90 दिन का जो टाइम मिला था; 7 फरवरी 2007 से 2007 के जून तक 90 दिन में मास्टर प्लान में मॉनिटरिंग कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी से कि भई, कुछ छूट गया है तो वो, उसके लिए जो फार्मूला था, पचास परसेंट से ज्यादा और सत्तर प्रसेंट से कम। which land use above 70%, commercial less than 50 % उसका कोई... मै सर सारे लॉजिक की बात बोल रहा हूँ। कुछ भी ऐसी बात नहीं बोल रहा, कोशिश कर रहा हूँ कि सारी बातें किसी मुकाम पर पहुँच जाएं। तो उसमें कहा गया कि मास्टर प्लान में कि भई, 90 दिन के अंदर और कुछ भी बचा है तो आप उसको कर लो। ये जो 351 सड़कें हैं, एक्चूअली में ये दो लॉट हैं, एक है 307 सड़को का और एक है 44 सड़कों का। ये लॉट जो है 351 सड़कों का थर्ड लॉट, ये आया और इसको प्रॉपर सर्वे

के बाद। क्योंकि आज तो वहाँ पोजिशन ये है कि वहाँ अगर 50 परसेंट वहाँ पर कमर्शियलाईजेशन 100 परसेंट है। वो आज का सर्वे वहाँ वैलिड नहीं है। सर्वे उसी समय का ही वैलिड है और जो कमिश्नर ने, स्टैंडिंग कमेटी ने और हाउस ने उसमें मोहर लगाई है, वो जस्टिफाईड है। लेकिन आप घुमाते रहे। चलिए, 8 फरवरी को जैसी भी फाइल गई, साइन हुए। आठ फरवरी के बाद आप उसको लेकर क्यों बैठे रहे? चलिए, और ठीक होने दीजिए। जो वो खराब हुई थी फाइल, शायद ठीक हो जाए। इसमें लॉ से डीडीए से कर लीजिए। पर तड़ी के साथ, धौंस के साथ! बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ रखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये, हम ये नोटिफाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारा अधिकार है। हम नोटिफाई करेंगे। अच्छे वकील खड़े करिए। तीन सौ एकावन सड़कें नाटिफाई होंगी वो जो 12 हजार की बात वो कर रहे हैं, हजारों सड़कें उसमें कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो मास्टर प्लान के जो अमेंडमेंट अब हो रहे हैं, उसमें काफी चीजें क्लीयर हो जाएंगी। लेकिन हो क्या रहा है कि हम न तो मॉनिटरिंग कमेटी को टारगेट करना चाहते हैं, न कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं और न 351 सड़कों को नोटिफाई करना चाहते है। सिर्फ पॉलिटिकल प्लेन गेम पर हम जाना चाहते हैं। मैंने अभी यहाँ पर अध्यक्ष जी, आपको बडे स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम आपके साथ मॉनिटरिंग कमेटी में चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप रात के 12 बजे भी बुलाओगे, हम बिना डर के आ जाएंगे। हमें मालूम है, हमारे साथ आप कुछ नहीं करोगे। बारह बजे भी आप बुलाओगे मॉनिटरिंग कमेटी के पास चलने के लिए, हम आपके साथ चलेंगे। पूरी तरह तैयार हैं।

इसके साथ फिर आपसे अनुरोध है, अच्छे वकील खड़े करिए। लोगों को बचाने के लिए आपकी अभी लंच में मीटिंग है, यूडी मिनिस्टर से। यहाँ

का रेजल्यूशन आप बाइहैंड लेकर जाइए। कहिए कि हमें ये–ये अमेंडमेंट और करने हैं और अगर उसके बावजूद भी दिल्ली में सीलिंग होती है तो हम सब कमिटेड होने चाहिए कि इसके बावजूद भी ये चीज बच रही है, इसके लिए ये करिए। लेकिन बिना जिरह के, बिना दलील के सिर्फ यहाँ वेटकृ आप कहते है एफडीआई फलानां, आप कहिए, आपको सूट करता है। लेकिन आप वास्तविकता में चाहते हो।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, अच्छा बोल रहे थे। ये आपने गड़बड़ कर लिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ये लास्ट प्वाइंट। लास्ट प्वाइंट। चलिए, नहीं बोलता ऐसा। आप बैठिए। दिल्ली स्पेशल लॉ 2017 पारित हुआ है। अध्यक्ष जी, वो एक टैम्परेरी अरेंजमेंट है। आप को पूरी अच्छी तरह जानकारी है। आप पुराने चुने हुए नुमाइंदे हैं। वो दिल्ली स्पेशल लॉ एक टैम्परेरी अरेंजमेंट है। लेकिन वो एक बम्बसेल है। अब आप देखिए, दिल्ली की अनाधिक त कालोनियों को नियमित करना है। दिल्ली में झुग्गी बस्ती में रहने वाले को जहाँ पर झुग्गी, वहीं मकान देना है। हम सिर्फ कोर्ट से हर बार टाइम माँग रहे हैं कि आप हमें टाइम दीजिए, हम ये दोनों काम करेंगे। हम इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे। ये किस को करना है? ये दिल्ली सरकार को करना है या फिर इसमें कुछ डीडीए की जो लैंड है, वो डीडीए को करना है। तो इश्यू ये है कि आप अनऑथोराइज्ड कालोनी को रेगुलराइज करने के लिए कोई... अगर कल को कोर्ट आखिर पूछेगा, 'अच्छा बताइए, आप हर तीन साल में मॉरेटोरियम ला रहे हैं, ये ला रह हैं, आप कर क्या रहे हैं?' हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम उसकी तैयारी करें। लोगों को रेगुलराइज कराने के लिए कालोनियों को मिलकर के प्लान करें। वोट पड़ेंगे, जब देख लेंगे। आप कुछ हमारी कमी निकाल लेना, कुछ हम आपकी कमी निकाल

लेंगे। लेकिन अगर एक गाड़ी के दो पहिए की तरह हम नहीं चलेंगे, आरोप प्रत्यारोप रहेंगे तो लोगों का भला नहीं होगा। लोगों का भला करना है तो राजनीति से ऊपर उठिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सदन मेरी बात पर जरूर गौर करेगा और जो सॉल्यूशन हम यहाँ पेश कर रहे हैं, उन सॉल्यूशन्स के बावजूद भी कोई कमी है, मैं आपके साथ, फिर जहाँ कहोगे, जहाँ आप कहोगे, हम आपके साथ चलेंगे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री श्री गोपाल राय जी।

... (व्यवधान)

सिरसा जी, बैठिए आप। आपने कुछ कहा था, बैठिए। सौरभ जी व्यक्तिगत नहीं प्लीज। ओम प्रकाश जी, आप व्यक्तिगत चीजों को लेकर जाते हैं। ठीक नही है बैठिए प्लीज। सोमनाथ जी, माननीय मंत्री जी बोलने जा रहे हैं। आप बैठिए प्लीज।

श्रम एंव रोजगार मंत्री (श्री गोपाल राय): माननीय अध्यक्ष जी, काफी लम्बे समय से जिनको लेकर के चर्चा हो रही है, अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बहुत ही गम्भीरता से इस बात का आश्वासन दिया है कि सीलिंग को रुकवाने के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके हम सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन अभी जो जिन जिन बिन्दुओं पर उन्होंने चर्चा की, जिस तरह से दिल्ली के अंदर सीलिंग अलग–अलग, जिन कैटेगरी की दुकानों की हो रही है। लेकिन जैसा माननीय कई सदस्यों ने कहा है कि सीलिंग जिन वजहों से की जा रही है, उसके लिए दो पॉर्टनर हैं। एक जिन लोगों को बने हुए कानून के संरक्षण की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने उसका संरक्षण नहीं किया और पैसे लेकर करके जिस तरह की कार्रवाई करने दी गई और करवाई गई। लेकिन तरह से मॉनिटरिंग कमेटी आज

एक तरफा व्यवहार कर रही है, जिन्होंने पैसा खाया, वो तो सरेआम घूम रहे हैं और जिन्होंने अपनी जिन्दगी भर की पैसे की कमाई को लगाया उस दुकान में, वो आज रोते हुए लाठियाँ खा रहे हैं। एक दोहरा मापदण्ड दिखता है। वैसे ही माननीय प्रतिपक्ष के नेता जब अभी बात कर रहे थे, अभी उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा कि 351 सड़कों पर सीलिंग हुई है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जा करके उन दुकानों की लिस्ट बनाई। दिल्ली के अंदर तीन हजार आठ सौ दुकानों पर सीलिंग हुई है लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के नेता को केवल 351 में तथाकथित उनके कथनानुसार जिन दुकानों पर सीलिंग हुई है, केवल उन्हीं पर जाने के लिए केवल जरूरत महसूस हुई। सिर्फ इस लिए कि इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार को तीन सौ इक्यावन, तीन सौ इक्यावन पर कैसे घेरा जाए और कैसे गुमराह किया जाए। आपको तीन हजार आठ सौ दुकानें नहीं दिखीं। उन दुकानदारों का दर्द आपको नहीं दिखा। उस पर तथ्यों को जाँचने के लिए आपको जरूरत महसूस नहीं हुई। ये इस बात को दिखा रहा है कि आपकी मंशा सीलिंग रुकवाने की नहीं है। तीन सौ इक्यावन सड़कों के बहाने केन्द्र सरकार ये जो काम करने हैं, जिससे वो पीछे भाग रही है, केन्द्र सरकार को बचाने की मंशा है। ये राजनीति से प्रेरित दिखा रहा है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूँ। छोटी–छोटी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी अरविन्द केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करती है। सड़क पर उतरती है। आन्दोलन करती है। सीलिंग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आन्दोलन के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतर रही? सिरसा जी चले गए, कह रहे थे कि तीन महीने बाद हमारी नींद खुली है। मुझे याद है, पहली सीलिंग हुई थी साऊथ दिल्ली के अंदर, डिफेंस कालोनी के पास पहली सीलिंग हुई थी। जिस दिन पहली सीलिंग हुई थी,

उस दिन हमारे दोनों विधायक सड़क पर उतरे थे और उस सीलिंग का विरोध किया था। उसके बाद हमने सड़क पर आंदोलन किया, पार्लियामेंट का घेराव किया। 16 जनवरी को सदन के अंदर चर्चा की। उसके बाद से लगातार, आम आदमी पार्टी लगातार काम कर रही है और इस सीलिंग के खिलाफ सड़क से लेकर के और सदन के अंदर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहाँ तक 351 सड़कों की बात है, आपने जो तथ्य रखे हैं, वो एलएससी में आते हैं या नहीं आते हैं, वो अलग का मुददा है लेकिन दिल्ली सरकार के पास 351 सड़कों को लेकर के जो काम करना था, एमसीडी के ऊपर भी हमने दबाव बनाया। रिपोर्ट आई, डीडीए के पास भेजा। डीडीए से भी रिपोर्ट आ गई है और दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है अगले हफते 351 सड़कों का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे नोटिफाई करने से पहले हमारे सामने रखा जाये, हम वो भी काम करने जा रहे हैं और हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि 351 सड़कों को नोटिफाई भी करेंगे और वहाँ सीलिंग नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम तैयार हैं।

दूसरी बात, आप कह रहे हो वकील कर दो, वकील कर दो सीलिंग रुक जायेगी। ये भी बात सत्य नहीं है अध्यक्ष महोदय। दिल्ली सरकार की तरफ से वकील आलरेडी है और अगर आपको लगता है कि इस वकील के करने से ये मामला समाधान होने वाला है, आप इस सदन के अंदर उस वकील का नाम ले लो, उसको भी नियुक्त कर दिया जायेगा। अगर वकील की नियुक्ति से सीलिंग रुकने वाली है तो दिल्ली सरकार वो भी करने को तैयार है। वकील आलरेडी है लेकिन अगर आपको पता हो कि इस वकील को करने से, ये कोर्ट सीलिंग को रोकने जा रही है, उस वकील का नाम ले लो, वकील वो कर दिया जायेगा और उसी से सीलिंग रुकती

हो, अगर हजारों लोगों के पेट पर जो लात पड़ रहा है, वो रुकता हो तो वकील भी कर देंगे। लेकिन उनको भी पता है और हमको भी पता है कि वकील करने से केवल ये सीलिंग नहीं रुकने वाली है। मैं एक बात विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, 'दिल्ली सरकार को वकील करना चाहिये केन्द्र सरकार...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, अब उनको पूरी बात तो करने दो ना। आपने वकील की बात कही है, या नहीं कही? वो करेंगे, बात करेंगे। आपको पूरा समय दिया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एमसीडी का वकील होता है दिल्ली सरकार का वकील होता है। केन्द्र सरकार को वकील करने का अधिकार है या नहीं है? केन्द्र सरकार के पास वकील करने के लिए पैसा है या नहीं है? केन्द्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि नहीं है? केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है या नही है? अरे! हम वकील करने को तैयार हैं, आप चुप क्यों बैठे हो? वकील केन्द्र सरकार क्यों नहीं करना चाहती? क्या उसके पास बड़े बड़े वकील नहीं हैं? हम वकील करने को तैयार हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप नाम बताओ।

श्रम एवं रोजगार मंत्रीः एटॉर्नी जनरल को, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज।

श्रम एवं रोजगार मंत्रीः अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था...

अध्यक्ष महोदयः सात एमपी दिल्ली के चुने गये हैं ना इसी दिल्ली की जनता ने चुने हैं सातों एमपी एक ही पार्टी के हैं। इसी दिल्ली की जनता ने चुने हैं ना। वो वकील नहीं कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः समर्थन कर रहे हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रीः अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ।

... (व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार मंत्रीः केन्द्र सरकार विजेन्द्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप प्रस्ताव पारित करो तो केन्द्र सरकार जो है, एटार्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेगी। दिल्ली के अंदर जिन व्यापारियों के दुकानों पर ताले लग रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार मंत्रीः नहीं, खड़ा करेगी तो अब तक क्यों नहीं खड़े हुए?

... (व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार मंत्रीः एक सैकिण्ड, दोनों बात एक साथ ये बोलते हैं। हमारे जगदीश प्रधान जी ने कहा, अभी हम तीन दिन पहले मिले थे केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री जी से। उन्होंने कहा चिंता मत करो एक हफते में समाधान निकाल देंगे। अरे! जब तेरी औकात ही नहीं है भाई समाधान

निकालने की, समाधान कैसे निकाल दोगे? निकाल सकते हैं वो और इसीलिए वो निकालने के लिए अगर ईमानदारी से प्रयास करें तो निकल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो सीलिंग हो रही है उस सीलिंग के अंदर आज जो स्थिति है, उसमें दो परिस्थितियां बनी हुई हैं; एक परिसिथिति बनी हुई है कि सीलिंग किन किन कारणों से हो रही है, उसके संज्ञान को लेकर के अलग अलग तरह से सूचना आ रही हैं, लोग जानकारियां ले रहे हैं। पिछले दिनों जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को मुख्यमंत्री जी ने पास किया था और उसका मकसद यही था कि हम जो भी चीजें दिल्ली सरकार को करनी हैं, दिल्ली सरकार करे। जो केन्द्र सरकार को करनी है, केन्द्र सरकार करे। इसी मकसद से वो मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज दिल्ली को दो चीज की जरूरत है; एक बात आप 351 सड़कों का नोटिफिकेशन करिये, जरूरी है और किया जाना चाहिए। कोर्ट के अंदर वकील रखा जाना चाहिए। लेकिन अगर आज जो सीलिंग हो रही है, वकील रखने से सीलिंग नहीं रुकने वाली। 351 सड़कों के नोटिफिकेशन से आज जो सीलिंग हो रही है, नहीं रुकने वाली। आज उसका एक रास्ता है; इन सारे कामों को एक साथ एक तरफ किया जाये और दूसरी तरफ, जैसे पहले भी सरकारों ने किया है, केन्द्र सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आये। ऑर्डिनेंस लाने से केन्द्र सरकार क्यों भाग रही है, इसका जवाब ये सदन चाहता है। तुम क्यों भाग रहे हो, आर्डिनेंस लाने से? ऑर्डिनेंस लाने में आपका क्या खर्चा जा रहा है? ऑर्डिनेंस लाने से देश के सामने क्या खतरा आने वाला है? आर्डिनेंस लाने से आपकी राजनीति में क्या खतरा आने वाला है? हम अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं और इस सदन के माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं, आर्डिनेंस लाया जाये, बिल लाया जाये और

तत्काल प्रभाव से इस सीलिंग को रोका जाये और उसके बाद अदालत के अंदर ये लडाई, वो भी लड़ा जाये। जो दिल्ली सरकार को करना है, दिल्ली सरकार करे। डीडीए को जो करना है, डीडीए करे। जो केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय को करना है, वो भी करे। लेकिन आज किसी भी कीमत पर ये ऑर्डिनेंस लाकर के सीलिंग रुकनी चाहिए। ऑर्डिनेंस के बगैर कोई सीलिंग को नहीं रोक सकता है, आज की यही हकीकत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जो इन्होंने प्रस्ताव दिया है, उस दिन काँग्रेस के लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिये थे, सरकार उस पर काम कर रही है। लेकिन हम इस पर भी काम कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर 31 तारीख तक इसका समाधान केन्द्र सरकार ऑर्डिनेंस लाकर के, अगर कोई समाधान नहीं निकालती है तो मैं आज सदन के सारे साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके बाद हम सदन में भी लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे। लेकिन अगर केन्द्र सरकार केवल गुमराह करने की और व्यापार को ठप्प करके एफडीआई लाने की रणनीति पर अगर काम करेगी, एक इन्टेन्शन के साथ व्यापार को बर्बाद करने का काम करेगी, तो हम सड़क पर भी लड़ाई को लड़ेंगे और इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन के अंदर भी लड़ेंगे। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः माननीय मुख्यमंत्री।

मुख्यमंत्री (श्री अरविंद केजरीवाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के व्यापारियों पर एक तरह से पिछले एक डेढ़ साल में तीन बार घातक हमले हुए हैं; पहले नोटबंदी का हमला हुआ, किसी तरह से उसमें से उभरे ही थे कि फिर जीएसटी का हमला हुआ और अब सीलिंग का हमला किया गया। ऐसे लग रहा है कि जैसे दिल्ली का व्यापार बंद करने की ठान ली

है पिछले तीन महीने से दिल्ली के अंदर जगह जगह दुकानों की सीलिंग चल रही है। दिल्ली में अधिकतर तो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रीज तो बहुत कम हैं। अगर हमने व्यापार बंद कर दिये, दुकानें बंद कर दी, तो एक तरफ तो व्यापार खत्म हो जायेगा, दूसरी तरफ हर दुकान के पीछे बीस पच्चीस कर्मचारी या सप्लॉयर वगैरह लगे रहते हैं, उनका सबका धंधा खत्म हो जायेगा। इतने बड़े स्तर के ऊपर बेरोजगारी फैलेगी कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना मुश्किल हो जायेगा और जिस तरह से दुकानें सील की जा रही हैं, ऐसे लग रहा है, जैसे हमला बोल दिया हो। जैसे भारत पाकिस्तान का कोई वो हो और हमला बोल दिया हो इन लोगों के ऊपर कि पूरा... छावनी बना दी जाती है, पुलिस भेज दी जाती है। अमर कालोनी में महिलाओं के ऊपर वार किये गये, महिलाओं को मारा उन्होंने। लोगों को मारा उन्होंने। ये अपने ही तो लोग हैं। ये बाहर के लोग थोड़े ही हैं। भारत के लोग हैं, अपने ही लोग हैं और चोर नहीं हैं। ये लोग कोई स्मगलिंग नहीं कर रहे थे। ये लोग कोई तस्करी नहीं कर रहे थे। ये लोग कोई गुण्डागर्दी नहीं कर रहे थे। ये लोग 24 घण्टे मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। इनका क्या कसूर था? पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है लेकिन नेताओं की दुकानें सीलिंग नहीं हो रही है। शर्मा जी की दुकान सीलिंग नहीं हुई।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्री जीः हाँ, कोई नहीं करा सकता आपकी...

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः अच्छा, तो बाकियों के भी सुप्रीम कोर्ट में...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः अब आपने मौका दिया, मॉनिटरिंग कमिटी और सुप्रीम कोर्ट, ये सीलिंग करा रही हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब उसको बोलने से बच रहे है। अगर आपको...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः मॉनिटरिंग कमिटी जो मिसयूज कर रही है, उसके ऊपर अटैक...

... (व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश शर्माः उसका कुछ नहीं बनेगा।

मुख्यमंत्रीः मैं आ रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ है।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः अभी जैसे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन, विजेन्द्र गुप्ता जी ने कई सारे मुद्दे उठाए। कन्वर्जन चॉर्जिज का मुद्दा है, नवासी हजार है, बहुत ज्यादा है। एफएआर का मुद्दा है, बेसमेंट का मुद्दा है, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स का मुद्दा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेफीनेशन का मुद्दा है, कई सारे मुद्दे हैं। हैं जी? हाँ, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज का मुद्दा है। काफी कॉम्पलेक्स इशूज हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये करना किसने था? गलती किसकी है?

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः एक मिनट। करना किसने था, गलती किसकी है और भुगत कौन रहा है? ये तीन साल पहले कर देते, एफएआर ठीक कर देते, दो साल पहले एफएआर ठीक कर देते तो आज ये सीलिंग ही ना होती। ये कन्वर्जन चार्ज नवासी हजार से बीस हजार पहले ही कर देते तो सीलिंग ही ना होती। ये बेसमेंट, एफएआर फलाना ढिमका... ये सारे कर देते पहले ही, तो सीलिंग ही न होती। तो ये करना तो किसी सरकारों ने था।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः आ रहा हूँ जी, उस पे भी आ रहा हूँ। 351 पर भी आ रहा हूँ। चलो हमारी एक गलती, तुम्हारी बीस गलती। हमारी 351 की गलती, तुम्हारी एफएआर की गलती, नवासी हजार की गलती, बेसमेंट की गलती, फलानी गलती, ढिमकी गलती। दो मिनट दो मिनट... तो इतने सारे इशूज हैं। अगर ये टाइम पे हो जाते, पहले कॉंग्रेस वालों ने नहीं किया, उसके बाद बीजेपी की एनडीए सरकार ने नहीं किया। अगर ये टाइम पे कर देते तो आज अपने व्यापारियों को ये भुगतना नहीं पड़ता, ये मार नहीं भुगतनी पड़ती। लेकिन इसको अब करने... चलो अभी भी 'देर आए, दुरूस्त आए' अब एक कवायद शुरू हुई है। डीडीए के मास्टर प्लान में चेंजिज की कवायद भाुरू हुई है। वो सब कर रहे हैं। इसको करने में टाइम लगेगा। ये रातों रात नहीं होने वाले हैं। आपको दो महीने तो लग गए। पहले पब्लिक हेयरिंग करी। 741 सुझाव आए, फिर उस पे...

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः सर, मेरे को बोल लेने दीजिए। आप लिख लीजिए। अगर आपको कोई काउण्टर करना है...

अध्यक्ष महोदयः ओम प्रकाश जी, ये ठीक नहीं है।

मुख्यमंत्रीः आप लिख लीजिए, उसके बाद काउण्टर कर लीजिएगा। तो इसमें टाइम लगेगा तो इसलिए दो–ढ़ाई महीने से डीडीए, एलजी साहब, आप सब लोग मिल के कुछ–कुछ, कुछ–कुछ कर रहे हैं और अब सोमवार को शायद एफिडेविट फाइल किया है डीडीए ने। अब एमसीडी वाले भी एफिडेविट फाइल कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ रुख रखेगा इसके ऊपर। जैसा ये सारे लोग कह रहे हैं, अगर जैसे वो स्पेशल प्रोवीजन एक्ट आया था, वो एक तरह से एक एडहॉक मेजर था। अगर एक दो लाइन का एक मॉरटॉरियम देते हुए कि ये सारा इसको करने में टाइम लगेगा, साल–दो साल लगेंगे। डीडीए को अपना मास्टर प्लान ठीक करने में टाइम लगेगा, आपको ये करने में, कई सारी चीजें करनी हैं, कॉम्पलेक्सिज हैं, जो वो एक ऐसी कोई वो नहीं है कि दो लाइन का समाधान है इसका।

अगर एक ऑर्डिनेंस या बिल संसद में लाया जाए कि स्टेट्स को मेन्डेट किया जाता है, दो साल तक कोई सीलिंग नहीं की जाएगी और उस डेट तक हम सारे लग के इसका समाधान निकाल लें फिर जो भी हेयरिंग करनी है, पब्लिक हेयरिंग करनी है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो सब कर लें लेकिन सीलिंग रोकनी तो पड़ेगी। बहुत बुरा हाल है। जो दुकानें सील हो गईं, उनको खुलवाना तो पड़ेगा, कैसे खुलवाएं वो? एक–एक, एक–एक दिन उनके लिए भारी हो रहा है। जब हम कहते है, हमने तो एफिडेविट दे दिया। फिर वो पूछते है, 'अच्छा जी, अब ऐफिडेविट दे दिया, अगली तारीख कब है?' तो अब अगली तारीख नहीं पता। कह रहे हैं, 'अर्ली हेयरिंग के लिए अप्लाई कर रखा है।' उनके लिए तो जितनी दुकानें सील हो गई, एक–एक, एक–एक दिन, एक–एक घंटा भारी हो रहा है। वो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले लोग थे।

दूसरी बात, जिनकी सीलिंग नहीं हुई, उनको ये लग रहा है, 'आज आए, कल आए! आज आए, कल आए! आज आए, कल आए! उनकी भी गर्दन फंसी हुई है। तो इसीलिए ये लोग बार–बार हम सारे कह रहे हैं कि अगर एक बारी गौर से सोच लीजिए, अगर इस तरह का एक मॉरटॉरियम दिल्ली में लाया जा सके तो उससे फायदा हो सकता है।

दूसरा, मैं भी ये चाहता हूँ कि आज चर्चा जो भी हो, वो राजनीति से ऊपर उठ के हो। आपने बड़ी अच्छी बात कही, 'भई, सारी बात राजनीति से ऊपर उठके हो।' मैं आपकी बातें नोट भी कर रहा था। आपने कई अच्छे–अच्छे सुझाव भी दिए। सारे प्वाइंट्स मैं नोट कर रहा था। मेरी बस गुजारिश है कि फिर ये जो हमारा स्टेट्मेंट है, ये दिल से निकलना चाहिए, ये ईमानदारी से निकलना चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठ के बात हो। जैसे अभी आपने एक पहले तो बोला राजनीति से ऊपर उठ के हो, फिर बोला, 'अच्छा, जो–जो करने की जरूरत है, आप लोग सारे प्रस्ताव पारित कर दो, तो डीडीए करा देंगे।' कौन से कानून में लिखा है कि दिल्ली विधान सभा प्रस्ताव पारित करेगी तब डीडीए करेगी? उसकी तो...

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः एक मिनट, उसकी तो जरूरत है नहीं। कमी रह गई, कर लेंगे, डीडीए कर देगा। विधान सभा के प्रस्ताव की तो कहीं बात ही नहीं है।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः है ना। तो विधान सभा के प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, मीडिया वाले नोट कर लेना विधान सभा के प्रस्ताव की जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाएगा।

दूसरा, अच्छे वकील की बात है। अच्छा वकील हमने बहुत बढ़िया कर रखा है, मिलवा देंगे आपको, आना, बुला लेना वकील को एक दिन। वकील को, बहुत अच्छा वकील कर रखा है। फिर भी जैसा अभी गोपाल राय जी ने कहा कि कोई कमी नजर आए हमारे वकील में, आप नाम बता देना, एक वकील, दो वकील आप बता देना, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे अगर वकील करने से, अच्छा वकील करने से समाधान निकलता हो, क्यों नहीं करेंगे हम? हमें तो बड़ी खुशी होगी। तो आप बता देना कौन सा वकील करना है, आप भी अच्छा कर लेना। आपने अभी एएसजी कर रखा है शायद, एएसजी से काम नहीं चलेगा। सीनियर वकील कर लेना थोड़ा, अच्छा वकील आप भी कर लेना। हम भी कर लेंगे।

तीसरा, 351 सड़कों का जो मामला है, वो डीडीए के पास भेजा गया था। आपने 8 फरवरी बोली, एमसीडी से आ गया था, उसके बाद डीडीए

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, आप बोल चुके हैं।

मुख्यमंत्रीः पिछले शुक्रवार को शाम को आया डीडीए से, इस हफ्ते उसको प्रोसस दिल्ली सरकार ने कर लिया। सोमवार या मंगलवार को, आपने कहा ना कि चौड़े हो के, छाती चौड़ी करके सुप्रीम कोर्ट में रखना, छाती चौड़ी करके ही रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। सोमवार या मंगलवार को 351 सड़कों को रखने जा रहे हैं हम।

फिर आपने कहा राजनीति से ऊपर उठ के तो थोड़ी सी... मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मुझे बहुत उस दिन उम्मीद थी, विजेन्द्र गुप्ता के साथ बैठ के चाय पीएंगे, आप नहीं आए, मैं इंतजार करता रहा उस दिन।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः सुन लो ना, थोड़ी देर मेरी भी सुन लो।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः ऑल पार्टी मीटिंग में बहुत इंतजार करी आपकी, बहुत इंतजार करी, आप नहीं आए।

... (व्यवधान)

बड़ी तकलीफ हुई। अब मेरे तीन–चार सुझाव हैं। एक सुझाव तो है, बहुत अच्छी बात कही विजेन्द्र गुप्ता जी ने मॉनिटरिंग कमिटी से हमने मिलने का टाइम मांगा है, उसमें सारे चलें। विपक्ष भी चले, पक्ष भी चले, कांग्रेस भी चले, बीजेपी भी चले। आओगे ना इस बार, पक्का?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः पक्का।

मुख्यमंत्रीः आखरी मूमेंट में ये मत कह देना मॉनिटरिंग कमिटी पिटाई कर देगी, जैसे कहते हो, मेरे घर में पिटाई हो जाएगी।' ऐसे, ये मत कह देना मॉनिटरिंग कमिटी...

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अपने घर के अलावा जहां रख लो, मॉनिटरिंग कमिटी को...

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः सारी दिल्ली पुलिस इनके पास...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ये राजनीति कर रहे है।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः देश की सेना इनके पास, देश की नेवी इनके पास, एअरफोर्स इनके पास, पैरामिलिट्री फोर्सिस इनके पास, इनको मेरे से डर लगता है!

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः बताओ, देश को कैसे बचाओगे आप! चलो कोई बात नहीं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः वो भी 30 इंच के सीने वाले से!

मुख्यमंत्रीः घर पर नहीं रखेंगे, फिर आ जाना। कहीं और रख लेंगे। ये कल ही मैं चिट्ठी भेज दूँगा उनको। मैंने अभी सरकार के लिए टाइम माँगा था, कॉउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि बीजेपी और काँग्रेस के भी तीन–तीन रिप्रेजेंटेटिव्स आयेंगे साथ में, मौजूद रहेंगे।

दूसरी बात, ये होती है राजनीति से ऊपर उठकर बात!

दूसरी बात, मेरी अभी तक, जैसे ये सारे कह रहे थे सांसदों ने अभी मामला नहीं उठाया, सांसदों नहीं उठाया, कोई बात नहीं। अब इस हाउस के जरिए हम अपील करना चाहते है अपने दिल्ली के सातों माननीय सांसदों से, अब उठा लो।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः हैं? तो सांसद की कोई जिम्मेदारी नहीं?

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः उस पे, आपके पे भी आ रहा हूँ, आपके पे भी आ रहा हूँ। तो दिल्ली के सातों सांसदों से ये हाउस अपील करता है कि अपने घर से निकलो और संसद के अंदर इस मामले को उठाओ।

तीसरा, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी, मिलने के लिए समय लेने के लिए कि प्रधानमंत्री जी की इन्टरवैंशन होगी तो ये दो मिनट का काम है, उनके लिए तो। पर उनका कोई जवाब नहीं आया, आता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि जैसे मॉनिटरिंग कमेटी से टाइम मांगने की मेरी जिम्मेदारी है, आपके लिए। आप इस हाउस के सारे एमएलएज के लिए प्रधानमंत्री जी से टाइम ले दो, हम सारे। नहीं देते, आपको भी नहीं देते टाइम?

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः अब आपको भी नहीं देते टाईम!

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से समय माँगे और राजनीति हो गई। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्रीः कह रहे हैं; मोहल्ले को लेके जाओगे। ये सदन मोहल्ला नहीं है, भाईसाहब। ये मंदिर है, जनतंत्र का। ये इस सदन का इस तरह से अपमान करना ठीक नहीं है। हमें अपने... एक मिनट, आज हम लोग बैठे हैं, कल कोई भी। सुनें एक मिनट, अब सुनने की भी आदत।

... (व्यवधान)

मुख्यमंत्रीः हमें सदन की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखना चाहिए। आज आप बैठे हैं, ये बैठे हैं। कल कोई ओर बैठेगा। जो भी बैठेगा, वो चुनके आएगा। जनता के प्रतिनिधि हैं, कहना कि सारे मोहल्ले को लेके

चलेंगे। ये मोहल्ला नहीं है, ये रिप्रजंटेटिव्स हैं, दिल्ली के लोगों को रिप्रजेंट करते हैं। तो एक चारों तरफ एक ये अफवाह फैली हुई है कि भई, इतना हाहाकार मचा हुआ है, तब भी बीजेपी सरकार क्यों नहीं इसपे ऑर्डिनेंस ला रही, क्यों नहीं इसको कर रही? वहाँ पे फिर अफवाहों का बाजार गर्म होता है। खूब अफवाहें फैली हुई हैं मार्केट में, खूब और सबसे स्ट्राँग अफवाह है, वो यही है कि जी, एफडीआई लाना चाहते हैं। मकसद ये है कि दिल्ली के व्यापार को बर्बाद कर दो और किसी तरह से एफडीआई को ले आओ। मैं सहमत हूँ, ये बिल्कुल गलत अफवाह होगी। लेकिन अफवाह बड़ी स्ट्राँग है। इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई सिर–पैर नहीं है। लेकिन खूब चर्चा हो रही है जी, जनता के बीच में जी, एफडीआई लाना चाहते हैं।

तो अंत में, मैं ये कहूँगा जी, हमारे व्यापारी भूखे मर रहे हैं। उनको भूखे नहीं मरने देंगे। अगर जरूरत पड़ी... 31 मार्च तक अगर ये सीलिंग आप सब लोगों ने बंद नहीं कराई तो...

श्री ओ. पी. शर्माः करा देंगे।

मुख्यमंत्रीः करा देंगे ना? भई ताली बजा दो। ये सारे मीडिया वाले भी नोट कर लेना भई, ओ. पी. शर्मा जी का कमिटमेंट है, करा देंगे। अगर 31 मार्च तक नहीं हुई तो अपने व्यापारियों के साथ हम भी भूखे बैठेंगे, सारे जने। जो वो प्रस्ताव सौरभ जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः अब श्री सौरभ जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रस्ताव सदन के सामने है।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में संबंधित संकल्प प्रस्तुत करने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय सदस्य को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

श्री सौरभ जी, संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री सौरभ भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस संकल्प को पारित किया जाए। मैं संकल्प पढ़ देता हूँः

"The Legislative Assembly in its sitting on 16th March 2018 resolves that:

Whereas, the ongoing sealing drive in various markets in the National Capital Territory of Delhi has wreaked havoc among the traders and has left thousands of workers unemployed; and

It takes a lifetime and in many cases generations to set-up any establishment for livelihood; and

A metropolis of the size of Delhi has come up over centuries and has witnessed hard working people contributing immensely to the country's economy; and

After 2012, the Hon'ble Supreme Court of India had given ample opportunities to the DDA and Municipal Corporations in Delhi to regularise the existing commercial establishments;

The unjustified sealing drive being carried out today is a direct consequence of the negligence and inefficiency of Delhi Development uthority and Municipal Corporations of Delhi; and

Not only are the MCDs resorting to sealing of commercial establishments by force without even checking the papers/documents, but Delhi Police has also been unleashed to terrorise innocent traders and their family members, which was seen in full force in amar Colony Lajpat Nagar recently; and

Such a state of affairs in the country's national capital is unacceptable and an atmosphere of fear prevails in Delhi markets today;

Now therefore, this House strongly condemns the use of force and brutalities committed on innocent traders and their families; and

Demands that the ongoing sealing in various markets of Delhi be immediately stopped; and

Further resolves that the Central government should take all possible steps, including bringing a new bill/amending existing laws in the ongoing Budget Session of Parliament or Ordnance to halt sealing with immediate effect.'

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः विजेन्द्र गुप्ता जी, देखिए, आप भी इस बात को समझते हैं और हम भी इस बात को समझते हैं कि इस हाउस का जो

रैजल्यूशन होगा, वो वही होगा जो मैजोरिटी चाहेगी। आप इस प्रस्ताव को रख लें। अगर वोट में वो मानेंगे, तो वो मान सकते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मेरा इसमें रैजूलुशन है कि जो आपने लिखा है, उसमें साइमल्टेनियसली इसका पार्ट बनाइए कि जो डीडीए की मास्टर प्लान अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़े, सीलिंग के लिए, जो हो रही है, उसके फरदर भी, वो भी की जाए और ये इसमें एड करिए मास्टर प्लान के अमेंडमेंट की बात इसमें एड करिए, दूसरा इसके अंदर मॉनिटरिंग कमेटी की जो एकदम हाईहैंडेडनैस है और उनका जो।

अध्यक्ष महोदयः नहीं। देखिए, आप मॉनिटरिंग कमेटी के... वो लीगल अथॉरिटी है। उस पर यहाँ चर्चा नहीं हो सकती।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या हुआ? लीगल है तो हम तो प्रस्ताव करेंगे ना। करो या मत करो। मैं कह रहा हूँ आप करो। मैं तो सजैस्ट कर रहा हूँ। मॉनिटरिंग कमेटी को कहिए, इसमें कि हाईहैंडेडनैस से हो रहा है और इनहयूमन तरीके से ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, उसको लेकर के हाउस बहुत ही।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः एक सैकेंड, आप मॉनिटरिंग कमेटी के वकील मत बनिए। दो चीज हैं; आप करना चाहते हैं, तो ठीक है। हमारा सजेशन ये है; मॉनिटरिंग कमेटी को, क्रिर्टिसाइज किया जाना चाहिए और एक, दूसरा, इसमें चूंकि मॉनिटरिंग कमेटी सबसे ज्यादा व्यापारियों को दुःखी कर रही है, मॉनिटरिंग कमेटी के बाहर जो दुकानदार जाते हैं, उनकी हालत इस तरह कर दी है व्यापारियों की जैसे कोई उनसे कोई उधार लिया हुआ है उनसे। और दूसरा इसमें डीडीए के मास्टर प्लान में फरदर सैक्शन 11ए ऑफ डीडीए एक्ट का इस्तेमाल करके जो भी जरूरत पड़े, उसको किया जाए।

अध्यक्ष महोदयः चलिए अब मेरी व्यवस्था सुनें। सौरभ जी, दो मिनट मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। जहाँ तक मॉनिटरिंग कमेटी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, चलने के लिए। अब इसके संकल्प पर जो अंतिम पैरा है, उसको पढ़ लीजिए। यह भी संकल्प करता हूँ कि केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से सीलिंग को रोकने के लिए संसद के चालू बजट सत्र में नया विधेयक लाकर, दूसरे विद्यमान कानूनों को संशोधित करके सभी यथासंभव कदम उठाए जाएं। इसमें डीडीए भी आ गई, कोर्पोरेशन भी आ गई।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मॉनिटरिंग कमेटी को ही तो एन्डोर्स करने के लिए बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, आपको मॉनिटरिंग कमेटी लिखने में क्या दिक्कत है? आपको मालूम है वहाँ वॉयेलेशन है।

... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः आप यही तो, आपको, हम तो जनता को बता रहे हैं कि राजनीति हो रही है सिर्फ यहां कोरी... सॉल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहे। अरे! मनीष सिसोदिया जी ने जब प्रेस कॉफ्रेंस ऐड्रेस की, मैंने एक–एक को सुना और मैंने वो पिछला दरवाजा भी देखा, जब आप उसमें से निकल गए।

अध्यक्ष महोदयः मैंने कहा, मेरी बात सुनिए विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी, आप एक बात समझ लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः जब आपने ना बिल की बात करी, ना आपने कोई लॉ की बात की। जो बात मैं कर रहा हूँ, वो बात की आपने? करिए आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए जरा, बैठिए प्लीज। हाँ सौरभ जी क्या कहना चाहते है?

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि व्यापारियों को अभी तक वैसे भी बहुत ज्यादा उन्होंने भ्रमित किया है, कन्फ्यूज किया है। लच्छेदार चीजों के अंदर उनको बेवकूफ बना रहे हैं लोग। सीधी–सीधी बात है कि हमको ऑर्डिनेंस चाहिए। अगर आप लोगों की नीयत नहीं है ऑर्डिनेंस की तो यहाँ पर कहिए कि हमारी नीयत खराब है। ये जो सदन है ये तो ऑर्डिनेंस की ही मांग करना चाहता है।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः इसमें मेरा प्वाइंट जोड़िए कि डीडीए 11(ए) का इस्तेमाल करके मास्टर प्लान में फरदर भी जो व्यापारियों को बचाने के लिए अंडमैंट करने की जरूरत है, उसको टाइम बाउण्ड मैनर्स में, जो 45 से तीन दिन का टाइम दिया है, उसी के अंतर्गत उसको इमीजेट किया जाए और दूसरा, मॉनिटरिंग कमेटी जिस तरह की ज्यादतियाँ कर रही है, हम उसके विरोध में यहाँ सदन में प्रस्ताव पारित करते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में उनकी शिकायत करेंगे। ये दो हमारे अमेंडमेंट आप करते हो, तो ठीक है। नहीं कर रहे हो आप, तो आप ठीक है, गिरा दीजिए। मैजोरिटी से आप हमारी दोनों बातें।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, इसमें फिर एक चीज और जोड़ दीजिए मॉनिटरिंग कमेटी तुरंत जब तक ये सब ये लागू नहीं होते, सीलिंग बंद करें, सीलिंग दिल्ली में बंद करे, ये इसमें जोड़िए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मॉनिटरिंग कमेटी को हम रिक्वेस्ट करें, पीड़ा बताएं। अभी सारा प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस को पूरा होने तक रूकें।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकते कुछ भी, मानिटरिंग कमेटी।

मुख्यमंत्रीः सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट का आम है, उसको नहीं कह सकते।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मानिटरिंग कमेटी को भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है, आपको भी सुनेगा। मॉनिटरिंग कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉवर दी है, इसका मतलब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। मॉनिटरिंग कमेटी को कन्ट्राडिक्ट करने का पूरा अधिकार है हमको। हम जाकर कह सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं, उनके लिए हुए एक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेता है और एक बार नहीं हुआ, मानिटरिंग कमेटी के कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सुझाव जो है, समझ गया वो।

अध्यक्ष महोदयः बैठिए—बैठिए।

श्री ओम प्रकाश शर्माः मॉनिटरिंग कमेटी जो प्रेफर कर रही है, उसको सही करना जरूरी है।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं एक...

श्री विजेन्द्र गुप्ताः नहीं, हम बता रहे हैं। आप हमारी...

अध्यक्ष महोदयः भई, सौरभ जी कर रहे हैं। बोलिए सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने सलाह दी है कि.

अध्यक्ष महोदयः भई विजेन्द्र जी, दो मिनट रूकिए प्लीज।

मुख्यमंत्रीः हमारे यहाँ सलाह ही दी जाती है, आदेश नहीं दिए जाते।

श्री सौरभ भारद्वाजः मुख्यमंत्री जी ने सलाह दी है कि विजेन्द्र गुप्ता की सलाह...

अध्यक्ष महोदयः अरे! पूरा सुन तो लो विजेन्द्र जी। बहुत उतावले हो रहे हैं।

श्री सौरभ भारद्वाजः स्पीकर महोदय, क्योंकि रेजुलुशन हम लाए थे, तो मेरा हाउस से सिर्फ यही कहना है, मैं अपनी तरफ से भी एक अनुरोध करूँगा। देखिए, आप जो भी ये अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, डीडीए के अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में इंडीपेंडेंट चीजें नहीं हैं। क्योंकि ये सारी चीजें आप कोर्ट में रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। और वहाँ पर, उस पर क्या आदेश होगा, क्या नहीं होगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। ये इस मामले को और ज्यादा उलझाएगा। जैसे इनकी पुरानी अमेंडमेंट्स भी जो थी। मैं सही बात रख रहा हूँ। देखिए, जो...

अध्यक्ष महोदयः भई ओम प्रकाश जी, विजेन्द्र जी बोल रहे थे, सुन रहे थे सब, शांति से। अब सौरभ जी कुछ बोल रहे हैं, तो सुन लीजिए। चलिए।

श्री सौरभ भारद्वाजः मैं एक चीज जो बोल रहा हूँ कि जो पुरानी अमेंडमेंट्स भी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी नहीं मानी। इन्होंने एक मिनट, सुनो।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो कन्वर्जन चॉर्ज घटाकर 22000 किए थे, उन 80000 को, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः अच्छा अब दूसरी बात।

... (व्यवधान)

श्री सौरभ भारद्वाजः ठीक है। और अध्यक्ष महोदय एक और।

अध्यक्ष महोदयः भई सौरभ जी, इसमें और कन्ट्रोवर्सियाँ न खड़ी हों। बैठिए, बैठिए विजेन्द्र जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बार–बार बॉल को सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल के अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रहे हैं। एक चीज तो ये।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, भई, अब।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः ऐसा नुकसान हो जाता है। आप राजनीति करो, छुप के, दबा के, खुल्ले में मत करो।

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र जी, भई, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं विजेन्द्र जी। चलिए–चलिए सौरभ जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, मैं ये जो ऑर्डिनेंस है, इसके अंदर थोड़ा सा संशोधन ये करूंगा कि तुरंत तत्काल से मतलब जल्द से जल्द केन्द्र सरकार ऑर्डिनेंस लाए या पार्लियामेंट के अंदर बिल लाए या मौजूदा कानून के अंदर संशोधन करे। उस दौरान डीडीए भी अमेंडमेंट्स लाए और मॉनिटरिंग कमिटी से सदन का ये अनुरोध भी हो...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले?

श्री सौरभ भारद्वाजः उस दौरान सदन की तरफ से ये मॉनिटरिंग कमिटी को अनुरोध हो कि तब तक सीलिंग ड्राइव को रोका जाए।

अध्यक्ष महोदयः ये संशोधित प्रस्ताव अब सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

संकल्प पारित हुआ।

मैं अब कुछ थोड़ा सा गंभीर विषय है, उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

दिल्ली विधानसभा के संबंध में कुछ व्यवस्था है, उसकी मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। मैं सदन को सचिव, दिल्ली विधान सभा की स्थिति और हाल के घटना क्रम के बारे में सूचित करना चाहता हूँ कि श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा, जो जुलाई 2015 से इस सदन के सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने इस पद को छोड़ने की इच्छा व्यक्त की। क्योंकि आंध्रप्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष से इसी के समरूप पद का प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुआ था। मैंने इच्छा न होते हुए भी श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को सचिव पद के कार्यभार से मुक्त करने की सहमति दे दी।

अब चूंकि श्री सूर्यदेवरा ने सचिव पद को छोड़ दिया है। इसलिए इस अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री सूर्यदेवरा द्वारा कठिन परिस्थितियों में भी इस सदन को तथा सचिवालय को दी गई उत्कृष्ट सेवाओं की अत्यधिक सराहना करता हूँ। उन्होंने ऐसे समय पर सचिव के

पद का कार्यभार सम्भाला था, जब मुझे भी अध्यक्ष पद का नया उत्तरदायित्व मिला था और उनकी कार्यशैली तथा ज्ञान से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्यों को भी उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ मिला होगा।

मैं राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधानसभा की ओर से तथा स्वयं अपनी ओर से, श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा को उनके भावी कैरियर के लिए हार्दिक शुभकामनायें देता हूँ।

अब मैंने श्री सी. वेलमुरुगन, संयुक्त सचिव को विधानसभा के सचिव के रूप में कार्य करने का निदेश दिया है। वे इस रूप में तब तक कार्य करते रहेंगे, जब तक इस संबंध में मेरे द्वारा आगामी आदेश जारी नहीं किये जाते। उन्होंने 12 वर्षों तक दिल्ली विधानसभा सचिवालय में अपनी सेवायें दी हैं।

जैसा कि आप सभी को मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ होगा कि श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर हल्की पब्लिसिटी के लिए नेता प्रतिपक्ष के उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर अपनी प्रतिष्ठा का तनिक भी ध्यान नहीं रखा। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है जैसा कि उनकी प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है कि उन्होंने श्री प्रसन्नाकुमार के विषय में काफी छानबीन की है।

अपनी दिनांक 13 मार्च 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अध्यक्ष के कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय को निशाना बनाते हुए, श्री गुप्ता ने एक जिम्मेदार अधिकारी के लिए, दुःखद रूप से विवादास्पद, गायब, जैसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है। मैं ऐसी भाषा के प्रयोग की कड़ी निंदा करता हूँ।

जहाँ तक कि सचिव की कथित अनुपस्थिति का प्रश्न है, यदि श्री गुप्ता इस बारे में वास्तव में चिंतित थे तो उन्हें मीडिया में जाने से पहले एक बार कम से कम मुझसे सम्पर्क कर लेते एवं एक कप चाय मेरे साथ पी लेते, मुझे बहुत अच्छा लगता। उन्होंने मुझसे सम्पर्क करने का प्रयास ही नहीं किया, उनकी छिपी हुई मंशा को साफ तौर पर उजागर कर देता है। यह बात अलग है कि श्री विजेन्द्र गुप्ता के लिए हल्की पब्लिसिटी भी अच्छी पब्लिसिटी है, भले ही इससे अध्यक्ष के कार्यालय का अपमान होता हो। अपने प्रेस वक्तव्य में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को भी जानबूझकर विवाद में शामिल करने का असफल प्रयास किया है।

मैं यह साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक विधानसभा के सचिव का प्रश्न है, यह पूरी तरह से मेरा विशेषाधिकार है कि मैं अध्यक्ष के रूप में किसे यह उत्तरदायित्व सौंपूं। यदि आवश्यकता होगी तो इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लेने से पहले मैं निश्चित रूप से सदन के नेता से परामर्श करूंगा लेकिन निर्णय विधान सभा अध्यक्ष, मेरा होगा। मैं नेता प्रतिपक्ष से आशा करता हूँ कि वे भविष्य में संवैधानिक पदों की गरिमा बनाकर रखेंगे।

अध्यक्ष महोदयः नही, अब। मुझे आपको ये नहीं, नहीं विजेन्द्र जी, मैं मौका देता अगर आप मुझसे पहले मिले होते, एक बार बात की होती।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदयः मैं देखो बात बहुत दूर तक। विजेन्द्र जी, मैं अब इसपे चर्चा। गंभीर विषय था तो आपको प्रेस रिलीज देने से पहले मिल लेना चाहिए था। अगर आपको गंभीर लग रहा था, आपको गंभीर नहीं लगा। आप हर विषय में राजनीति करते हैं और गंदी राजनीति करते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः अब आप बोलने ही नहीं देते।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण,

मुझे ये सूचित करना है। एक बार ध्यान देंगे सभी माननीय सदस्य, मुझे आप सबको ये सूचित करना है हालांकि पत्र भेजा गया है कि दिनांक 22 मार्च, 2018 को नोट कर लें एक बार 22 मार्च, 2018 को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस दिन सदन की बैठक दोपहर 12:00 बजे होगी, 2:00 बजे नहीं। 22 तारीख को 12:00 बजे होगी। अतः माननीय सदस्य इस संबंध में ध्यान रखे और वीरवार दिनांक 22 मार्च, 2018 को दोपहर 12:00 बजे सदन में उपस्थित होंगे।

अब सदन का कार्यवाही 19 मार्च, 2018 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी माननीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद।

(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही सोमवार 19 मार्च, 2018 को अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

... समाप्त ...

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्सs, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।